Par. S. 17. 1. 25. 52
285

अंक १

संख्या २५

शुक्रवार

२० जून, १९५२

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha (First Session)

# संसदीय वाद विवाद

## लोक सभा

### शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

——:o:——

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग १५३७–१५८१]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग १५८२–१६०८]

(मूल्य ४ आने)

# संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त



## लोक सभा

शुक्रवार, २० जून, १९५१

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### हीराकुड विकास पर्षद्

*१०३६. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार हीराकुड विकास पर्षद् को स्थापित करने की प्रस्थापना कर रही है; तथा

(ख) यदि कर रही है तो इस पर्षद् के कृत्य क्या होंगे ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) :** (क) तथा (ख). भारत सरकार के प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय के संकल्प संख्या डी० डब्ल्यू० ११-१२ (२७) की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है । इसी संकल्प द्वारा हीराकुड नियंत्रण तथा विकास पर्षद् स्थापित किया गया है तथा इसी में इस की रचना तथा इस के कृत्य उल्लिखित हैं । [**इसिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४०**]

**डा० राम सुभग सिंह :** क्या हीराकुड परियोजना के लिये कोई नियंत्रण पर्षद् स्थापित करने की भी प्रस्थापना की जा रही है, तथा यदि की जा रही है तो इस पर्षद् का प्रधान केन्द्र कहां होगा ?

**श्री सी० डी० देशमुख :** यह विषय सरकार के विचाराधीन है, तथा यह संभव है कि इन दो पर्षदों की जगह केवल एक ही पर्षद् रखा जाय ।

**डा० राम सुभग सिंह :** मैं जान सकता हूं कि यह पर्षद् कब बनाया जायगा, वर्तमान पर्षद् अपना कार्य कब से बन्द करेग तथा उस पर्षद् के सदस्य कब इस समिति में लिये जायेंगे ।

**श्री सी० डी० देशमुख :** यह दोनों को मिलाकर एक कर देने की बात नहीं है, अपितु यह एक के स्थान पर दूसरा बनाने का प्रश्न है । इस के कृत्य संभवत: कुछ परिवर्तनों के साथ नये पर्षद के कृत्यों में मिला दिये जायेंगे परन्तु सदस्यता आवश्यक रूप से एक जैसी नहीं होगी ।

### इटली के साथ व्यापार

*१०३९. **श्री बैलायुधन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार तथा इटली के बीच कोई व्यापारिक पत्र व्यवहार हुआ है; तथा

(ख) यदि हुआ है, तो इन पत्रों के निबन्धन क्या हैं ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां, श्रीमान् । (ख) जिन पत्रों का विनिमय हुआ है, उन की प्रतियां पहले ही सदन के पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

**श्री वैलायुधन** : इस व्यापार संधि के अन्तर्गत दोनों देश कितनी कितनी धनराशि तक का व्यापार करेंगे ?

**श्री करमरकर** : धनराशियों का इस में कोई जिक्र नहीं है किन्तु विभिन्न पण्य-वस्तुओं के, जहां तक कि उन का सम्बन्ध दोनों देशों के बीच व्यापार से है, आयात अथवा निर्यात का उल्लेख किया गया है ।

**श्री वैलायुधन** : मैं जान सकता हूं कि क्या इसी संधि के अनुसार काश्मीर के लिये भारत में नमक आयात किया जाता है ?

**श्री करमरकर** : श्रीमान्, पहली बात तो यह है कि ऐसी कोई संधि नहीं है, जहां तक नमक का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्य का ध्यान पुस्तकालय में रखे गये क़रार की प्रति की ओर दिलाऊंगा ।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने बताया कि वैसे तो कोई संधि नहीं हुई है । यह केवल क़रार का एक प्रश्न है । जहां तक नमक का सम्बन्ध है, माननीय मंत्री को इस बारे में इस समय कोई ज्ञान नहीं है ।

**श्री करमरकर** : जहां तक मैं देख पाता हूं नमक पण्य-वस्तुओं में शामिल नहीं है ।

**श्री वैलायुधन** : मैं जान सकता हूं कि क्या काश्मीर के लिये नमक इटली से भारत में आयात किया जाता है ?

**श्री करमरकर** : मुझे इस की पूर्व सूचना चाहिये ।

**श्री अच्युतन** : क्या यह बातें क़रार में नहीं दी गई हैं ?

**श्री करमरकर** : पुस्तकालय में क़रार की जो प्रति है, माननीय सदस्य उस को देख लें ।

**काफ़ी के साथ कासनी का मिश्रण**

***१०४०. श्री वैलायुधन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या सरकार को विदित है कि काफ़ी के चूर्ण को कासनी के साथ मिलाया जाता है तथा यह दक्षिण भारत का एक बड़ा उद्योग बन गया है; तथा

(ख) क्या किसी राज्य ने कासनी को काफ़ी के साथ मिलाये जाने पर पाबन्दी लगा दी है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां । श्रीमान ।

(ख) मद्रास सरकार ने जनवरी, १९५२ में प्रतिबन्ध लगा दिया था किन्तु उस ने इस आदेश को कार्यरूप देना अप्रैल १९५३ तक स्थगित कर दिया है ।

**श्री वैलायुधन** : मैं जान सकता हूं कि क्या कासनी एक हानिकारक वस्तु है, तथा यदि है तो मद्रास सरकार ने इस पर जो प्रतिबन्ध लगाया था उसे क्यों स्थगित कर दिया है ?

**श्री करमरकर** : वास्तव में मद्रास सरकार का विचार यह प्रतीत होता था कि काफ़ी में कासनी के चूर्ण के अपमिश्रण को रोक दिया जाय, किन्तु हमें अभ्यावेदन प्राप्त हुए कि कुछ लोग साधारणतया काफी को कासनी के चूर्ण के साथ मिला कर प्रयोग में लाते हैं तथा इस का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है । भारत सरकार ने मामले पर विचार किया तथा मद्रास सरकार को परामर्श दिया कि इस पर से पाबन्दी हटा ली जाय । इस के उत्तर में मद्रास सरकार ने उक्त समय तक के लिये अपना निर्णय क्रियान्वित करना स्थगित कर दिया ।

**श्री एस० सी० सामन्त :** मैं जान सकता हूं कि क्या कासनी के चूर्ण की जांच अनुसन्धान संस्थाओं में हुई है; तथा यदि हुई है तो इस में कौन से लाभकारक तथा हानिकारक तत्व पाये गये हैं ?

**श्री करमरकर :** इस का वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ है अथवा नहीं, इस प्रश्न की मुझे पूर्वसूचना चाहिये। किन्तु जहां तक मुझे मालूम है कासनी के चूर्ण को डाक्टरों ने स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नहीं माना है। कासनी के चूर्ण को काफ़ी के साथ मिलाने से काफ़ी की क़ीमतें कम हो जायेंगी, आदि आदि।

**कलईदार इस्पात की चादरें**

*१०४१. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय प्रमाप संस्था (इंडियन स्टैंडर्डस इन्स्टीट्यूशन) ने कलईदार इस्पात की चादरों के लिये जो स्तर निर्धारित किया है, क्या उसे इस उद्योग द्वारा गिरने नहीं दिया जाता है;

(ख) क्या यह स्तर सीधी चादरों तथा नालीदार चादरों दोनों पर लागू होता है;

(ग) निश्चित किये गये स्तर की मुख्य मदें क्या हैं; तथा

(घ) क्या हाल ही के वर्षों में इन चादरों की कीमतें घट गई हैं अथवा बढ़ गई हैं ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) इस स्तर की मुख्य मद यह हैं

(१) विस्तार तथा वज़न,

(२) जस्त चढ़ाये जाने की सीमा,

(३) परीक्षण आवश्यकतायें,

(४) पुनः परीक्षण तथा रद्दी करने का उपबन्ध,

(५) निरीक्षण तथा परीक्षण सुविधायें,

(६) परीक्षण प्रमाण-पत्र।

(घ) मूल्य बढ़ गये हैं।

**श्री एस० सी० सामन्त :** मैं जान सकता हूं कि कौन कौन सी फ़ैक्टरियां कलईदार चादरें तैयार करती हैं ?

**श्री करमरकर :** मुझे खेद है कि मुख्य प्रश्न से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, इस लिये मुझे इस की सूर्व सूचना चाहिये।

**श्री एस० सी० सामन्त :** मैं जान सकता हूं कि कितने मामलों में इन निर्माताओं को दंड अथवा चेतावनी दी गई है ?

**श्री करमरकर :** मुझे इस की पूर्व-सूचना चाहिये।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** मैं जान सकता हूं कि कलईदार इस्पात की चादरों के वितरण में किन बातों को ध्यान में रखा जाता है ?

**श्री करमरकर :** श्रीमान्, मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध इन चादरों के स्तर से है। जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं इस के लिये पूर्वसूचना चाहता हूं।

**डा० पी० एस० देशमुख :** क्या हाल ही के वर्षों में इन चादरों का उत्पादन बढ़ गया है ?

**श्री करमरकर :** मुझे खेद है कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से असंगत है।

**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या देश में इन चादरों की मांग बढ़ गई है ?

**श्री करमरकर :** श्रीमान्, मुझे इसके लिये पूर्वसूचना चाहिये।

**अमीनदिवी द्वीपों में उत्पन्न नारियल की जटा**

*१०४२. **श्री पी० टी० चाको:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह तथ्य है कि अमीनदिवी द्वीपों में उत्पादित नारियल की जटा खुले बाज़ार में बिकने नहीं दी जाती है,

(ख) क्या मंगलौर का पत्तन प्राधिकारी इन द्वीपों में उत्पादित सम्पूर्ण नारियल की जटा को कम दामों पर खरीद कर बाज़ार में बेचता है तथा इस तरह से सरकार के लिये काफी लाभ कमाता है, तथा

(ग) यदि यह बात है, तो क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि नारियल की जटा के व्यापार के सम्बन्ध में एकाधिकार होने की यह प्रणाली वहां की ग़रीब जनता को कठिनाई में डाल रही है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर):** (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अमीनदिवी द्वीप में नारियल की जटा का व्यापार कई दशाब्दियों से सरकार के एकाधिकार में होता चला आया है ?

(ग) भारत सरकार को इस प्रणाली के विरुद्ध कोई शिक़ायत प्राप्त नहीं हुई है।

**श्री पी० टी० चाको:** मैं जान सकता हूं कि क्या मंगलौर के पत्तन प्राधिकारी वहां के लोगों को चावल दे कर उस के बदले में नारियल की जटा खरीदते हैं।

**श्री करमरकर:** श्रीमान्, बिल्कुल यही बात है।

**श्री पी० टी० चाको:** २८ मार्च, १९५२ के **हिन्दू** में एक समाचार दिया गया था जिस में कहा गया था कि सन् १९५१-५२ में विनिमय दर ९५ रुपये के चावल के बदले में लगभग ३५० रुपये के मूल्य की नारियल की जटा के बराबर है, मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है ?

**श्री करमरकर:** मैं समाचार पत्र हिन्दू में दिये गये इस समाचार को देखना चाहता हूं। परन्तु मुझे इस बात का विश्वास है कि सन् १९२३ से चावल में ही पूरा भुगतान होता रहा है तथा इसकी दर ८४ पौंड चावल के बदले ९८ पौंड नारियल की जटा रहा है। यही कुछ मेरी सूचना है।

**श्री पी० टी० चाको:** मद्रास में चावल का भाव प्रति सेर क्या है ?

**श्री करमरकर:** मुझे इस की पूर्व सूचना चाहिये।

**श्री पी० टी० चाको:** क्या यह सत्य है कि सरकार ने इस एकाधिकार प्रणाली से सन् १९५१-५२ में लगभग ४९७,००० रुपये का नफ़ा कमाया ?

**श्री करमरकर:** ठीक ठीक राशि ४९७,९७१ रुपये है।

**श्री पी० टी० चाको:** मैं जान सकता हूं कि क्या इस धनराशि का कोई भाग अमीनदिवी के निवासियों के कल्याण तथा हित के लिये काम में लाया जाता है ?

**श्री करमरकर:** इस सौदे के नफा व नुक़सान के अनपेक्ष, इस के पीछे विचार तो यह है कि यह प्रणाली काफ़ी समय से चल रही है तथा सभी बातों को देखते हुये इस से वहां की जनता को लाभ ही पहुंचा है, हम ने उन्हें स्थानीय शोषकों के हाथों में नहीं छोड़ा है।

**श्री पी० टी० चाको:** क्या सरकार ने एकाधिकार की इस अन्यायपूर्ण प्रणाली को समाप्त करने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

**श्री करमरकर:** पहले तो यह अन्याय-पूर्ण नहीं है, दूसरे स्वार्थी पक्षों ने इसे बदलने के लिये अभ्यावेदन किये हैं परन्तु हमें यह बात पसन्द नहीं आई है ।

**श्री एस० सी० सामन्त:** क्या सरकार को भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति से कोई ऐसी प्रार्थना प्राप्त हुई है कि इस द्वीप के नारियल की जटा उद्योग को भी इस समिति के नियन्त्रण में लाया जाय ?

**श्री करमरकर:** मुझे इस के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

**श्री जसानी:** मैं जान सकता हूं कि वार्षिक लाभ कितना रहा है ?

**श्री करमरकर:** श्रीमान्, यह राशि भिन्न भिन्न वर्षों के लिये भिन्न भिन्न रही है । सन् १९४०-४१ में लगभग २५,००० रुपये की हानि हुई थी तथा सन् १९५०-५१ में ४९७,९७१ रुपये का लाभ हुआ है ।

**श्री जसानी:** क्या यह सत्य नहीं कि इस द्वीप तथा शेष भारत के बीच मुक्त व्यापार नहीं होता है ?

**श्री करमरकर:** अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, किन्तु यह सत्य है कि वह नारियल की जटा के बदले चावल में व्यापार कर रहे हैं ।

**श्री केलप्पन:** क्या सरकार को ज्ञात है कि इस द्वीप का सम्पूर्ण व्यापार कुछ वंशागता सरदारों के हाथ में है ?

**श्री करमरकर:** मैं इस मामले की जांच कराऊंगा ।

**श्री पोकर साहब:** मैं जान सकता हूं कि क़ानून में ऐसा कौन सा उपबन्ध है जिस के अन्तर्गत सरकार इस एकाधिकार का प्रयोग कर रही ह ?

**श्री करमरकर:** मैं मामले की पूरी जांच करूंगा तथा फिर माननीय सदस्य को इस की सूचना दे दूंगा ।

**श्री बी० शिव राव:** मैं जान सकता हूं कि क्या मद्रास सरकार के विशेष अधिकारी ने इन द्वीपों की जनता की स्थिति तथा विचाराधीन प्रश्न के सम्बन्ध में हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की है ?

**श्री करमरकर:** जी हां, श्रीमान् । आंशिक रूप से यह सत्य है । ऐसा प्रतीत होता है कि विशेष निरीक्षण अधिकारी ने मुक्त व्यापार के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दी है, तथा राज्य सरकार इस की अग्रेतर जांच कर के उन के सुझाव पर भी ध्यान देगी ?

**श्री बो० शिवा राव:** मैं जान सकता हूं कि क्या अन्तिम निर्णय करने से पूर्व इस रिपोर्ट की एक प्रति सदन पटल पर रखी जायगी ?

**श्री करमरकर:** हम इस मामले पर विचार करेंगे ।

**खाद्य पदार्थ (आयात तथा निर्यात)**

*१०४३. **श्री पी० टी० चाको:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) सन् १९५१-५२ में कुल कितने मूल्य के खाद्य पदार्थ आयात किये गये; तथा

(ख) क्या सन् १९५१-५२ में भारत से कोई खाद्य पदार्थ निर्यात किये गये तथा यदि किये गये, तो कितने मूल्य के ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर):** (क) २५८·४६ करोड़ रुपये, जिसमें से २३० करोड़ रुपये का अनाज आयात किया गया ।

(ख) कोई अनाज निर्यात नहीं किया गया । अन्य खाद्य पदार्थों का कुल मूल्य सन् १९५१-५२ में १४६ करोड़ रुपये था जिस में से ९३ करोड़ रुपये की केवल चाय थी, ३० करोड़ रुपये के मसाले तथा लगभग ९ करोड़ रुपये के काजू थे ।

**श्री पी० टी० चाको:** मैं जान सकता हूं कि खाद्य आयात, आयात व्यापार का कुल कितना प्रतिशत भाग था ?

**श्री करमरकर:** अनाज कुल आयात का कितना प्रतिशत भाग था ? मुझे इस का उत्तर देने के लिये पूर्वसूचना चाहिये । फिर भी, श्रीमान्, मुझे बताया गया है कि यह लगभग २० प्रति शत है ।

**ब्रिटेन से आयात**

*१०४४. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्तमान पत्री वर्ष की पहली तिमाही में ब्रिटेन ने भारत से कितने मूल्य का माल आयात किया है ; तथा

(ख) इसी काल में भारत ने कुल कितने मूल्य का ब्रिटिश माल ख़रीदा है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर):** (क) ३७·९ करोड़ रुपये ।

(ख) ·४५·३ करोड़ रुपये ।

**डा० राम सुभग सिंह:** मैं जान सकता हूं श्रीमान्, कि क्या हमारे देश की आयात निर्यात स्थिति गत वर्ष इसी काल में अधिक अनुकूल थी ?

**श्री करमरकर:** क्या आप ब्रिटेन के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं ? गत वर्ष यह हमारे प्रतिकूल थी ।

**डा० राम सुभग सिंह:** श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि किन वस्तुओं में व्यापार करने के कारण हमारे आयात निर्यात व्यापार की स्थिति इस वर्ष अनुकूल हो गई ?

**श्री करमरकर :** मदें लगभग वही हैं, केवल मात्राओं में अन्तर है ।

**श्रीमती ए० काले :** मैं जान सकती हूं कि कौन कौन वस्तुयें अब तक आयात की गई हैं ?

**श्री करमरकर:** इन मदों की संख्या लगभग ५२ है; परन्तु मैं कुछेक का उल्लेख कर सकता हूं अर्थात्—

अटेरन, सोडा बाईकारबोनेट, छुरियां कांटे, लोहे का सामान आदि ।

**रूई (निर्यात)**

*१०४५. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) इस पत्री-वर्ष में इस देश से कितनी रूई अब तक निर्यात की गई है, तथा

(ख) रूई की कौन कौन सी किस्में निर्यात की गई हैं ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर):** (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४१]**

**डा० पी० एस० देशमुख :** श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि कुल कितनी गांठें निर्यात की जाने की प्रस्थापना है ?

**श्री करमरकर :** श्रीमान्, लगभग तीन लाख गांठें निर्यात करने का विचार है ।

**डा० पी० एस० देशमुख :** क्योंकि काम में आने वाली रुई के बाज़ार में अभी रहे चले आने के कारण क़ीमतें घट गई हैं, इसलिये क्या निर्यात का कोटा बढ़ाने की कोई प्रस्थापना है ?

**श्री करमरकर:** मुझे खेद है कि मैं अटकल से कोई उत्तर नहीं दे सकता।

**श्री के० जी० देशमुख:** मैं जान सकता हूं कि जो रूई निर्यात की गई थी उस की भारतीय मिलों को ज़रूरत नहीं थी ?

**श्री करमरकर:** जी हां, श्रीमान् अधिकांश रूई ऐसी ही थी जो यहां काती नहीं जा सकती थी, कुछ रूई ऐसी थी जिसे काता जा सकता था किन्तु रूई के अतिरेक होने के कारण हम ने इस के निर्यात की अनुमति दे दी थी।

**श्री के० जी० देशमुख:** यह कैसे रेशे वाली रूई है जो निर्यात की जाती है ?

**श्री करमरकर:** मेरे विचार से इस का अधिकांश भाग बहुत ही छोटे रेशों वाला है, तथा इसका कुछ भाग, लगभग ५०,००० गांठें, ११।१६ इंच रेशे वाली हैं।

**वस्त्र उद्योग के कमकरों को लाभांश**

*१०४६. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अहमदाबाद के वस्त्र उद्योग कमकरों को सन् १९५० तथा १९४९ में किस दर से लाभांश (बोनस) दिया गया था ?

**श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि):** कमकरों द्वारा अर्जित वार्षिक मूल मज़दूरी का छटा भाग।

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या किसी मिल ने इस दर के हिसाब से बोनस नहीं दिया है ?

**श्री वी० वी० गिरि:** कुछ मिलें ऐसी थीं।

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** उन्होंने किस दर से बोनस दिया ?

**श्री वी० वी० गिरि:** मैं समझता हूं कि यह मामला अभी अनिर्णीत पड़ा है।

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** श्रीमान्, सन् १९५१ में यह दर क्या थी ?

**श्री वी० वी० गिरि:** मुझे इस के लिये पूर्वसूचना चाहिये। माननीय सदस्य ने केवल सन् १९५० तथा १९४९ के लिये सूचना मांगी थी।

**डा० पी० एस० देशमुख:** वस्त्र उद्योग ने जितना लाभ कमाया है, क्या माननीय मंत्री ने उसे देखा है तथा क्या वह मिल मालिकों को यह बता देने का इरादा रखते हैं कि वह मज़दूरों का बोनस बढ़ा दें ?

**श्री वी० वी० गिरि:** सम्बन्धित पक्षों ने इस मामले की अपील न्यायाधिकरण को सौंप दिया था, उसने इस मामले का फैसला किया है।

**श्री गणपति राम:** क्या माननीय मंत्री यह बतला सकते हैं कि बनारस काटन मिल में भी बोनस सिस्टम चालू है, और यदि है तो वह किस परिमाण में है ?

**अध्यक्ष महोदय:** शान्ति, शान्ति। प्रश्न का सम्बन्ध अहमदाबाद वस्त्र उद्योग के कर्मचारियों से है।

**दामोदर घाटी निगम (मुख्य सूचना अधिकारी)**

*१०४७. **श्री ए० सी० गुहा:** क्या योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के लिये कोई मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है; तथा

(ख) यदि किया गया है तो—

(१) उसके कृत्य तथा कर्तव्य क्या हैं ;

(२) उस के वेतनादि क्या हैं;

(३) उस की नियुक्ति की शर्तें क्या हैं, तथा

(४) क्या सरकार ने उस की नियुक्ति का अनुमोदन किया है ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख):** (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) (१) से (३) तक एक विवरण, जिस में यह सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४२]

(ख) (४) दामोदर घाटी निगम अधिनियम की धारा ६ (३) के अन्तर्गत निगम को इस बात का अधिकार है कि वह अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त करे । भारत सरकार की स्वीकृति आवश्यक नहीं है ।

**श्री ए० सी० गुहा:** श्रीमान्, विवरण से ज्ञात होता है कि इस अधिकारी का वेतनादि १९७५ रुपये प्रति मास होगा । क्या सरकार इस बात पर विचार नहीं करती है कि इतने अधिक वेतन के पद सरकार की स्वीकृति के क्षेत्र में आ जाने चाहियें ।

**अध्यक्ष महोदय:** शान्ति, शान्ति । वह कार्य करने के लिये एक सुझाव दे रहे हैं ।

**श्री ए० सी० गुहा:** यह नियुक्ति करने के लिये क्या कोई चुनाव समिति नियुक्त की गई है ?

**श्री सी० डी० देशमुख :** श्रीमान्, चुनाव समिति के सम्बन्ध में एक और प्रश्न है । अनुमानतः इस नियुक्ति का मामला उपयुक्त चुनाव समिति को सौंपा गया था । परन्तु मुझे इस विशिष्ट नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ।

**श्री ए० सी० गुहा:** विवरण से ज्ञात होता है कि उस का एक कृत्य यह भी है कि वह अन्य देशों से भी इस नदी घाटी तथा अन्य सम्बन्धित विषयों के बारे में साहित्य इकट्ठा करे तथा उस का अध्ययन करे । श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या वर्तमान पद धारी को इन विषयों का कोई प्रविधिक (टैकनिकल) ज्ञान भी है, अथवा क्या इस बात पर विचार भी किया गया था कि इस के लिये ऐसा ज्ञान होना आवश्यक है ?

**श्री सी० डी० देशमुख :** श्रीमान् मैं समझता हूं कि इस प्रकाशना अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह प्रविधिक (टैकनीकल) साहित्य को भी पढ़े तथा उसे जनसाधारण के उपयोग के लिये प्रसारित करे ।

**श्री दामोदर मैनन:** क्या सरकार प्रत्येक नदी घाटी योजना के लिये अलग अलग सूचना अधिकारी नियुक्त करने की बात को प्रोत्साहन देने का विचार रखती है ?

**श्री सी० डी० देशमुख:** श्रीमान्, यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि जैसा कि अभी उत्तर में बता दिया गया है, इस निगम को ऐसी नियुक्तियां करने, अथवा इस बात का फ़ैसला करने का कि क्या कोई नियुक्ति की जाय अथवा नहीं, अधिकार है ।

**श्री ए० सी० गुहा:** इस समय क्या ऐसा कोई सुझाव दिया गया है कि ऐसे पदों के लिये सरकार का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना चाहिये ?

**अध्यक्ष महोदय:** यह फिर वही पुरानी बात है ।

**श्री ए० सी० गुहा:** इस बात का कई बार उल्लेख किया गया है तथा प्रभारी माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह इन नियमों में संशोधन करेंगे ।

**अध्यक्ष महोदय:** तो आप आश्वासन की बात कह सकते हैं । क्या कोई आश्वासन दिया गया था ?

**श्री सी० डी० देशमुख:** मुझे आश्वासन के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं। हो सकता है कि कुछ विशिष्ट विचाराधीन विषयों के सम्बन्ध में कोई बात कही गई हो। मुझे ज्ञात नहीं कि क्या माननीय सदस्य प्रकाशना अधिकारियों की नियुक्तियां की बात कर रहे हैं अथवा ऐसी सभी नियुक्तियों के बारे में, जिन का वेतन अधिक हो। एक समय ऐसा भी विचार था कि सीमा विशेष से अधिक वेतन के पदों पर नियुक्तियां करते समय सरकार से भी स्वीकृति प्राप्त की जाय, किन्तु इस सम्बन्ध में अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है।

**दामोदर घाटी निगम (चुनाव समिति)**

*१०४८. **श्री ए० सी० गुहा:** क्या योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या दामोदर घाटी निगम की कोई चुनाव समिति है, तथा

(ख) यदि है तो--

(१) इस के सदस्य कौन हैं ;

(२) गत तीन वर्ष में इस की कितनी बैठकें हुई हैं :

(३) यह समिति किस ने नियुक्त की है, तथा

(४) चुनाव समिति को निर्दिष्ट किये जाने वाले पदों का निम्नतम वेतन क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख):** (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) (१) अधिकारियों के पदों के लिये निगम के दोनों सदस्य, कर्मचारी निदेशक (डाइरेक्टर परसोनल) तथा सम्बन्धित विभाग का अध्यक्ष।

सभी नियुक्तियां अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की जाती हैं।

अधीनस्थ प्रविधिक पदों के लिये दामोदर घाटी निगम के सदस्य डा० बी० सी० गुहा: कर्मचारी निदेशक तथा उपनिदेशक तथा सम्बन्धित विभाग का अध्यक्ष।

अधीनस्थ अप्रविधिक पदों के लिये--दामोदर घाटी निगम के सदस्य श्री पी० पी० शर्मा, कर्मचारी निदेशक तथा उपनिदेशक तथा सम्बन्धित विभाग का अध्यक्ष।

आवश्यकता पड़ने पर चुनाव समिति को सहायता देने के लिये बाहर के विशेषज्ञों, जैसे कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग की विद्युत शाखा के अध्यक्ष, कोयला आयुक्त, मुख्य खान इंजीनियर तथा कलकत्ता विद्युत निगम के महा प्रबन्धक को भी निमंत्रित कर लिया जाता है।

(२) १९४९ १०२ बार
१९५० १२८ बार
१९५१ १५१ बार

(३) यह समितियां निगम द्वारा नियुक्त की गई हैं।

(४) पदों के वेतन के आधार पर नियुक्तियां करने का मामला चुनाव समिति को नहीं सौंपा जाता है।

भारत सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों जैसी नियुक्तियों के अतिरिक्त सभी नियुक्तियां समिति को सौंप दी जाती हैं, इस के अलावा इन श्रेणियों के कर्मचारियों को, जिन्हें परीक्षा के बाद नियुक्त किया जाता है, चुनाव कमेटी के समक्ष नहीं आना होता है —

टाइपिस्ट, स्टैनो-टाइपिस्ट, शीघ्रलिपिक, ड्राफ्ट्समैन, ट्रेसर, टैकनीशियन, मोटर चालक आदि।

कर्मचारी निदेशक (डाइरेक्टर आफ़ परसोनल) को उन्हें परीक्षा के बाद चुनने का अधिकार दिया गया है ।-

**श्री ए० सी० गुहा:** जो उत्तर दिया गया है उस से ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव समिति में वास्तव में निगम के सदस्य तथा कर्मचारी निदेशक ही हैं । क्या सरकार ऐसी नियुक्तियों का मामला लोक सेवा आयोग को सौंपने का विचार रखती है ?

**श्री सी० डी० देशमुख :** जी नहीं, श्रीमान् । क़ानून के अनुसार इस निगम को आवश्यक अधिकार प्राप्त हैं ।

**श्री ए० सी० गुहा:** क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाऊं कि स्वायत्तशासी निकाय स्थापित करने वाले हाल ही के कुछ विधानों में लोक सेवा आयोग को ऐसी नियुक्तियां करने का अधिकार दिया गया है ?

**अध्यक्ष महोदय:** शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य तर्क वितर्क में जाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

**श्री ए० सी० गुहा:** ऐसा हाल ही के विधानों में किया गया है ।

**अध्यक्ष महोदय:** यह तर्क की बात है ।

**श्री ए० सी० गुहा:** क़ानून में कुछ सम्परिवर्तन...

**अध्यक्ष महोदय:** शान्ति, शान्ति । अब आप अगले प्रश्न को लें ।

**श्री वैलायुधन:** मैं जान सकता हूं कि क्या अनियमिताओं के कारण विधि में परिवर्तन करने की कोई प्रस्थापना है ?

**अध्यक्ष महोदय:** शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न संख्या १०४९ ।

**श्री ए० सी० गुहा:** श्रीमान्, मेरे नाम से चार प्रश्न हैं । यदि मुझे केवल तीन प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये तो मैं इस प्रश्न (संख्या १०४९) को छोड़ दूंगा, और मैं केवल प्रश्न संख्या १०५४ पूछूंगा ।

**अध्यक्ष महोदय :** आप अपनी बारी आने दें । यदि वहां तक हम न पहुंचने पायें तो आप यह नहीं पूछ सकेंगे । माननीय सदस्य प्रश्न संख्या १०४९ छोड़ रहे हैं ?

**श्री ए० सी० गुहा :** श्रीमान्, मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न संख्या १०५० ।

**व्यापार सन्तुलन**

*१०५०. **श्री एल० एन० मिश्र** (क): क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५०-५१ में २१.४२ करोड़ रुपये के अनुकूल व्यापार सन्तुलन के तथा सन् १९५१-५२ में १५६ करोड़ रुपये के प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन के होने के मुख्य कारण क्या हैं ?

(ख) सरकार हमारे देश के व्यापार सन्तुलन में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर)** : (क) सन् १९५१-५२ में इतने अधिक प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन होने के मुख्य कारण यह थे :—

(१) अनाज का भारी मात्रा में आयात,

(२) रूई तथा अन्य कच्चे माल का भारी मात्रा में आयात ।

(ख) उपरोक्त (क) में जो विशेष कारण दिये गये हैं, भविष्य में उन के उसी तरह रहने की संभावना नहीं है । इस के अलावा सरकार समय समय पर अपनी आयात निर्यात नीतियों का उचित रूप से समन्वय करती है ।

**श्री एल० एन० मिश्र :** क्या यह सत्य है कि आयात नीति के कारण इस देश में

अपेक्षाकृत कुछ कम जरूरी वस्तुओं का स्टाक जमा किया गया है, तथा यदि ऐसा है, तो वह कौन सी वस्तुएं हैं ?

**श्री करमरकर** : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये ।

**श्री के० जी० देशमुख** : विलास वस्तुओं के आयात पर कुल कितनी धन-राशि व्यय की जाती है ?

**श्री करमरकर** : हम ने विलास वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगा रखा है, आप के मतानुसार भोग विलास की वस्तुएं क्या हैं, यह चीज तो इस बात पर निर्भर करती है ।

**असारभूत उपभोग्य वस्तुयें (आयात)**

*१०५१. **श्री बर्मन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५१ के द्वितीयार्द्ध में असारभूत उपभोग्य वस्तुओं के आयात के आंकड़े क्या थे ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री करमरकर)** : मुझे ज्ञात नहीं कि माननीय सदस्य किन वस्तुओं को असारभूत मानते हैं । यदि ऐसी वस्तुओं की एक सूची दे दी जाये तो यह सूचना सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

जहां तक मेरी सूचना का सम्बन्ध है, हम ने उन वस्तुओं की एक छोटी सी सूची बनाई थी जिन्हें असारभूत समझा जाता है, उनमें यह चीजें आ जाती हैं :—

जीवित पशु, वेशभूषा, सामान (फर्नीचर) , तम्बाकू से बनी चीजें, लकड़ी तथा इमारती लकड़ी से बनी चीजें, डाक की वस्तुएं आदि । यदि इन्हें असारभूत समझा जाये तो जुलाई से ले कर दिसम्बर तक इन वस्तुओं का आयात ५८०,००,००० रुपये का रहा है ।

**श्री आर० के० चौधरी** : क्या माननीय मंत्री इसे दुहरायेंगे ? हम सुन नहीं पाते हैं ?

**श्री करमरकर** : मुझे मालूम नहीं कि माननीय सदस्य किन उपभोक्ता वस्तुओं को असारभूत वस्तुयें मानते हैं । यदि ऐसी वस्तुओं की एक सूची दी जाय तो सूचना सदन पटल पर रख दी जायगी ।

**श्री बर्मन** : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार गालों पर लगाये जाने वाले पाउडरों तथा अन्य सौंदर्य प्रसाधन वस्तुयें भी आयात .....

**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

**श्री करमरकर** । वह असारभूत वस्तुयें हैं, हम ऐसी वस्तुओं के आयात को निरुत्साहित कर रहे हैं ।

**श्री दाभी** : मैं जान सकता हूं कि क्या लिपस्टिक (होठों की लाली) भी आयात करने दी जाती है ?

**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति अगला प्रश्न ।

**आसाम तथा उत्तरी बंगाल में कोयला**

*१०५२. **श्री बर्मन** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि आसाम गारो पहाड़ियों तथा उत्तरी बंगाल के बगरकोटा इलाक़े में कोयले की विस्तृत खानें हैं ;

(ख) यदि हैं, तो इन खानों से कोयला क्यों नहीं निकाला जाता है ; तथा

(ग) जिन खानों से कोयला निकाला जाता है वहां इस का लागत मूल्य क्या है तथा यह पाकिस्तान के जल-मार्ग से हो कर किन मूल्यों पर उत्तरी बंगाल पहुंचता है ?

**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) :** (क) गारो पहाड़ियों में कोयले की अनुमानित मात्रा ११.५ करोड़ टन है तथा बगराकोटा में २ करोड़ टन ।

(ख) गारो पहाड़ियों से कोयला निकालने में सब से बड़ी कठिनाई यह है कि वहां पहुंचने का मार्ग दुर्गम है । इन कोयला क्षेत्रों तक न कोई सड़क जाती है और न ही कोई रेल मार्ग ।

बगराकोटा क्षेत्र में दलिंगकोट खानों पर एक प्राइवेट पार्टी द्वारा काम किया जा रहा है । राज्य सरकार से खनन का आवश्यक पट्टा प्राप्त करने के पश्चात् कोई भी प्राइवेट पार्टी वहां कोयला निकालने का काम शुरू कर सकती है ।

(ग) एक विवरण, जिस में आसाम, बगराकोटा तथा बंगाल बिहार कोयला खानों का उत्पादन परिव्यय दिया गया है, सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४३]

बंगाल बिहार कोयला क्षेत्रों से प्राप्त कोयला आसाम तथा उत्तरी बंगाल की शेष आवश्यकताओं को पूरा करता है ।

इस समय कोई भी कोयला पाकिस्तानी जल-मार्ग से उत्तरी बंगाल को नहीं भेजा जाता है ।

**श्री बर्मन :** भाग (ग) के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जब यह उत्तर दिया जाता है कि विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है तो यह समान्यतया उस सदस्य के नाम में रख दिया जाता है जिस ने कि प्रश्न किया हो । मुझे यह विवरण नहीं मिल रहा है ।

**अध्यक्ष महोदय :** सचिव द्वारा इस मामले की जांच की जायगी ।

**श्री के० सी० रेड्डी :** क्या आप मुझे यह विवरण पढ़ने के लिये कहते हैं ?

**अध्यक्ष महोदय :** क्या यह एक लम्बा विवरण है ?

**श्री के० सी० रेड्डी :** इस में आंकड़े ही आंकड़े हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य विवरण को पढ़ लें, यही अच्छा होगा । फिर वह अपने अनुपूरक प्रश्न अधिक ठीक ढंग से कर सकेंगे । हम अब अगले प्रश्न को लेते हैं ।

जहां तक श्री बर्मन द्वारा विवरण की प्रति प्राप्त करने का सम्बन्ध है, मैं देखता हूं कि उन का नाम सूची के अन्त में दिया गया है क्योंकि यह विवरण कुछ देर से पहुंचा था, वह अब अगला प्रश्न कर सकते हैं । प्रश्न संख्या १०५३ ।

### कृषिसार उत्पादन

*१०५३. **श्री बर्मन :** (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२ में सिंदरी में कितनी मात्रा में कृषिसार तैयार होगा ?

(ख) सन् १९५२ में वितरण की योजना क्या है ?

(ग) व्यवसायिक फसलों को कितना दिया जाता है तथा अनाज की फसलों को कितना ?

(घ) आयात किये गये कृषिसारों के सम्बन्ध में यह वितरण किस प्रकार होता है ?

**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) :** (क) लगभग २००,००० टन ।

(ख) सिन्दरी कृषिसार फ़ैक्टरी में सन् १९५२ के अन्त तक जितना भी कृषिसार तैयार किया जायेगा वह खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को बेच दिया जायेगा जो इसे केन्द्रीय कृषिसार संग्रह में पहुंचा देगा । इस तरह से खरीदा गया कृषिसार आयात

किये गये कृषिसार के साथ मिला लिया जाता है तथा राज्य सरकारों और अन्य व्यवसायिक तथा औद्योगिक हितों को उन की मांगों के अनुसार 'नफा न नुक़सान' के आधार पर समान मूल्य पर वितरित किया जाता है। राज्यों में कृषिसारों का वितरण सम्बन्धित सरकारों की जिम्मेदारी है।

(ग) इस समय तक सिन्दरी में तैयार किये गये कृषिसार के २२,००० टन व्यवसायिक फ़सलों को आवंटित किये गये हैं (उत्तर पूर्वी भारत में चाय उद्योग के लिये १९,००० टन तथा मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिये ३,००० टन); तथा ४७,५०० टन की एक मात्रा विभिन्न राज्य सरकारों को दी गई है। भारत सरकार के पास इस समय ऐसी कोई सूचना नहीं है कि राज्य सरकारें व्यवसायिक फ़सलों तथा अनाज की फ़सलों में किस तरह से कृषिसारों का आवंटन करती है।

(घ) इसका उत्तर भाग (ख) में दिया गया है।

**श्री बर्मन**: श्रीमान्, इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि सिन्दरी कृषिसार फ़ैक्टरी के सम्पूर्ण उत्पादन से भी हमारी सारी अपेक्षायें पूर्ण नहीं होंगी क्या सरकार निकट भविष्य में ही दूसरी कृषिसार फ़ैक्टरी खोलने की प्रस्थापना कर रही है?

**श्री के० सी० रेड्डी**: श्रीमान्, इस का उत्तर यह है कि जहां तक अमोनियम सल्फेट का सम्बन्ध है जब हम अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो हमारी आवश्यकतायें सिन्दरी फ़ैक्टरी के उत्पादन से ही पूर्ण हो जायेंगी। शायद माननीय सदस्य किसी अन्य प्रकार के कृषिसारों के सम्बन्ध में बात कर रहे हैं जिन्हें तैयार करने के सम्बन्ध में सरकार कार्यवाही कर रही है।

**श्रीमती ए० काले**: मैं जान सकती हूं कि क्या कृषिसारों को काम में लाने के लिये किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता है, तथा यदि है, तो सरकार ने जनता तक, जो कि इन्हें काम में लाना चाहती है, यह ज्ञान पहुंचाने के लिये क्या कार्यवाही की है?

**श्री के० सी० रेड्डी**: मुझे यह मालूम नहीं कि कृषिसारों के प्रयोग के लिये किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री ही इस प्रश्न का उचित रूप से उत्तर दे सकते हैं।

**श्री तेलकीकर**: दिल्ली फ़ैक्टरी में किस किस प्रकार के कृषिसार तैयार किये जाते हैं।

**अध्यक्ष महोदय**: शान्ति, शान्ति।

**डा० पी० एस० देशमुख**: क्या माननीय मंत्री हमें बतलायेंगे कि केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से कृषिसार के प्रति मन के लिये कितना मूल्य प्राप्त होने, तथा कृषकों से कितना मूल्य वसूल किया जाने की आशा है?

**श्री के० सी० रेड्डी**: श्रीमान्, मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य को प्रति मन का क्रय मूल्य नहीं बता सकता हूं किन्तु मैं प्रति टन का मूल्य दे सकता हूं।

**अध्यक्ष महोदय**: उन का प्रश्न यह मालूम होता है कि क्या राज्य सरकारें कुछ लाभ कमाती हैं।

**श्री के० सी० रेड्डी**: उस के सम्बन्ध में एक अलग प्रश्न है। यह फ़ैक्टरी ३५० रुपये प्रति टन के हिसाब से खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को कृषिसार बेच रही है। आयात किये गये कृषिसार की लागत ३८० रुपये से लेकर ४०० रुपये प्रति टन तक है। दोनों को मिला कर मूल्य लगभग ३८० रुपये प्रति टन पड़ता है। इसी मूल्य

पर यह माल सिन्दरी के रेल स्टेशन पर अथवा किसी अन्य पत्तन पर दिया जाता है। और इस के बाद खाद्य तथा कृषि मंत्रालय इसे विभिन्न राज्यों तथा व्यवसायिक फ़सलों के कुछ उत्पादकों को देता है तथा उस मूल्य में भाड़ा अथवा रेल का खर्चा मिला दिया जाता है।

**श्री पी० टी० चाको:** मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास इन कृषिसारों की क़िस्म का परीक्षण करने की कोई व्यवस्था है, क्योंकि शिकायत यह आई है कि अलवाये फ़ैक्टरी में तैयार किया गया कृषिसार तेज़ाबी होता है ?

**श्री के० सी० रेड्डी:** अलवाये फ़ैक्टरी के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता। जहां तक सिन्दरी में तैयार किये गये कृषिसार का सम्बन्ध है मेरे पास इस समय कोई सूचना नहीं है। मेरा विचार है कि इस का परीक्षण करने के लिये कोई न कोई व्यवस्था अवश्य ही होगी।

**श्री कास्लीवाल:** क्या सरकार को उस पुस्तिका का ज्ञान है जो हाल ही में मीरा बहन ने प्रकाशित की है तथा जिस में कृषकों को कृषिसार काम में न लाने का परामर्श दिया गया है ?

**श्री के० सी० रेड्डी:** मुझे याद है कि मैंने इसे पढ़ा है परन्तु इस में ठीक ठीक क्या लिखा है यह मैं इस समय बता नहीं सकूंगा।

**श्री राघवैय्या:** मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन कृषिसारों को कृषि मंत्रालय द्वारा वितरित करायेगी अथवा किसी अन्य मंत्रालय द्वारा।

**श्री के० सी० रेड्डी:** श्रीमान्, इस का अधिकांश भाग खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा वितरित किया जाता है। विभिन्न राज्यों को देने के लिये उस की अपनी व्यवस्था है तथा राज्य इस को या तो कमीशन एजण्टों द्वारा या कुछ मामलों में सहकारी समितियों द्वारा वितरित कराती है।

**श्री सारंगधर दास:** उत्पादन परिव्यय के बारे में कल दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुये मैं जान सकता हूं कि क्या उत्पादन परिव्यय जाने बिना ही कृषिसार ३५० रुपये अथवा कुछ ऐसी ही क़ीमत पर बेचा जाता है ?

**श्री के० सी० रेड्डी:** कल मैं ने यह बताया था कि अन्ततोगत्वा परिव्यय मूल्य जो होगा वह मैं अभी नहीं बता सकता हूं क्योंकि जब हम अपने उत्पादन लक्ष को प्राप्त करेंगे तो हमारा उत्पादन परिव्यय निस्सन्देह ही कम हो जायेगा, वर्तमान परिव्यय मूल्य क्या है, यह मैं माननीय सदस्य को उस समय बता सकूंगा यदि वह मुझे इस प्रश्न की एक अलग पूर्वसूचना देंगे।

**श्री राघवैय्या:** श्रीमान्, इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि मद्रास सरकार ने इन कृषिसारों के वितरण का काम प्राइवेट कम्पनियों को दे रखा है, क्या इस पदार्थ में गत एक वर्ष से चोरबाज़ारी हो रही है ?

**श्री के० सी० रेड्डी:** श्रीमान्, मुझे इस का कोई ज्ञान नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय:** अगला प्रश्न।

**पटसन के माल के व्यादेशों का विकर्षण**

*१०५४. **श्री ए० सी० मुहा:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में दिये गये इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि टाट के लिये अमेरिका से जो व्यादेश दिये गये थे उन का अधिकांश भाग योरुपीय सार्थों के पास चला गया है;

(ख) यदि यह सत्य है तो क्या सरकार ने इस स्थिति के कारणों की जांच की है, तथा क्या उस ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है; तथा

(ग) किस किस योरुपीय देश ने हाल ही में पटसन की मिलें खोली हैं ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर)**: (क) तथा (ख) माननीय सदस्य का ध्यान १९ मई, १९५२ को श्री मुनीश्वर दत्त उपाध्याय द्वारा पूछे गय तारांकित प्रश्न संख्या १८ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है।

(ग) सरकार को इस बात का कोई ज्ञान नहीं कि किसी योरुपीय देश ने पटसन की मिलें खोली हैं। इस के विपरीत यह बताया गया है कि योरुपीय निर्माताओं ने हाल ही में अपना उत्पादन कम कर दिया है।

**श्री ए० सी० गुहा**: मैं जान सकता हूं कि किन देशों ने टाट का पटसन बनाने का काम अब शुरु किया है?

**श्री करमरकर** : मुझे इस की पूर्व सूचना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय**: अगला प्रश्न।

**सिन्दरी फ़ैक्टरी में उत्पादन**

*१०५५. **श्री झुनझुनवाला**: क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) सिन्दरी फ़ैक्टरी किस दिनांक से अमोनियम सल्फ़ेट १,००० टन प्रति दिन तैयार करने लगेगी, तथा

(ख) उत्पादन का लक्ष्य शीघ्र ही प्राप्त करने में कौन सी बाधायें हैं ?

**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)**: (क) माननीय सदस्य का ध्यान ४ जून, १९५२ को डा० ऐम० ऐम० दास द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४४४ के भाग (ङ) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तरों की ओर दिलाया जाता है।

(ख) सामान्य प्रारम्भिक कठिनाइयों का, जो कि सिन्दरी कृषिसार फ़ैक्टरी जैसी किसी भारी तथा जटिल रासायनिक फ़ैक्टरी के लिये अपरिहार्य हैं, धीरे धीरे निवारण हो रहा है।

**श्री झुनझुनवाला** : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सिन्दरी फ़ैक्टरी का उत्पादन त्रावनकोर कोचीन की प्राइवेट फ़ैक्टरी के उत्पादन से कम है ?

**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य सम्भवत: अलवाये की बात कर रहे हैं।

**श्री के० सी० रेड्डी** : श्रीमान्, मैं नहीं कह सकता कि यह अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न होता भी है या नहीं। कुछ भी हो मैं नहीं समझता कि सिन्दरी जैसे बड़े कारखाने तथा अलवाये जैसी छोटी फ़ैक्टरी में कोई तुलना हो सकती है।

**श्री गणपत राम** : क्या गवर्नमेंट उन ग़रीब किसानों को फ़र्टिलाइज़र्स (कृषिसार) कन्सेशन (रियायती) रेट पर दे सकती है या उन को बोने के समय दे कर हार्वेस्ट (फ़सल काटने) के टाइम में उन की क़ीमत वसूल कर सकती है ?

**श्री के० सी० रेड्डी**: जैसा कि मैं ने पिछले प्रश्न का उत्तर देते हुये कहा है, इस बात की व्यवस्था राज्य सरकारें स्वयं करती हैं, कृषकों को यह किस समय प्रदाय किया जाता है मैं यह नहीं बता सकता हूं।

**भारतीय चाय संस्था के श्रमिक**

*१०५६. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय**: (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय चाय संस्था

के अधीन कार्य करने वाले श्रमिकों को खाद्य के सम्बन्ध में क्या रियायतें दी जाती हैं ?

(ख) क्या उस रियायत को खत्म कर देने की प्रस्थापना है, तथा यदि है, तो क्यों ?

**श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि)** : (क) एक विवरण जिस में भारतीय चाय संस्था के अधीन चाय बागीचों में काम करने वाले श्रमिकों को दी जाने वाली खाद्य सम्बन्धी रियायतें बताई गई हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४४**]

(ख) कुछ समय से नियोजक इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि इन रियायतों के स्थान पर श्रमिकों को नक़द भत्ता दिया जाय क्योंकि उन्हें सुविधाजनक जगहों पर तथा कंट्रोल क़ीमतों पर नियमित रूप से अनाज नहीं दिया जाता है जिसे कि वह श्रमिकों में वितरित कर सकें तथा इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप चाय उद्योग को भारी खर्च उठाना पड़ता है इस प्रश्न पर एक से अधिक त्रिदलीय सम्मेलनों में विचार किया जा चुका है परन्तु कमकर तथा नियोजकों में कोई समझौता नहीं हो सका है, हाल ही में चाय की कीमतें गिर जाने के कारण भारतीय चाय संस्था ने इस मांग को फिर से दुहराया है, तथा इस पर विचार हो रहा है ।

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : श्रीमान्, विवरण से ऐसा ज्ञात होता है कि कमकरों को जितना अनाज दिया जाता है वह पर्याप्त नहीं है, क्या इन्हें अन्य खाद्य पदार्थों की अतिरिक्त मात्रा भी दी जाती है, यदि दी जाती है तो वह कितनी मात्रा है ?

**श्री वी० वी० गिरि** : मुझे इस की विसूचना चाहिये ।

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : यदि उन से यह रियायत ले ली गई तो उन्हें कितना महंगाई भत्ता देने की प्रस्थापना है ?

**श्री वी० वी० गिरि** : मैं इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता हूं क्योंकि इस विषय पर दोनों पक्षों को काफ़ी चर्चा करनी है ।

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : मैं जान सकता हूं कि प्रस्थापना क्या है ?

**श्री वी० वी० गिरि** : कई प्रस्थापनायें हैं—मैं इस समय कोई निश्चित बात नहीं कह सकता हूं ।

### कपड़े के परचून व्यापारी

*१०५७. **श्री धूसिया** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय दिल्ली में कपड़े के परचून व्यापारियों के नाम कुल कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि फरवरी तथा मार्च १९५२ के महीनों में लगभग १८०० परचून व्यापारी लाइसेंस रद्द कर दिये गये हैं, यदि कर दिये गये हैं तो किन आधारों पर ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर)** : (क) २७४६ ।

(ख) जी नहीं ।

### दामोदर घाटी परियोजना

*१०५८. **श्री एन० पी० सिन्हा** : क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दामोदर घाटी परियोजना प्रारम्भ में निश्चित किये गये समय में पूरी होगी ।

(ख) प्रस्थापित आठ बांधों में से क्या कोई बांध अब तक पूरा हुआ है ;

(ग) दामोदर घाटी परियोजना के क्रियान्वित किये जाने के परिणामस्वरूप अब तक कितने परिवार विस्थापित हो गये हैं ?

(घ) इस का निर्माणकार्य पूर्ण होने के समय तक कितने और परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना है ; तथा

(ङ) क्या इन विस्थापित व्यक्तियों को पुनःस्थापित किया गया है ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख):** (क) दामोदर परियोजना का पहिला भाग सन् १९५५ तक पूर्ण होना निश्चित है । इस लक्ष्यपूर्ति के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जायगा ।

(ख) योजना के प्रथम भाग में केवल चार बांधों का निर्माण शामिल है अर्थात् तिलैया बांध, कोनार बांध, मैथाने बांध तथा पंचेत पर्वत बांध, इन में से तिलैया बांध का निर्माणकार्य इसी वर्ष पूर्ण होगा तथा कोनार बांध का निर्माण कार्य अगले वर्ष पूर्ण होगा ।

(ग) इस समय तक ८१ परिवार विस्थापित हुए हैं ।

(घ) आठ बांधों के निर्माण तथा बिजलीघर की स्थापना से १०,००० परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना है ।

(ङ) इसका उत्तर हां में है ।

**श्री एन० पी० सिन्हा:** मैं पूछ सकता हूं कि क्या यह निगम पुनर्वास का कार्यभार बिहार राज्य सरकार को सौंपने की प्रस्थापना कर रहा है जैसा कि आंक समिति ने अपने पांचवें प्रतिवेदन में सुझाव दिया था ?

**श्री सी० डी० देशमुख:** आंक समिति की यह सिफ़ारिश तथा अन्य सिफ़ारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

**श्री एन० पी० सिन्हा:** मैं जान सकता हूं कि इस परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर बिहार में कितने एकड़ भूमि में सिंचाई होने की सम्भावना है ?

**श्री सी० डी० देशमुख:** मुझे इस प्रश्न की पूर्वसूचना चाहिये ।

**प्रो० अग्रवाल:** मैं जान सकता हूं कि दामोदर घाटी निगम के नवीनतम प्राक्कलन क्या हैं ?

**श्री सी० डी० देशमुख:** मैं समझता हूं कि कुछ समय के बाद ही इस पर चर्चा होगी । मैं केवल इतना कहूंगा कि यह लगभग ९० करोड़ रुपये है ।

**श्री बी० के० दास:** मैं जान सकता कि क्या प्रारम्भ में कार्यपूर्ति का निश्चित समय सन् १९५५ न रख कर, कार्यारम्भ के पश्चात् पांच वर्ष रखा गया था ? क्या यह सत्य है कि सन् १९५५ का निश्चित समय बाद में तय किया गया है ?

**श्री सी० डी० देशमुख:** मुझे यह बताने के लिये कि मूल प्राक्कलन में कौन सा निश्चित दिनांक दिया गया था, पूर्वसूचना चाहिये ।

**कोयला ढोने के लिये रेल डब्बे**

*१०५९. **पंडित डी० एन० तिवारी:** क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बिहार की कोयला खानों में कोयला ढोने के लिये प्रति वर्ष कुल कितने रेल डब्बों की आवश्यकता होती है ;

(ख) सन् १९५१–५२ में बिहार की विभिन्न कोयला खानों द्वारा कितने डब्बों के लिये व्यादेश दिये गये थे; तथा

(ग) सन् १९५१-५२ में कुल कितने डब्बे वास्तव में दिये गये ?

**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) सन् १९५१-५२ में बिहार की कोयला खानों से जो उत्पादन हुआ है उस के आधार पर ८,५४,९१८ डब्बे ।

(ख) बिहार के कोयला क्षेत्रों के लिये डब्बों सम्बन्धी व्यादेश आंकड़े अलग नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) सन् १९५१-५२ में बिहार की कोयला खानों से जितना कोयला भेजा गया है उस के आधार पर ७,३८,८१५ डब्बे ।

**पंडित डी० एन० तिवारी**: मैं जान सकता हूं कि उत्तरी बिहार को कितने डिब्बे भेजे गये थे ?

**श्री के० सी० रेड्डी** : श्रीमान्, मुझे खेद है कि उत्तरी बिहार के लिये मेरे पास अलग आंकड़े नहीं हैं ।

**काश्मीर तथा चीनी तुर्किस्तान में व्यापार**

*१०६०. **श्री गुलाम क़ादिर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या निकट भविष्य में काश्मीर तथा चीनी तुर्किस्तान और तिब्बत के बीच व्यापार पुनः शुरू होने की कोई सम्भावना है ;

(ख) क्या इस विषय में कोई बातचीत की गई है ;

(ग) चीनी तुर्किस्तान और तिब्बत में भारतीय व्यापारियों की इस समय संख्या क्या है; तथा

(घ) इन स्थानों पर भारतीय व्यापारियों का कुल कितने रुपये का माल है ?

**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (घ). तिब्बत के साथ भारतीय व्यापारी सामान्य ढंग से व्यापार कर रहे हैं । यह लोग वहां केवल ग्रीष्म काल ही में जाते हैं ।

काशगर के हमारे वाणिज्य दूतावास के बन्द हो जाने के कारण चीनी तुर्किस्तान के साथ हमारे व्यापार को काफ़ी क्षति पहुंची है, वहां की असन्तोषजनक स्थानीय स्थिति के कारण अधिकांश भारतीय व्यापारी सिक्यांग में अपना व्यापार बन्द कर के यहां चले आये हैं । काशगर में हमारा वाणिज्य दूतावास पुनः खोले जाने के सम्बन्ध में चीन की सरकार से बातचीत हो रही है जब तक कि यह वाणिज्य दूतावास पुनः खुल नहीं जायगा, चीनी तुर्किस्तान के साथ निकट भविष्य में व्यापार करने की आशायें अधिक उज्ज्वल नहीं हैं ।

भारतीय व्यापारियों का इन देशों में कुल कितने रुपये का माल पड़ा हुआ है, यह मालूम नहीं है ।

**श्री गुलाम क़ादिर** : क्या हिन्दुस्तान के ताजरां (व्यापारियों) को चीनी तुर्किस्तान में कुछ नुक़सान पहुंचा है ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू**: जब तिजारत एकाएक रुक जाती है तो नुक़सान पहुंचता ही है ।

**डा० पी० एस० देशमुख** : मैं जान सकता हूं कि क्या चीनी तुर्किस्तान कम्युनिस्ट सरकार के अधीन है, तथा यदि यह सत्य है कि यह उस सरकार के अधीन है तो क्या निकट भविष्य में वहां व्यापार के खुल जाने की कोई सम्भावना है ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : चीनी तुर्किस्तान चीन की लोक सरकार के अधीन है। सामान्यतः सरकारों को उनके ठीक ठीक नामों से पुकारा जाता है न कि उन के विशेषणों से—माननीय सदस्य जैसा भी चाहें कहें, हम चीन की लोक सरकार के साथ हर तरह से व्यवहार करने का इरादा रखते हैं ।

**श्री जी० पी० सिन्हा**: प्रधान मंत्री ने बताया कि भारतीय व्यापारियों को प्रति-

प्रतिकूल परिस्थितियों का मुक़ाबिला करना पड़ा है। मैं जान सकता हूं कि वहां इस समय क्या प्रतिकूल परिस्थितियां हैं ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू**: गत दो एक वर्षों में सिनक्यांग के उन क्षेत्रों में स्थिति सदैव स्थिर नहीं रही है तथा व्यापार के सम्बन्ध में भी हर प्रकार की कठिनाइयां थीं। कुछेक शब्दों में यह सारी बातें बता देना कठिन है।

**श्री पुन्नूस**: क्या प्रधान मंत्री के कहने का आशय यह है कि चीन की सरकार द्वारा भारतीय व्यापारियों के सम्बन्ध में विशेष रूप से कुछ भेदभाव की नीति बरती गई है ?

**अध्यक्ष महोदय**: शान्ति, शान्ति। यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

**श्री पुन्नूस**: श्रीमान्, यह उत्पन्न होता है.....

**अध्यक्ष महोदय**: यह उत्पन्न नहीं होता है, चीन की सरकार का रवैया कैसा रहा है। हमारा इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

**श्री पुन्नूस**: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारतीयों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल अथवा भेदभाव की नीति बर्ती गई।

**श्री जवाहरलाल नेहरू**: श्रीमान्, मैं इस का उत्तर देता हूं। उन के लिये व्यापार करना कठिन हो गया था।

**काश्मीर सीमा पर पाकिस्तान के छापे**

*१०६१. **श्री गुलाम कादिर**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) सन् १९५१-५२ में पाकिस्तान ने जम्मू तथा काश्मीर की सीमा पर कुल कितने छापे मारे;

(ख) इन में से काश्मीर की तरफ़ कितने हुए तथा जम्मू की तरफ़ कितने, तथा इन इलाक़ों में जन, धन तथा सम्पत्ति की कितनी क्षति हुई ; तथा

(घ) इन छापों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही, यदि कोई हो, की गई है ?

**प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) १ जनवरी, १९५१ से ले कर १ जून, १९५२ तक ४५।

(ख) जम्मू की तरफ ४३ तथा काश्मीर की तरफ़ २।

**जन हानि—**

**हत** : ४ **सैनिक** तथा ४ असैनिक

**आहत** : ११ सैनिक, २ जम्मू तथा काश्मीर पुलिस के सिपाही तथा ४ असैनिक **व्यक्ति**।

**सम्पत्ति की हानि**:

लगभग ६,६१५ रुपये के ज़ेवरों और बरेलू बर्तन आदि के अलावा नक़दी लूटी गई।

३ रायफलें, २५० गोलियां।
भेड़ व बकरी ९३१।
अन्य पशु (मवेशी) १२५।
घोड़ी एक।

(ग) ऐसे छापों को पूर्ण रूप से रोकना संभव नहीं है। कहीं ऐसे छापे दोबारा न होने पायें इस के लिये सीमा तथा युद्ध बन्दी रेखा के साथ साथ पुलिस तथा सेना नियुक्त की गई है। पुलिस तथा सेना की जागरूकता से अक्तूबर १९५१ से इन छापों की संख्या कम हुई है।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी**: मैं जान सकता हूं कि क्या यह छापे पाकिस्तान की सेना अथवा पुलिस ने मारे थे, अथवा वहां के लोगों ने मारे थे ?

**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: माननीय सदस्य यह देखेंगे कि डेढ़ साल के समय में इन छापों के परिणामस्वरूप

सम्पत्ति की हानि अधिक नहीं रही है। यह मामूली छापे थे जो सेना ने नियमित रूप से नहीं किये थे, मैं यह नहीं कह सकता हूं कि यह संभव ही नहीं है कि सेना का भी इस में हाथ हो परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि यह सेना द्वारा नियमित रूप से नहीं किये गये थे।

**श्री पूनस:** क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वह इस बात पर विचार करेंगे कि सीमा पर रहने वाली हमारी जनता को हथियार दिये जायं जिन्हें वह आत्म-रक्षा के लिये काम में ला सकें ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू :** वहां पर्याप्त सेना है जो वहां रक्षण के लिये काफी गश्त लगाती है, वहां एक प्रकार की अनियमित सेना भी है जिस में वह लोग भर्ती हो सकते हैं जो इस काम में सहायता करना चाहते हों।

### पाकिस्तान में असैनिक बन्दी

***१०६२. श्री ग़ुलाम क़ादिर :** क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सत्य है कि कुछ असैनिक क़ैदी युद्ध बन्दी क़रार के बाद भी पाकिस्तान द्वारा मुक्त नहीं किये गये हैं; तथा

(ख) क्या इस विषय पर पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत हो रही है ?

**प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र):** (क) तथा (ख) बताया गया है कि युद्ध-बन्दी के समय जम्मू तथा काश्मीर सरकार के १४ असैनिक कर्मचारी पाकिस्तान की जेलों में थे, भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को सुझाव दिया कि इन क़ैदियों को उस बन्दी-विनिमय में शामिल किया जाय जिसके बारे में सन् १९५० में समझौता हुआ था, केवल एक क़ैदी एक समय रिहा किया गया तथा ६ अन्य बन्दी बाद को रिहा किये गये। पाकिस्तान सरकार ने सूचना दी है कि दो क़ैदी काश्मीर के पाकिस्तान-अधिकृत क्षेत्र में बस गये हैं, और शेष पांच क़ैदियों का कोई पता नहीं।

**श्री ग़ुलाम क़ादिर:** जो लोग वहां पर बन्द हैं क्या मैं उन के नाम जान सकता हूं ?

**श्री सतीश चन्द्र :** इस वक्त नाम बताना तो मुश्किल है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बाद में बता सकता हूं।

**श्री ग़ुलाम क़ादिर:** जो लोग वहां सेटिल (बस गये हैं) हो गये हैं उन के क्या नाम हैं ?

**श्री सतीश चन्द्र :** नाम तो पता नहीं हैं।

**श्री मुहम्मद शफ़ी चौधरी :** उन का पता ?

**श्री सतीश चन्द्र:** नाम मालूम नहीं है तो पता कैसे मालूम हो सकता है।

**श्री ग़ुलाम क़ादिर:** मैं कहना चाहता हूं कि छः प्रिज़नर्स (बन्दी) जो कि सन् १९४८ में गिरफ्तार किये गये थे वह अभी तक वहां बन्द हैं। उन में से चार सोनामर्ग में, एक करगिल में और एक ज़ोजीला में पकड़े गये थे ?

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं। इस का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

**श्री ए० सी० गुहा:** मैं जान सकता हूं कि क्या युद्ध-बन्दी के समय दूसरी ओर के भी कुछ असैनिक बन्दी हमारे पास थे, तथा यदि थे, तो उनका क्या हुआ है ?

**श्री सतीश चन्द्र :** मुझे इस के लिये पूर्व सूचना चाहिये।

**उन्नति शुल्क**

*१०६३. **डा० नटवर पांडे** : क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हीराकुद बांध योजना से जिन लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा उन से उन्नति शुल्क के रूप में कितना धन वसूल करने की प्रस्थापना है ; तथा

(ख) इस प्रकार से जो धन राशि वसूल होगी क्या वह उड़ीसा राज्य की सम्पूर्ण वार्षिक आय से बहुत अधिक होगी ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : (क) तथा (ख). उड़ीसा राज्य से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे यथासंभव शीघ्र ही सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

**भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति**

*१०६४. **श्री कण्डास्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति ने सरकार से प्रार्थना की है कि इसे निर्यात परामर्शदात्री परिषद् में प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये; तथा

(ख) इस पर अन्तिम रूप से क्या निश्चय किया गया है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तेल तथा तिलहन निर्यात व्यापार के दो सदस्यों को, जो कि भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति के भी सदस्य थे, प्रतिनिधित्व दिया गया था । इस में कुछ परिवर्तन करने के प्रश्न पर उस समय विचार किया जायेगा जब कि आगामी अक्तूबर में यह परिषद् दुबारा बनाई जायगी ।

**श्री के० जी० देशमुख** : मैं जान सकता हूं कि इस परिषद् के सदस्य कौन कौन हैं ?

**श्री करमरकर** : मुझे इस की पूर्व-सूचना चाहिये । यह सूचना सरकारी सूचना पत्र में दी गई है, और जो पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

**दामोदर घाटी निगम द्वारा दिये गये ठेकों की दर अनुसूचि**

*१०६५. **श्री शंकरपांडियन** : क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम ठेके देने के लिये कोई दर-अनुसूची रखता है ;

(ख) यदि रखता है तो किस वर्ष से ; तथा

(ग) किस आधार पर यह दर निश्चित किये गये हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** :

(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सन् १९४९ से

(ग) अनुसूची के दर श्रम तथा सामग्री के चालू दरों के आधार पर निर्धारित किये गये हैं । इस सम्बन्ध में उसी विस्तृत विवरण को ध्यान में रखा गया था जो बिहार सरकार के जन वास्तु विभाग ने छोटानागपुर क्षेत्र में अपने निर्माण कार्यों के लिये निश्चित किया है, क्योंकि दामोदर घाटी निगम के निर्माण कार्य-स्थान इसी क्षेत्र में स्थित हैं ।

**दामोदर घाटी निगम द्वारा ठेके**

*१०६६. **श्री शंकरपांडियन** : क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि दामोदर घाटी निगम टेंडर लिये बिना ही बातचीत द्वारा लोगों को ठेके दे देता है ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : ठेके साधारणतया टेंडर ले कर ही दिए जाते हैं । केवल कुछेक मामलों में, जहां कि काम कम हो तथा अतिआवश्यक प्रकार का हो, टेंडर लिये बिना ही ठेके दिये जाते हैं।

**श्री सारंगधर दास**: यदि ठेके की राशि किसी विशिष्ट राशि अर्थात् २०,००० अथवा ३०,००० रुपये से अधिक हो तो क्या सारे भारत से टेंडर लिये जाते हैं।

**श्री सी० डी० देशमुख**: मुझे इस प्रश्न की पूर्वसूचना चाहिये ।

### आंक समिति की पांचवीं रिपोर्ट

*१०६७. **श्री केलाप्पन** : क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आंक समिति ने अपनी पांचवीं रिपोर्ट (१९५१–५२) के पैरा १२ में एक ही अधिकारी द्वारा प्राक्कलन और प्रस्थापनायें तैयार किये जाने तथा उन्हें स्वीकृत और क्रियान्वित किये जाने के जो दोष तथा त्रुटियां दी गई हैं, क्या उन्हें दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : यह प्रश्न आज प्रातः ही हस्तान्तरित किया गया है तथा इस के उत्तर को परिचालित करना संभव नहीं हो सका है। इस कंडिका में जिस सिद्धान्त पर ज़ोर दिया गया है वह प्रत्यक्षतः ठीक प्रतीत होता है परन्तु जैसा कि मैं ने पहले भी सदन में बताया है इस सारी रिपोर्ट का इस समय परीक्षण हो रहा है तथा इस अवस्था पर कोई निर्णायक उत्तर देना संभव नहीं है ।

**श्री केलाप्पन**: क्या यह सत्य नहीं है कि आंक समिति ने गत वर्ष सिफ़ारिश की थी कि आयोग एक ऐसा निकाय होना चाहिये जो सचिवालय से अलग हो तथा इसके सभापति को सचिवालय में कोई पदेन पद नहीं दिया जाना चाहिये और न ही प्रशासनिक व्यवस्था में उसका कोई हाथ होना चाहिये ? यदि यह सत्य है, तो इस सिफ़ारिश को क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया है ?

**श्री सी० डी० देशमुख**: मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं कि गत वर्ष ऐसी कोई सिफ़ारिश की गई थी ।

### कामनवेल्थ ट्रस्ट द्वारा प्रबन्धित फ़ैक्टरियां

*१०६८. **श्री केलाप्पन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मालाबार तथा दक्षिण कनारा में कामनवेल्थ ट्रस्ट (इंगलैण्ड में स्थापित) द्वारा जिन फैक्टरियों का प्रबन्ध किया जा रहा है क्या वह भारत सरकार के स्वामित्व में हैं ;

(ख) सरकार उन सम्पत्तियों से कैसे लाभ उठाती है ;

(ग) ट्रस्ट (न्यास) में क्या क्या सम्पत्तियां हैं ;

(घ) नफा किस तरह से बांटा जाता है तथा लाभ उठाने वाले कौन हैं ;

(ङ) संग्रहित लाभ, यदि कुछ हो तो, कितना है,

(च) इस ट्रस्ट (न्यास) के प्रबन्ध के सम्बन्ध में क्या सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(छ) क्या सरकार इस ट्रस्ट (न्यास) के कार्य संचालन की कोई जांच करवायेगी ; तथा

(ज) इस न्यास (ट्रस्ट) के निबन्धन क्या हैं ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर)**: (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग), (घ), (ङ) तथा (ज). सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(च) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) जांच कराने का कोई इरादा नहीं है ।

**श्री केलाप्पन**: कामनवैल्थ ट्रस्ट लिमिटिड द्वारा इस समय जिस सम्पत्ति का प्रबन्ध किया जा रहा है वह जर्मनों की थी तथा युद्धकाल में भारत सरकार ने इसे शत्रु-सम्पत्ति मान कर ज़ब्त कर लिया था । मैं जानना चाहता हूं कि इस का स्वामी अब कौन है—क्या यह भारत सरकार की है अथवा इस समवाय की ?

**श्री करमरकर**: भारत सरकार को इसका स्वामित्व प्राप्त नहीं है । जहां तक उपलब्ध सूचना का सम्बन्ध है कामनवैल्थ ट्रस्ट लिमिटिड (इंगलैण्ड में स्थापित) की दक्षिण भारत में सात टाईल फ़ैक्टरियां हैं । इस समवाय का पूर्णतयः स्वतन्त्र अस्तित्व है तथा यह अपने काम धाम का स्वयं प्रबन्ध करती है । हमारा इस से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

**श्री दामोदर मेनन**: ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री प्रश्न समझ नहीं सके हैं । प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री को विदित है कि यह सम्पत्ति जर्मनों की है ?

**श्री करमरकर**: जी नहीं, श्रीमान् । हमें इस बात का ज्ञान नहीं है । हम ने मद्रास सरकार से कामनवैल्थ ट्रस्ट लिमिटिड के बारे में विशेष विवरण भेजने की प्रार्थना की है । निस्सन्देह हमारा इससे सम्बन्ध नहीं है ।

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

**निराश्रित महिलायें तथा अनाथ बच्चे**

***१०३५. सरदार हुक्म सिंह**: (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १ मार्च, १९५१ तथा १ मार्च, १९५२ को योल कैम्प में निराश्रित महिलाओं तथा अनाथ बच्चों की संख्या क्या थी ?

(ख) उनको क्या सहायता दी गई है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)**: (क) क्रमशः ९०६ तथा ९४० ।

(ख) इन को अनाज, सूती तथा ऊनी कपड़े, नकद सहायता, जलाने के लिये मुफ्त लकड़ी तथा निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें दी जाती हैं । इसमें से कुछेक को, जो इस का लाभ उठायें, कैम्प के स्कूल में निःशुल्क शिक्षा तथा कैम्प के प्रशिक्षण एवं कार्य केन्द्र में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है ।

**खुर्शेद लाल मार्केट में दुकानें**

***१०३७. सरदार हुक्म सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) सदर बाज़ार, दिल्ली में जो खुर्शेद लाल मार्केट बनाया गया है उस में एक दुकान की औसत लागत क्या होगी ?

(ख) लोगों से इन दुकानों का कितना किराया लिया जाता है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)**: (क) चूंकि यह मार्केट अभी तैयार नहीं हुआ है इसलिये प्रत्येक दुकान की लागत बताना संभव नहीं है ।

(ख) किराया अभी निश्चित नहीं किया गया है ।

**रेशम (उत्पादन तथा आयात)**

***१०३८. सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) भारत में सन् १९५१-५२ में कितना कच्चा रेशम तैयार किया गया ;

(ख) इसी काल में कितना रेशम, यदि कुछ हो तो, आयात किया गया ;

(ग) सब से अधिक रेशम किस राज्य ने तैयार किया ;

(घ) सन् १९५०-५१ तथा सन् १९५१-५२ में कितने क्षेत्र में शहतूत के वृक्ष लगाये गये ; तथा

(ङ) क्या रेशम बनाने के उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १९,२२,०८८ पौंड ।

(ख) ६७६,४६१ पौंड ।

(ग) मैसूर ।

(घ) एक विवरण, जिस में सन् १९५०, १९५१ तथा १९५२ में शहतूत के वृक्षों के क्षेत्र तथा शहतूत के वृक्षों की संख्या दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है ।

(ङ) जी हां, श्रीमान् ।

---

विवरण

| वर्ष | शहतूत की कृषि का क्षेत्र (एकड़ों में) | शहतूत के वृक्षों की संख्या |
|---|---|---|
| १९५० | १,१४,९९१ | १९,४२,०२ |
| १९५१ | १४९,७५८ | १९,८०,३५६ |
| १९५२ | विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस समय सन् १९५१ के आंकड़ों में किसी वृद्धि की पूर्वावधारणा नहीं की जाती है । | |

**श्री सुधीर घोष**

*१०६९. **प्रो० अग्रवाल** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या श्री सुधीर घोष संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार से कुछ ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका गये हैं जिस से कि वह फ़रीदाबाद नगरी के आस पास के ग्रामों में एक अग्रिम सामुदायिक परियोजना का सूत्रपात कर सकें ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : जी नहीं । वह सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर वैयक्तिक रूप में वहां गये हैं ?

**फ़रीदाबाद में बेकारी**

*१०७०. **प्रो० अग्रवाल** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे कि फ़रीदाबाद नगरी में फैली बेकारी को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : सरकार एक जर्मन सार्थ के सहयोग से फ़रीदाबाद में एक डीज़ल इंजन फ़ैक्टरी स्थापित करने की प्रस्थापना कर रही है तथा इस फ़ैक्टरी में अन्ततोगत्वा १,००० से अधिक कमकरों के भर्ती होने की आशा है । कुछ प्राइवेट उद्योग पतियों को फैक्टरियां स्थापित करने के लिये जगहें दी गई हैं । इन में से मुख्य फ़ैक्टरियां इन चीज़ों की होंगी :— कृत्रिम ज़ेवरात, गोटा किनारी, रबड़ की बनी हुई चीज़ें तथा कांच की चीज़ें । यह भी निश्चय किया गया है कि सरकारी छापेखाने को शिमला से फ़रीदाबाद लाया जाय; इस छापेखाने के खुल जाने से बहुत से कमकरों को काम मिल जायगा । भारतीय सहकारी संघ को कुछ विशिष्ट छोटे पैमाने के उद्योग खोलने के लिये धन दिया गया है तथा इस से भी लगभग ५०० कमकर सेवायुक्त होंगे ।

इस बीच फ़रीदाबाद प्रशासन को मालवीय नगर, कालकाजी, लाजपत नगर तथा करबला में हो रहे निर्माण कार्यों के ठेके दिये गये हैं जिस से कि फ़रीदाबाद के निवासियों को कम से कम उस समय तक अस्थायी रूप से काम मिल सके जब तक कि किसी स्थायी काम का बन्दोबस्त न हो।

### सामुदायिक परियोजनायें

*१०७१. **प्रो० अग्रवाल** : क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या समस्त ५५ सामुदायिक परियोजनाओं पर, जो अब तक चुनी गई हैं, १ सितम्बर, १९५२ से कार्य होना शुरू होगा ;

(ख) अगले वर्ष कितनी और सामुदायिक परियोजनाओं को प्रारम्भ किये जाने की आशा है ;

(ग) योजना आयोग भारत के समस्त ग्रामों को ऐसे सामुदायिक परियोजनाओं के अन्तर्गत लाने की कब आशा करता है ;

(घ) सरकार सामुदायिक परियोजनाओं के लिये अमेरिका की सरकार से कब और अधिक ऋण प्राप्त करने की आशा करती है, तथा

(ङ) क्या इस ऋण के लिये उन्हीं शर्तों के आधार पर बातचीत हो रही है जो भारत-संयुक्त राज्य टैक्नीकल सहकारिता क़रार में दी गई है ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : (क) विकास आयुक्तों के सम्मेलन में पिछले महीने जो कार्यक्रम तैयार किया गया है उस के अनुसार इन परियोजनाओं पर अक्तूबर १९५२ के आरम्भ में काम शुरू होने की आशा है

(ख) तथा (ग) । वर्तमान कार्यक्रम उत्कृष्ट विकास कार्यक्रम की ओर पहिला कदम है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ वर्षों में सारे देश के आ जाने की आशा है । ठीक ठीक व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत इस विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जायगा, समय समय पर निर्धारित की जायगी तथा यह उपलब्ध साधनों पर निर्भर होगी ।

(घ) तथा (ङ) । जब कि इस बात की संभावना है कि सन् १९५२–५३ में संयुक्त राज्य अमेरिका से और अधिक सहायता प्राप्त होगी, फिर भी इस समय इस सम्बन्ध में कोई बातचीत नहीं चल रही है । बातचीत का प्रश्न तब तक उत्पन्न ही नहीं होगा जब तक कि इस के ठीक ठीक आकार तथा विस्तार की सूचना सरकार को अधिकृत रूप से न दी जाय ।

### रिहांद बांध परियोजना

*१०७२. **श्री गणपति राम** : क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रिहांद बांध परियोजना (मिर्ज़ापुर) बहुप्रयोजनीय विकास परियोजनाओं में शामिल है;

(ख) यदि है, तो यह कब शुरू की जाने वाली है तथा केन्द्रीय सरकार की ओर से इस में कितना अंशदान दिया जायगा;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस परियोजना को प्रारम्भ करने में भाग लेने का फ़ैसला किया है ; तथा

(घ) यदि किया है तो किस सीमा तक ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : (क) जी हां ।

(ख) अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

(ग) तथा (घ) । प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

**पारेषक**

*१०७३. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर**: क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने सन् १९४९ में ५० किलोवाट के छः पारेषक (ट्रांसमिटर) आयात किये थे;

(ख) यदि किये थे, तो उन की लागत क्या थी;

(ग) क्या यह सत्य है कि इन में से एक ट्रांसमिटर जालंधर रेडियो स्टेशन के लिये था तथा यह वहां नहीं लगाया गया है ;

(घ) यदि यह सत्य है, तो इसका कारण क्या है ;

(ङ) क्या यह सत्य है कि इन में से अधिकांश ट्रांसमिटर सरकार के पास गत चार वर्षों से बेकार पड़े हैं तथा उन के वाल्व भी अब किसी काम के नहीं रह गये हैं; तथा

(च) यदि यह सत्य है, तो इन वाल्वों का मूल्य क्या है तथा इस नुक़सान के लिये कौन ज़िम्मेदार हैं ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) जी हां, श्रीमान् । सन् १९४८-४९ तथा १९४९-५० में ।

(ख) ३३.६ लाख रुपये ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) जब यह ट्रांसमिटर गोदाम में रखे हुये थे तो इन में से कुछेक के वाल्वों मे कुछ ख़राबी हो गई ।

(च) वाल्वों का मूल्य लगभग दो लाख रुपये है । नुक़सान का कारण ट्रांसमिटरों में घटिया क़िस्म की सामग्री का काम में लाया जाना मालूम होता हैं । निर्माताओं को इन के मुफ्त प्रतिस्थापन के लिये कहा गया है ।

**पंजाब तथा आसाम के लिए पारेषक**

*१०७४. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सत्य है कि गत तीन वर्षों में किसी समय आसाम तथा पंजाब के सीमान्त प्रदेशों के लिये १० किलोवाट के दो ट्रांसमिटर आयात किये गये हैं; तथा

(ख) यदि किये गये थे, तो क्या यह सत्य है कि पंजाब में ऐसा कोई ट्रांसमिटर नहीं लगाया गया है, तथा यदि नहीं लगाया तो क्यों नहीं ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) आल इंडिया रेडियो की विकास योजना के सिलसिले में १० किलोवाट (मीडयम वेव) के दो पारेषक (ट्रांसमिटर) आयात किये गये थे, यह निश्चित रूप से किसी विशिष्ट राज्य में लगाने के लिये नहीं मंगाये गये थे ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

**अमरीकन रूई**

*१०७५. **श्री के० जो० देशमुख**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) भारत सरकार ने भारत को कपड़ा मिलों में वितरण के लिये सन् १९५१-५२ में जो अमरीकन रूई ख़रीदी थी उस का ठेके के अनुसार प्रति गांठ मूल्य क्या था ; तथा

(ख) इस रूई की कितनी गांठें अब तक भारत पहुंच चुकी हैं ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर)** : (क) भारत सरकार ने कोई अमरीकन रूई नहीं ख़रीदी थी ; परन्तु मिलों तथा व्यापारियों को अमरीकी रूई की ११·२५ लाख गांठें आयात करने के लिये आयात लाईसेंस दिये गये हैं :

मूल्य के बारे में कोई ठेका नहीं है । यह व्यापारियों का काम है कि वह वहां के व्यापारियों के साथ मूल्य निश्चित करें ।

(ख) ४०० पौंड वाली ८,३७,००० गांठें ।

**नदी घाटी तथा परियोजनाओं के बारे में वृत्तान्त और विवरण**

*१०७६. **सेठ अचल सिंह** : (क) क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुद परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना और ककरापाड़ा परियोजना के प्रभारी व्यक्तियों से व्यय के मासिक वृत्तान्त और विवरण मंगाये जाते हैं ?

(ख) यदि नहीं मंगाये जाते हैं, तो क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : (क) जी हां, श्रीमान् । यह परियोजना अधिकारियों से नियमित रूप से प्राप्त किये जाते हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

**नारियल की जटा तथा उस से बनी हुई वस्तुएं**

*१०७७. **श्री ए० एम० थामस** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ में भारत से कितनी नारियल की जटा, उस का रेशा तथा उस से बनी हुई चीज़ें निर्यात की गई हैं ;

(ख) किन किन देशों को यह माल निर्यात किया गया तथा प्रत्येक देश को कितनी कितनी मात्रा में यह चीज़ें निर्यात की गई ;

(ग) भारत से कितने मूल्य का माल निर्यात किया गया ;

(घ) सन् १९५२ में उपरोक्त वस्तुओं की कुल कितनी मात्रा निर्यात की गई ; तथा

(ङ) नारियल की जटा तथा उस से बने माल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये क्या सरकार के पास कोई परियोजना है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग) । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४५**]

(घ) सन् १९५२ की पहली तिमाही में १५,८०९ टन ।

(ङ) इस मामले पर विचार हो रहा है ।

**हीराकुद बांध परियोजना के लिये उड़ीसा सरकार को अग्रिम धन**

*१०७८. **श्री बी० एन० मिश्र** : क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हीराकुद बांध के निर्माण के लिये उड़ीसा राज्य को कितना धन पेशगी दिया गया है तथा क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने इस समय तक दिये गये धन पर ब्याज दिया है ;

(ख) हीराकुद बांध परियोजना के कर्मचारियों के लिये मकान बनवाने पर कुल कितनी लागत आई है ;

(ग) क्या कर्मचारीवर्ग मकानों के किराये के रूप में तथा क्वार्टरों में खर्च हुई बिजली के मूल्य के रूप में कुछ पैसा देते हैं ;

(घ) यदि देते हैं तो कितना ; तथा

(ङ) क्या हीराकुद बांध परियोजना में सेवायुक्त कर्मचारियों को कुछ निर्माण भत्ते भी दिये जाते हैं, तथा यदि दिये जाते हैं, तो किस दर पर ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : (क) सरकार ने उड़ीसा राज्य को निम्नलिखित ऋण दिये हैं जिस से कि वह हीराकुद बांध परियोजना के व्यय को पूरा कर सके :—

| | रुपये लाखों में |
|---|---|
| १९४८-४९ | ८१ |
| १९४९-५० | ३०७ |
| १९५०-५१ | ४३९ |
| १९५१-५२ | ८०० |
| योग | १६२७ |

राज्य सरकार नियमित रूप से उपरोक्त क़र्ज़ों पर ब्याज देती है ।

(ख) ७२,३५,००० रुपये ।

(ग) कर्मचारीवर्ग को बिना किराये के मकान तथा निःशुल्क बिजली दी जाती है । कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिये हाल ही में विद्युत का मुफ्त उपभोग कुछ हद तक सीमित किया गया है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ङ) जी हां, श्रीमान् । श्रेणी १ तथा २ के अधिकारियों तथा श्रेणी ३ तथा श्रेणी ४ के कर्मचारियों को एक निर्माण (प्रतिकर) भत्ता भी दिया जाता है, जो वेतन का २० प्रतिशत है तथा जिस की अधिकतम परिसीमा इस प्रकार है : —

| पद उत्सर्ग | अधिकतम परिसीमा रुपये प्रति मास |
|---|---|
| चीफ़ इंजीनियर, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर तथा इसी श्रेणी के अन्य अधिकारी । | १५० |
| कार्यपालक इंजीनियर तथा इसी दर्जे के अन्य अधिकारी । | १२५ |
| सहायक कार्यपालक, इंजीनियर, सहायक इंजीनियर तथा इसी श्रेणी के अन्य अधिकारी । | ७५ |
| तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी । | १०० |

### ऊन

*१०७. **श्री बलवन्त सिन्हा महता** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितनी ऊन पैदा की जाती है तथा इसका कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में पैदा किया जाता है ; तथा

(ख) क्या राजस्थान के व्यापारियों को उसी अनुपात में ऊन भारत से निर्यात करने की अनुमति दी जाती है जिस अनुपात से यह वहां उत्पन्न होती है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर)** : (क) भारत में ऊन के वार्षिक उत्पादन का अनुमान ५.४५३ करोड़ पौंड

है तथा इस में से राजस्थान का भाग ३२.५ प्रतिशत है।

(ख) ऊन के निर्यात के लिये मुक्त रूप से लाईसेंस दिये जा रहे हैं जो कि ३१ अगस्त, १९५२ तक वैध हैं तथा राजस्थान के व्यापारी उसी के अनुसार अब निर्यात कर सकते हैं।

**कृषिसार उत्पादन के लिये अपेक्षित वस्तुयें**

*१०८०. **श्री बलवन्त सिन्हा महता:** (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) सिन्दरी में कृषिसार तैयार करने के लिये मुख्य तथा सब से अधिक मात्रा में कौन सी वस्तु काम में लाई जाती है;

(ख) यह कहां से तथा किस मूल्य पर प्राप्त होती है;

(ग) इस पदार्थ का प्रति टन परिवहन व्यय क्या है; तथा

(घ) किस के द्वारा यह कृषिसार बेचे जाते हैं तथा दलालों का नफा कितना है।

**उत्पादक मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी):** (क) खडिया (जिप्सम)।

(ख) राजस्थान से वर्तमान मूल्य ५ रुपये ६ आने प्रति टन, जामसर रेलवे स्टेशन पर रेल भाड़ा सहित।

(ग) लगभग ३४ रुपये प्रति टन।

(घ) सिन्दरी में जो अमोनियम सल्फ़ेट तैयार किया जाता है उस को तथा आयात किये गये अमोनियम सल्फ़ेट को मांग के अनुसार राज्यों की सरकारों तथा औद्योगिक और व्यवसायिक संस्थाओं में 'न लाभ न हानि' के सिद्धान्त पर एक समान मूल्य पर वितरित किया जाता है। दलालों के नफे का प्रश्न इसलिये उत्पन्न नहीं होता है। जहां तक राज्य सरकारों द्वारा अपने अभ्यंश को वितरित करने का प्रश्न है भारत सरकार के पास कोई ठीक ठीक सूचना नहीं है परन्तु यह समझा जाता है कि यह वितरण कमीशन एजंटों द्वारा होता है।

**रेशम के कीड़े पालने का अनुसन्धान केन्द्र**

*१०८१. **श्री मादिया गौडा:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) रेशम के कीड़े पालने का एक केन्द्रीय अनुसन्धान केन्द्र खोलने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; तथा

(ख) यह कब से काम करना शुरू करेगा?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर):** (क) तथा (ख)। रेशम के कीड़े पालने का एक केन्द्रीय अनुसन्धान केन्द्र बरहामपुर में सन् १९४३ से पहले ही से चल रहा है।

**औद्योगिक प्रदर्शनियां**

*१०८२. **श्री मादिया गौडा:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) सन् १९५१-५२ में (१) भारत में तथा (२) भारत से बाहर कितनी औद्योगिक प्रदर्शनियों की व्यवस्था की गई थी; इस उद्देश्य के लिये कितना धन व्यय किया गया तथा यह प्रदर्शनियां कहां कहां हुई थीं; तथा

(ख) इसी वर्ष में (१) भारत में तथा (२) भारत से बाहर कितने शो रूम (प्रदर्शनालय) स्थापित किये गये तथा यह कहां कहां स्थापित किये गये हैं?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर)**: (क) (१) भारत में सात प्रदर्शनियों की व्यवस्था की गई ।

(२) भारत से बाहर दस प्रदर्शनियों की व्यवस्था की गई ।

(१) भारत में तथा (२) भारत से बाहर जो प्रदर्शनियां हुई थीं उन के सम्बन्ध में दो विवरण, जिन में इन के स्थान तथा उन पर हुआ व्यय दिया गया है, सदन पटल पर रखे जाते हैं । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४६**]

(ख) (१) भारत में कोई शो रूम (प्रदर्शनालय) नहीं खोला गया है ।

(२) लंदन में हमारे प्रधान प्रदेष्टा ने २८ कौक्सपर स्ट्रीट में एक शो रूम खोल कर इस काम की शुरुआत की है । इस पर इस समय तक ४१२१ रुपये १० आने ३ पाई खर्च आया है ।

**अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन में सहायता**

*१०८३. **श्री एन० एल० जोशी** : (क) क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' के सम्बन्ध में सरकार को अब तक निम्न स्रोतों से मिले ऋण या दूसरे प्रकार की सहायता की राशि क्या है :—

(१) कोलम्बो योजना ;

(२) समुदाय विकास कार्यक्रम ;

(३) फ़ोर्ड फाउंडेशन ;

(४) दूसरे स्रोत ?

(ख) इस वर्ष और अगले पांच वर्षों में उपयुक्त काम के लिये उपर्युक्त स्रोतों से कितनी धन सम्बन्धी सहायता मिलने की आशा है ?

(ग) इस सम्बन्ध में इस वर्ष और अगले पांच वर्षों में सरकार ने क्या राशि व्यय करने का आयोजन किया है ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)**: (क) सरकार ने 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के सिलसिले में किसी भी उक्त स्रोत से कोई ऋण अथवा कोई प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त नहीं की है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) जैसे कि मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं इन स्रोतों से जो भी सहायता प्राप्त होती है उस का कोई भी भाग 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में नहीं लाया जाता है ।

**नायर नदी पर बांध**

*१०८४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के ज़िला गढ़वाल में मरोरा स्थान पर नायर नदी पर प्रस्तावित बांध बांधने के सम्बन्ध में जांच पूरी हुई है ;

(ख) इसे बांधने की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की निर्णायक सिफ़ारिशें क्या हैं ;

(ग) इस के निर्माण कार्य पर अनुमानतः कितना धन व्यय होगा ;

(घ) इस परियोजना पर इस समय तक कितना व्यय हो चुका है ;

(ङ) क्या इसे पंच वर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है ; तथा

(च) यदि नहीं, तो क्या इसे भविष्य की किसी योजना में शामिल किया जायगा ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)**: (क) से (घ)। सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे यथा सम्भव शीघ्र सदन पटल पर रख दिया जायगा।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान्।

(च) इस समय यह बताना संभव नहीं है।

### स्थायी समितियां

*१०८५. **श्री एस० एन० दास**: क्या **प्रधान मंत्री** २७ फ़रवरी, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४७ के उत्तर की ओर निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या भारत सरकार ने यह अन्तिम रूप से फ़ैसला किया है कि विभिन्न मंत्रालयों से सम्बद्ध स्थायी समितियों को समाप्त कर दिया जाय, तथा

(ख) यदि नहीं, तो इन समितियों को स्थापित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

### दियासलाई उद्योग

*१०८६. **श्री इस्लामुद्दीन**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) भारत में सन् १९४८ से ले कर सन् १९५१ तक दियासलाई उद्योग की तुलनात्मक उत्पादन स्थिति क्या रही है;

(ख) क्या भारत दियासलाइयों के सम्बन्ध में आत्मभरित है, तथा

(ग) सन् १९५१-५२ में दियासलाइयों की आयात या निर्यात की मात्रा?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर)**: (क) सन् १९४८ से लेकर १९५१ तक दियासलाइयों का उत्पादन नीचे दिया गया है:—

| वर्ष | उत्पादन (६० तीलियों वाली डिब्बियों के ५० ग्रौस वाले बक्स) |
|---|---|
| १९४८ | ५,३३,६१० |
| १९४९ | ५,२८,७५५ |
| १९५० | ५,१९,३९५ |
| १९५१ | ५,७७,४७२ |

(ख) जी हां श्रीमान्।

(ग)

| | | ६० तीली वाली डिब्बियों के ५० ग्रौस वाले बक्स | मूल्य |
|---|---|---|---|
| | | | रुपये |
| निर्यात | | ४४० | ८७,५९७ |
| आयात | लगभग | ३५ | १,५४८ |

### संसद् में ध्वनि व्यवस्था

*१०८७. **प्रो० आर० एन० सिंह**: क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) लोक सभा तथा राज्य परिषद् में ध्वनि व्यवस्था स्थापित करने पर क्रमशः क्या लागत आई है तथा इन उपकरणों के संधारण पर (मासिक अथवा वार्षिक) अना-वर्त्तक व्यय कितना होता है;

(ख) क्या यह उपकरण विदेशों से आयात किये गये हैं, यदि हां, तो किन देशों से तथा किन अभिकरणों द्वारा/ तथा

(ग) क्या यह उपकरण नवीनतम आविष्कार हैं अथवा पुराने ढंग के हैं ?

**निर्माण गृह/व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) लोक सभा तथा राज्य परिषद् में ध्वनि व्यवस्था उपकरणों की लागत, जिस में वायुयान का भाड़ा, बहिः शुल्क तथा स्थापन परिव्यय भी शामिल है, क्रमशः ७८,५६१ रुपये तथा ५३,८१३ रुपये है तथा दोनों सदनों के लिये मासिक आवर्त्तक व्यय ५०० रुपये है ।

(ख) जी हां, यह उपकरण क्रमशः इंगलैंड तथा हालैण्ड से आयात किये गये हैं तथा लंदन स्थित भारतीय भंडार विभाग के डायरेक्टर जनरल द्वारा क्रय किये गये हैं ।

(ग) दोनों नवीनतम तथा आधुनिक ढंग के सेट हैं ।

**मलाया में भारतीयों पर प्रतिबन्ध**

*१०८८. **श्री बी० एन० राय**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सिंगापुर तथा मलाया में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि वह चन्दा जमा नहीं कर सकते हैं, तथा नई संस्थाएं और नये संघटन—चाहे वह राजनीतिक हों अथवा अराजनैतिक—नहीं खोल सकते हैं ।

(ख) यदि यह सत्य है तो यह प्रतिबन्ध हटाने के लिये भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, तथा

(ग) क्या भारत सरकार ने उन भारतीय नागरिकों को, जो कारोबार के सिलसिले में सिंगापुर तथा मलाया जाना चाहते हैं, पारपत्र देने के सम्बन्ध में कुछ कड़ा रवैया धारण किया है ?

**प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) तथा (ख) । सरकार को इन प्रतिबन्धों का कोई ज्ञान नहीं है ।

(ग) यह समाचार मिलने पर, कि कुछ प्रवीण कमकर अपने आप को व्यापारी बता कर भारतीय उत्प्रवासन अधिनियम का उल्लंघन करके मलाया चले गये हैं, सरकार ने पारपत्र जारी करने वाले अधिकारियों को अनुदेश दिये हैं कि वह इच्छुक यात्रियों के इस दावे की भली भांति जांच करें कि वह व्यापारी हैं या नहीं ।

**माही नहर परियोजना**

*१०८९. **श्री दाभी**: क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि माही नहर परियोजना प्रथम पंच वर्षीय योजना में शामिल कर ली गई है ;

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर 'हां' में है तो इस सम्बन्ध में कार्य प्रगति कितनी हुई है ;

(ग) इस परियोजना का निर्माण कार्य कब पूर्ण होगा ; तथा

(घ) इस परियोजना के बन जाने के बाद कितने एकड़ और अधिक भूमि में सिंचाई होगी ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)**: (क) जी हां, श्रीमान्, प्रथम प्रक्रम पर केवल बांध ही बनाया जायगा ।

(ख) बांध के स्थान तक पहुंचने की सड़क, बांध की जगह के लिये भू-तत्वीय तथा भूभौतिकीय परिमापन, स्थान को

अन्तिम रूप देने के लिये प्रारम्भिक खुदाई का काम तथा बसरा बस्ती में बिजली पहुंचाने का काम पूरा हो चुका है। मुख्य नहर के लिये भूमि अधिग्रहण का काम, नींव रखने का काम तथा खुदाई का काम जारी है।

(ग) लगभग सन् १९५८ में।

(घ) कैरा जिले में ९०,००० एकड़ भूमि।

**बम्बई में सामुदायिक परियोजनायें**

*१०९२. **श्री दाभी :** क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सामुदायिक परियोजनाओं को चालू करने के लिये बम्बई राज्य में कौन से क्षेत्र चुने गये हैं :

(ख) इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये कौन सी व्यवस्था स्थापित की गई है ; तथा

(ग) इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के काम में कितनी प्रगति हुई है तथा पूर्णतयः क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) :** (क) बम्बई के हिस्से में चार परियोजनायें तथा एक विकास क्षेत्र आया है जो इस प्रकार है :—

(१) ज़िला मेहसाना (बीजापुर कलोल तहसीलें)।

(२) ज़िला कोल्हापुर (कारनार पन्हाला तहसीलें) :

(३) थाना-कोलाबा ज़िले (कालयाब-कारजेट-खालपुर तहसीलें)।

(४) ज़िला बेलगांव (हुक्केरी-गोकोक तहसीलें)

(५) ज़िला साबरकांठा—/एक विकास क्षेत्र)

(ख) सामुदायिक विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के सिलसिले में बम्बई सरकार ने इन व्यक्तियों की एक राज्य विकास समिति नियुक्त की है :—

(१) माननीय मुख्य मंत्री (सभापति)

(२) माननीय राजस्व, कृषि तथा बन मंत्री,

(३) माननीय वित्त मंत्री।

(४) माननीय लोक निर्माण मंत्री।

(५) माननीय सहकारिता मंत्री।

(६) सरकार के मुख्य सचिव तथा विकास आयुक्त (समिति के सचिव)।

(७) राजस्व विभाग के सचिव।

(८) वित्त विभाग के सचिव।

(९) जनवास्तु विभाग के सचिव।

(१०) कृषि तथा बन विभाग के सचिव।

परियोजनाओं से सम्बन्धित क्षेत्रों का प्रारम्भिक भूमापन हो रहा है तथा इसके १५ जुलाई, १९५२ तक पूर्ण होने की आशा है। इन क्षेत्रों में यह काम वास्तव में अक्तूबर १९५२ के आरम्भ में शुरू होगा जो कि रबी मौसम के लिये होगा। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार सामुदायिक परियोजनाओं का काम इस वर्ष शुरू हो कर तीन वर्ष तक चलता रहेगा जिसमें उसे समाप्त कर देने का विचार है।

**सूखे क्षेत्रों में सामुदायिक परियोजना**

*१०९३. **श्री चिनारिया :** क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितनी

सामुदायिक परियोजनायें ऐसे क्षेत्रों में चालू की गई है जहां सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है तथा जहां वार्षिक औसत वर्षा बहुत कम है ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख):** सामुदायिक परियोजनाओं के लिये कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं चुना गया है जहां बिल्कुल ही सिंचाई न होती हो । इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा २० इंच अथवा इस से कम है परन्तु बताया जाता है कि इन में सिंचाई सम्बन्धी सुविधायें अथवा सिंचाई के विकास की सम्भावनायें विद्यमान है :—

(१) बम्बई राज्य में ज़िला बेलगांव (हुक्केरी-गोकाक तहसीलें) ।

(२) पंजाब राज्य में सोनीपत ।

(३) कच्छ राज्य में नखत्राना भुज तहसीलें ।

(४) राजस्थान राज्य में बीकानेर ।

(५) राजस्थान राज्य में जोधपुर ।

**स्वास्थ्य श्रमिकों के लिये निवासगृह**

***१०९४. डा० सत्यवादी : (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि त्रिपक्षीय सम्मेलन ने औद्योगिक श्रमिकों के लिये निवासगृह बनाने के प्रश्न पर विचार करते समय स्वास्थ्य श्रमिकों के ऐसे निवासगृह बनाने के बारे में भी एक निर्णय किया था ?**

(ख) यदि सच है, तो कितनी नगरपालिकाओं ने इस निर्णय को क्रियान्वित किया है ?

**निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्णसिंह) :** (क) तथा (ख) माननीय सदस्य का ध्यान १७ जून, १९५२ को उनके द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९२८ के बारे में मेरे द्वारा दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित करता हूं ।

**अतिरेक भण्डार**

२२०. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **निर्माण गृह व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ३१ मार्च, १९५२ को विक्रय के लिये पड़े हुये अतिरेक माल का मूल्य ;

(ख) सरकारी विभागों द्वारा इस वर्ष इस माल का जितना भाग उपयोग में लाया गया है उसका पुस्त-मूल्य ;

(ग) सन् १९५१-५२ में शिक्षा तथा अनुसन्धान संस्थाओं को इस माल का जितना भाग बेचा गया है उस का पुस्त-मूल्य ; तथा

(घ) उपरोक्त भाग (ग) में उल्लिखित भंडारों के विक्रय से कितनी धन राशि वसूल की गई है ?

**निर्माण गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) २८॥ करोड़ रुपये (पुस्त-मूल्य)।

(ख) सन् १९५१-५२ में ६.३२ करोड़ रुपये ।

(ग) ९३ लाख रुपये ।

(घ) ८ लाख रुपये ।

**मोटा तथा साधारण कपड़ा (मूल्य)**

२२१. **डा० राम सुभग सिंह: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मोटे तथा साधारण कपड़े के मूल्यों में जो कमी की गई थी क्या वह केवल मई १९५२ के महीने के लिये ही थी ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) :** जी हां, १ जून, १९५२ से मूल्यों में पुनः संशोधन किया गया है ।

### रेडक्लिफ़ पंचाट

२२२. डा० राम सुभग सिंह: (क) क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि रेडक्लिफ़ पंचाट (ऐवार्ड) के अनुसार अमृतसर तथा लाहौर ज़िलों के बीच सीमा-रेखा निर्धारण के लिये वहां के डिप्टी कमिश्नरों की हाल ही में कई बैठकें हुई हैं ?

(ख) यदि हुई हैं, तो इन का परिणाम क्या निकला ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) जी हां।

(ख) बातचीत अभी जारी है।

### आयातों का मूल्य

२२३. सेठ गोविन्द दास: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१-५२ में आयात किये गये कुल माल का मूल्य और विशेषत: निम्नांकित कोटि के मालों का क्या मूल्य है:—

(क) खाद्यान्न ;
(ख) बड़ी बड़ी मशीनें ;
(ग) रेलवे एंजिन ;
(घ) सूत और वस्त्र ;
(ङ) ऊन और ऊनी सामान ;
(च) मोटर के पुर्ज़े ;
(छ) साइकिलों के हिस्से और पुरज़े ;
(ज) बिजली का सामान ;
(झ) दवायें और डाक्टरी सामान ; और
(ञ) रेडियो ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): सन् १९५१-५२ में आयात किये गये माल का कुल मूल्य ९६५ करोड़ रुपये है। सम्बन्धित वस्तुओं के आयात मूल्य यह हैं:—

| | मूल्य (करोड़ रुपयों में) |
|---|---|
| (क) | २५४.४४ |
| (ख) | ९४.५७ |
| (ग) | ३.५६ |
| (घ) | ३१.६३ |
| (ङ) | ३.४४ |
| (च) | १४.७१ |
| (छ) | १.४४ |
| (ज) | १०.३६ |
| (झ) | १६.२१ |
| (ञ) | ०.५३ |

### हीराकुद बांध योजना पर क्षतिपूर्ति की दर

२२४. डा० नटवर पांडे : क्या योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हीराकुद बांध परियोजना से जिन लोगों को नुक़सान उठाना पड़ा है उन्हें इन वस्तुओं के लिये किस दर से क्षतिपूर्ति दी जाती है :

(१) आम के पेड़ के लिये (२) महुये के पेड़ के लिये, (३) संतरे के पेड़ के लिये, (४) इमली के पेड़ के लिये, तथा (५) बहल (६) बर्ना, (७) साल, तथा (८) विभिन्न प्रकार की ज़मीनों के प्रति एकड़ के लिये ;

(ख) क्या क्षतिपूर्ति की यह दर इस सिद्धान्त के आधार पर निश्चित की गई है कि सन् १९३९ में इनका जो बाज़ार भाव था उस से केवल ५० प्रतिशत अधिक दिया जाय, तथा

(ग) क्या सम्भलपुर तथा उड़ीसा में मूल्य देशनांक सन् १९३९ की अपेक्षा पांच गुने से अधिक बढ़ गया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) से (ग)। उड़ीसा सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे यथा सम्भव शीघ्र सदन पटल पर रख दिया जायगा

**भारतीय राजदूतावासों में विदेशी कर्मचारी**

२२५. **प्रो० अग्रवाल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) विदेशों में स्थित हमारे राजदूतावासों में कितने विदेशी कर्मचारी (जातिवार) अब भी काम कर रहे हैं।

(ख) क्या उन को धीरे धीरे भारतीय अधिकारियों से प्रतिस्थापित करने की कोई योजना है; तथा

(ग) हमारे राजदूतावासों में कितने भारतीय कर्मचारी हिन्दी का सामान्य ज्ञान रखते हैं?

**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) तथा (ग)। सूचना एकत्रित की जा रही है तथा ज्योंही विस्तृत विवरण उपलब्ध होगा, उसे सदन पटल पर रख दिया जायगा।

(ख) आदेश दिये गये हैं कि कर्मचारियों की भर्ती यथासम्भव भारतीयों तक ही सीमित रखी जाय। इन आदेशों के अनुसार तथा भारतीय विदेश सेवा के मूल सिद्धान्तों के अनुसार अभारतीयों को हमारे दूतावासों आदि में केवल उन्हीं अधीनस्थ पदों पर नियुक्त किया जाता है जहां प्रशासनिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण से ऐसा करना अत्यन्त ही आवश्यक हो, स्वयं भारतीय विदेश सेवा में सारे अधिकारी भारतीय ही हैं।

**दामोदर घाटी निगम**

२२६. **प्रो० अग्रवाल:** क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में हाल ही में जो अन्तर्राज्य सम्मेलन हुआ था उस ने क्या निश्चय किया?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख):** सम्मेलन ने मैथोन परियोजना के प्राक्कलनों का अनुमोदन किया। यह फ़ैसला किया गया कि मैथोन बांध की ऊंचाई आर० एल० ५०० होगी। पंचेत पर्वत बांध के सम्बन्ध में दामोदर घाटी निगम को दो महीने के अन्दर एक सविस्तार प्राक्कलन तैयार करने तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिये कहा गया है। निगम से यह भी कहा गया है कि वह भाग लेने वाली सरकारों को समय समय पर लागत में वृद्धि होने के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना देता रहे तथा इन सरकारों के टैकनीकल प्रतिनिधियों को हर महीने एक विवरण भेजा करे जिस में परिव्यय लेखा दिया गया हो।

**रेडियो सेट**

२२७. **श्री आर० एस० तिवारी:** क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) भारत में काम आने वाले रेडियो सेटों की संख्या;

(ख) क्रमशः विदेशों में बने हुये और भारत में बने हुये सैटों की संख्या तथा

(ग) सन् १९५१ में रेडियो अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में वसूल की गई कुल राशि?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** (क) तथा (ख)। आंकड़े केवल उन्हीं लाइसेंसों के बारे में रखे जाते हैं जो रेडियो सेट रखने के लिये लोगों को दिये जाते हैं। एक लाईसैंस के अन्तर्गत कोई भी लाईसैंसदार अनुज्ञप्ति स्थान पर किसी भी देश के एक से अधिक रेडियो काम में ला सकता है; इसलिये ऐसे रेडियो सैटों की संख्या देना अथवा यह बताना कि वह कहां के बने हुये हैं, सम्भव नहीं। ३१ दिसम्बर, १९५१ को रेडियो लाईससों की संख्या ६,७७,०५० थी।

(ग) ८४,३९,००० रुपये।

अंक २

संख्या १

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha (First Session)

# संसदीय वाद विवाद

# लोक सभा

## शासकीय वृत्तान्त

[ हिन्दी सस्करण ]

:o:

## भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

Preservation 13.3.72

विषय-सूची

श्री शिवदास डागा की मृत्यु [पृष्ठ भाग ११७९]

सामान्य आयव्ययक—अनुदानों की मांगें—

क्रमागत [पृष्ठ भाग ११७९—११८२, ११८३—१२२८]

मांग संख्या २२—आदिमजाति क्षेत्र [पृष्ठ भाग ११७९—११८२, ११८३—१२२८]

मांग संख्या २३—वैदेशिक कार्य [पृष्ठ भाग ११७९—११८२, ११८३—१२२८]

मांग संख्या २४—वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत फटकर व्यय [पृष्ठ भाग ११७९—११८२, ११८३—१२२८]

सदन पटल पर रक्खे गये पत्र—

(१) गुप्त समझौते का मसौदा

(२) सोवियत प्रेस की 'करेंट डाइजेस्ट'

(३) सोवियत मानचित्र [पृष्ठ भाग ११८२—११८३]

( मूल्य ६ आने )

361 PSD

# लोक सभा

शुक्रवार, २० जून, १९५२

---

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[ **अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे ]

## प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

---

९-१५ म०पू०

## हिन्दी भाषणों का अनुवाद

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे माननीय सदस्यों को सूचना देनी है कि संसद् के सदस्यों के वेतनों तथा भत्तों के भुगतान के प्रश्न पर विचार करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये दोनों सदनों की जो संयुक्त समिति नियुक्त की गई है वह इस बात पर भी विचार करेगी कि लोक सभा के सदस्यों के लिये क्या संक्षिप्त उप-पद प्रयोग में लाया जाना चाहिए तथा राज्य परिषद् के सदस्यों के लिये यह क्या होना चाहिये। राज्य परिषद् के कुछ सदस्यों ने अपने लियें " एम० सी० " इस उप-पद का प्रयोग पसन्द नहीं किया है। इसलिये समिति को इस बारे में भी अपनी सिपारिशें पेश करनी होंगी।

श्री पोकर ने इस सप्ताह के आरम्भ में हिन्दी प्रश्नों तथा उत्तरों तथा भाषणों का अंग्रेज़ी में अनुवाद दिये जाने की प्रार्थना की थी। मैं ने इस सम्बन्ध में पूछ ताछ कराई। सभी प्रश्नों और उत्तरों अथवा भाषणों का अंग्रेजी में पूर्ण अनुवाद देना सम्भव नहीं। परन्तु जो सदस्य सचमुच ऐसा अनुवाद चाहते हों उन्हें प्रश्नों और उत्तरों अथवा भाषणों का अंग्रेज़ी में संक्षिप्त सार दिया जा सकता है, किन्तु वह एक अथवा दो से अधिक न होने चाहियें। मैं ने ऐसा करना इस लिये उचित समझा क्योंकि कार्यवाही के मुद्रण तथा प्रकाशन में बहुत समय लगता है तथा उन से यह कहना बेकार होगा कि उन्हें यथासमय यह अनुवाद मिलते रहेंगे। यह किसी सदस्य की परमावश्यक तथा सद्भाव-पूर्ण ज़रूरत को पूर्ण करने के लिये किया जा रहा है जो कि इस बात में दिलचस्पी रखता हो कि माननीय मंत्री ने क्या उत्तर दिया है अथवा क्या कुछ कहा है। यह प्रयोग फिल-हाल मंत्रियों द्वारा दिये गये उत्तरों अथवा भाषणों तक ही सीमित रहेगा। यह इस तरह से और भी सीमित रहेगा क्योंकि कोई सदस्य जो ऐसा अनुवाद चाहता हो उसे सदन की बैठक स्थगित होने से पूर्व सचिव को सूचना देनी होगी—सदन में खड़ा हो कर नहीं बल्कि लिखित रूप में "कि मुझे अमुक प्रश्न का अनुवाद चाहिये" अथवा अमुक भाषण के अमुक भाग का (सारे का नहीं) अनुवाद चाहिये। फिर इस का एक संक्षिप्त सार उसे अगले दिन दिया जायेगा, यदि ऐसी प्रार्थनायें अधिक संख्या में प्राप्त होंगी तो निस्सन्देह ही इस मामले पर पुनर्विचार होगा। इस समय तो यही व्यवस्था रहेगी, हमें देखना है कि कर्मचारी वर्ग इसे कैसे निभाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या किसी परिवर्तन

[अध्यक्ष महोदय]

की आवश्यकता है या नहीं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि ऐसी प्रार्थनायें प्रति दिन आने लगेंगी तो इस व्यवस्था को जारी रखना सम्भव नहीं होगा।

**श्री सारंगधर दास** (ढेनकनाल–पश्चिम कटक) : श्रीमान्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। इस सदन में बहुत से सदस्य ऐसे हैं जो केवल हिन्दी भाषी हैं। उन्हें भी मंत्रियों के उत्तरों तथा वक्तव्यों का हिन्दी में अनुवाद उपलब्ध कराया जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि इस प्रकार की मांगें बढ़ती गईं तो मुझे यह छोटा सा प्रयोग भी जो हम इस समय कर रहे हैं बन्द करना पड़ेगा। हमें कोई सैद्धान्तिक प्रश्न न उठा कर इसे फिलहाल उचित मामलों तक ही सीमित रखना चाहिये। हम देखते हैं कि यह काम कैसे होता है यदि यह प्रयोग सफल होता है तो हमें अपने प्रयत्न बढ़ाना चाहिये क्योंकि उद्देश्य तो यही है कि वह लोग जो समझ नहीं सकते हैं समझ सकें।

---

## सदन का कार्यक्रम

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि १ तथा २ जुलाई १९५२ को वित्त मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों के अतिरिक्त योजना तथा स्वास्थ्य से भी सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर विचार किया जायगा तथा उन्हें मतदान के लिये सदन में प्रस्तुत किया जायेगा।

चर्चा के लिये अधिकतम समय देने के विचार से १ तथा २ जुलाई को प्रश्नों के समय के लिये कोई समय नहीं रखा जायेगा तथा स्वास्थ्य, योजना तथा वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम का अनुसरण किया जायेगा :—

| | मंत्रालय | दिनांक तथा समय |
|---|---|---|
| १ | स्वास्थ्य | मंगलवार, १ जुलाई, १९५२ (८·१५ म०पू०से ११-३० म० पू० तक जिस में स्वास्थ्य मंत्री का उत्तर भी शामिल होगा) |
| २ | योजना | मंगलवार, १ जुलाई १९५२ (११·३० म० पू० से १ म० प० तक) तथा बुधवार २ जुलाई १९५२ (८·१५ म० पू० से १० म० पू० तक) जिस में माननीय मंत्री के उत्तर का समय भी शामिल होगा। |
| ३ | वित्त | बुधवार २ जुलाई १९५२ (१० म० पू० से १ म०प० तक) तथा बृहस्पतिवार, ३ जुलाई १९५२ (वित्त मंत्री ९-१५ म०पू० उत्तर देंगे) |

**श्री बी० दास** (जाजपुर—क्योंझर) : मेरा यह निवेदन है कि वित्त मंत्रालय का सभी

मंत्रालयों पर नियंत्रण है। यदि इस पर चर्चा करने के लिये केवल तीन घंटे दिये जायेंगे तो यह साफ बच निकलेगा।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने केवल उसी बात की सूचना दी जिस पर कि सभी पक्षों का मतैक्य है तथा यह सम्भव है कि प्रत्येक मत के सम्बन्ध में पूर्ण सहमति न हो। यहां जितने सदस्य हैं उतनी रायें हो सकती हैं। चर्चा तो हमें करनी है। इसीलिये मैं ने सुझाव दिया था कि इस एक वर्ष के लिये सभी बातों को न लेकर केवल कुछ विभागों अथवा कुछ विशिष्ट मांगों को लिया जाय तथा उन पर सविस्तार चर्चा की जाय। किन्तु विचार तो यह था, विशेषकर नवागन्तुकों का, कि वे कम से कम ऐक बार किसी विषय विशेष के सभी पहलुओं पर सामान्य चर्चा करेंगे तथा अगले वर्ष से वे केवल विशिष्ट मांगों पर ही चर्चा किया करेंगे क्योंकि वे इस बात को मानते हैं कि उस समय तक उन्हें सदन के कार्यक्रम का अनुभव प्राप्त हो जायेंगा। इसीलिये हम ऐसा कर रहे हैं। किन्तु यह पक्षों में सहमति का प्रश्न है।

---

## हिन्दी भाषणों का अनुवाद

**अध्यक्ष महोदय** : अनुवाद के सम्बन्ध में मैं एक बात बताना भूल गया तथा वह यह है कि जब भाषणों का संक्षिप्त अनुवाद दिया जायेगा तो वह शुद्ध किये गये भाषणों से नहीं होगा, तथा इस कारण से सैद्धान्तिक रूप से इस बात की प्रत्याभूति नहीं दी जा सकती कि वह किसी मंत्री विशेष के वक्तव्य को सही रूप में पेश करता है यद्यपि व्यावहारिक प्रयोजनों के लिये उन्हें सही माना जा सकता है। कुछ सदस्यों को यह बात स्पष्ट नहीं हो रही है। कठिनाई यह है कि भाषण जब यहां रिकार्ड किये जाते हैं तो वह शुद्धि के लियें सम्बन्धित मंत्रियों तथा सदस्यों के पास भेज दिये जाते हैं। और यदि हम दूसरे ही दिन इनका संक्षिप्त अनुवाद दें तो वह निस्सन्देह ही शुद्ध न किये गये भाषण आदि का संक्षिप्त अनुवाद होगा। हो सकता है कि कोई सदस्य अपने भाषण को सही करना चाहता हो--यह नहीं कि वह सारे भाषण को नये सिरे से लिखे, अपितु केवल उस बात को ठीक करना चाहिये जो गलत रिपोर्ट की गई हो। इसलिये मैं शुरू से ही यह बात सदस्यों के सामने रखता हूं कि यदि उपलब्ध किये गये संक्षिप्त अनुवाद में तथा शुद्ध किये गये भाषण में कोई अन्तर हो तो किसी भी सदस्य द्वारा कोई औचित्य का प्रश्न न उठाया जाना चाहिये कि भाषण वास्तव में यह था तथा उसका संक्षिप्त अनुवाद वह था तथा इस कारण से माननीय सदस्य को भ्रांति हुई।

इसी बात को स्पष्ट करने के लिये मैं ऐसा कह रहा हूं।

**श्री कण्डासामी** (तिरुचनगोड) : श्रीमान् सूचना के हेतु में जानना चाहता हूं कि मैं तामिल में प्रश्न पूछना चाहता हूं क्योंकि मैं हिन्दी या अंग्रेजी भली भांति नहीं जानता। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं ?

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का यह कहना है कि वह अंग्रेजी भली भांति नहीं जानते हैं विश्वासजनक नहीं है, किन्तु यदि वह किसी अन्य भाषा में बोलना चाहते हैं तो उन्हें अपने किसी मित्र से इसका अनुवाद करने के लिये कहना चाहिये। संसद् सचिवालय यह काम नहीं कर सकता है।

---

## भारतीय समवाय (संशोधन) विधेयक

**वित्त मंत्री** (श्री सी० डी० देशमुख): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय समवाय

अधिनियम १९१३ में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।

**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

## रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।

**श्री करमरकर** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

## सामान्य आयव्ययक---अनुदानों की मांगें

**पंडित डी० एन० तिवारी** (सारन दक्षिण) : आज के कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन किया गया है । पहिले कार्यक्रम में यह बताया गया था कि योजना तथा नदी घाटी परियोजनाओं पर आज चर्चा होगी । आज इसे 'सिंचाई तथा विद्युत' में बदल दिया गया है । क्या 'सिंचाई' में 'नदी घाटी योजनायें' भी आ जाती हैं ?

**योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा)** : इरादा तो यह था कि योजना आयोग के सारे कार्य पर यहां चर्चा की जाये परन्तु आयोजन के जिन विषयों का सम्बन्ध सिंचाई तथा विद्युत से हो उन पर आज चर्चा की जा सकती है ।

**श्री ए० सी० गुहा** (शान्तिपुर) : नदी घाटी परियोजनाओं सहित ?

**श्री नन्दा** : जी हां ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि सभी योजनाओं पर उस दिन चर्चा होगी जब कि योजना आयोग पर चर्चा होगी ; किन्तु सिंचाई तथा नदी घाटियों से सम्बन्धित सभी योजनाओं पर जिन पर कि इस समय काम हो रहा है, इकट्ठे चर्चा होगी । क्या यह ठीक है ?

**श्री नन्दा** : जी हां ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होगी । मैं मांग संख्या ७१, ७५, ७६ तथा १२३ को सदन के सामने रखता हूं तथा जिन कटौती प्रस्तावों पर सहमति है उन्हें प्रस्तुत किया जाये ।

मांग संख्या ७१—सिंचाई (कार्यवाहक व्यय सहित) नौपरिवहन बांध तथा जल विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य (राजस्व से देय)—१६,००० रुपये ।

मांग संख्या ७५—बहुप्रयोजनीय नदी योजनायें—२७,६०,००० रुपये ।

मांग संख्या ७६—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय के अन्तर्गत फुटकर विभाग तथा व्यय—३१,७२,००० रुपये ।

मांग संख्या १२३—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय—२,०४,४३,००० रुपये ।

**महाराष्ट्र में सिंचाई सुविधाऐं**

**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'सिंचाई नौपरिवहन, बांध तथा जल निकास सम्बन्धी निर्माण कार्य (राजस्व से देय)' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये । "

**नीति**

**श्री मेघनाद साहा** (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं' सम्बंधी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

**नदी घाटी परियोजना**

**श्री टी० के० चौधरी** (बरहामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये । "

**नदी घाटी परियोजनाओं की कार्य प्रगति**

**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये " ।

**प्रशासनिक व्यवस्था का अभिनवीकरण**

**श्री मेघनाद साहा** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये । "

**हीराकुड प्रशासनिक व्यवस्था का पुनर्गठन**

**श्री सारंगधर दास** (ढेनकनाल—पश्चिम कटक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये । "

**अध्यक्ष महोदय** : मांग संख्या ७६ कटौती प्रस्ताव संख्या ७२८ ।

**हीराकुड परियोजनाओं के कार्य सम्पादन में विलम्ब**

**श्री आर० एन० एस० देव** (कालाहांदी-बोलनगिर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय के अन्तर्गत फुटकर विभाग तथा व्यय' सम्बंधी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

**बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं सम्बन्धी नीति**

**श्री गोपालराव** (गुडिवाडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये । "

**नीति**

**श्री सारंगधर दास** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय ' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

**नीति परिवर्तन के कारण व्यर्थ नाश**

**श्री सारंगधर दास** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये । "

**दामोदर घाटी परियोजना में सुधार**

**श्री रामशेषय्या** (पार्वतीपुरम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये । "

**हैदराबाद की तुंगभद्रा परियोजना**

**श्री शिवमूर्ति स्वामी** (कुष्टगी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'बहुप्रयोजनीय नदी योजनायें' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये । "

**मालम पुज्हा परियोजना का कार्य सम्पादन**

**श्री पोकर साहेब** (मलप्पुरम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'सिंचाई, नौपरिवहन, बांध तथा जल निकास सम्बन्धी निर्माण कार्य (राजस्व से देय)' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये । "

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सारे कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत हैं। अब हम काम शुरू करते हैं । कालावधि यथापूर्व रहेगी । मंत्री जी को उत्तर देने के लिये कितना समय चाहिये ?

**श्री नन्दा** : ४५ मिनट ।

**अध्यक्ष महोदय** : इस पर बाद में विचार किया जा सकता है । चर्चा अब शुरू हो जाय । श्री मेघनाद साहा ।

**श्री मेघनाद साहा** : मैं विशेषकर उस कटौती प्रस्ताव पर आग्रह करता हूं जिसका उद्देश्य इन नदी घाटी परियोजनाओं की प्रशासकीय व्यवस्था के अभिनवीकरण की वांछनीयता पर चर्चा करना है । कांग्रेस के सत्ताधारी होने से पूर्व भी इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में काफ़ी प्रारम्भिक कार्यवाही की गई थी । किन्तु कांग्रेस सरकार ने इन्हें विशेषकर दामोदर घाटी परियोजना को, कार्यरूप में परिणत करने का जो दृढ़ संकल्प किया है, वह प्रशंसनीय है। दामोदर घाटी परियोजना को प्राथमिकता देना भी उचित ही था । क्योंकि एक तो यह बड़ी बड़ी परियोजनाओं के मुकाबिले में सब से छोटी है तथा यहां से प्राप्त अनुभव दूसरी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है । दूसरे इस परियोजना के सम्बन्ध में ज़रूरी तथ्य तथा आंकड़े उपलब्ध थे । इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक योजना टेनेसी घाटी के एक विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई थी ।

किन्तु इन सभी बातों के बावजूद हम देख रहे ह कि दामोदर घाटी निगम अनियमितताओं का एक गढ़ बन गया है । संसद् ने इन की छानबीन के लिये एक आंक समिति नियुक्त की थी, जिस की रिपोर्ट अब सदन के सामने है। कोई भी सरकार उस रिपोर्ट की अपेक्षा नहीं कर सकती है । हम दामोदर घाटी परियोजना पर इस समय तक २० करोड़ रुपये से अधिक ख़र्च कर चुके हैं तथा हम इसे और भी देने जा रहे हैं परन्तु हमें प्राप्त क्या हो रहा है ? परियोजना के अन्तर्गत १२ बांधों के निर्माण की प्रस्थापना की गई थी । बाद में यह फ़ैसला किया गया कि इन में से केवल चार बांधों को हाथ में लिया जाय । इन चार बांधों में से अभी केवल एक ही तैयार हुआ है और वह भी सब से छोटा बांध है ।

इसी तरह बोकारो में एक बिजली घर तैयार होने वाला है । इसे विश्व बैंक के आग्रह पर शीघ्र ही तैयार किया गया है । इसके लिये दामोदर घाटी निगम को कोई श्रेय नहीं मिलना चाहिये क्योंकि इसके सभी सलाहकार विदेशी हैं, तथा इसका निर्माण कार्य भी एक विदेशी समवाय द्वारा हो रहा है । दामोदरघाटी निगम केवल इस की बिलें चुकाता है तब इस में भी अनियमितताओं की जांच होनी चाहिये । पुनर्वास के कार्य में भी बहुत सी अनियमिततायें देखी गई हैं ।

आखिर इस का कारण क्या है ? कारण यह है कि इस का कोई मुखिया अथवा दिग्दर्शक नहीं है । आप ने वहां सभी चीजें रखी हैं लेकिन इस आवश्यक तत्व का अभाव है । ऐसी दुरवस्था में या तो काम बंद किया जाना चाहिये या सम्पूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था का आमूल चूल अभिनवीकरण होना चाहिये । दामोदर घाटी निगम विश्व प्रसिद्ध टेनेसी घाटी के नमूने पर स्थापित किया गया था। किन्तु टेनेसी घाटी प्राधिकार का प्रमुख विश्व का सुप्रसिद्ध इंजीनियर डा० मोरगन था जिसने कि पांच वर्ष के ही अल्प काल में ग्यारह बांध बंधवाये थे। डा० मोरगन ने भी दामोदर घाटी का निरीक्षण किया तथा उन्होंने इसके कार्यक्रम में बहुत सी अनियमिततायें तथा त्रुटियां पाईं । उनकी रिपोर्ट भी सरकार के सामने है । यदि सरकार ने उनकी सिपारिशों को कार्यरूप दिया होता तो हमारा करोड़ों रुपया शायद इस तरह से नष्ट न होता ।

हीराकुड बांध परियोजना, जिसे महानदी घाटी भूमि परियोजना भी कहा जा सकता है, का आधार भिन्न है । महानदी घाटी टेनेसी घाटी से जरा बड़ी है तथा यदि इस परियोजना को उचित रूप से क्रियान्वित किया गया तो यह उड़ीसा राज्य के लिये उतनी ही लाभप्रद हो सकती है जितनी कि टेनेसी घाटी अमेरिका के सात राज्यों के लिये है । परन्तु दुर्भाग्यवश इसका निर्माण कार्य हाथ में लेने में जल्दबाज़ी की गई है । इस सम्बन्ध में ज़रूरी तथ्य तथा आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । यदि आप तत्वीय परिमाप विभाग का मानचित्र देखेंगे तो आप को मालूम होगा कि कोई भी भू-तत्व विशेषज्ञ वहां से नहीं गुज़रा है। फ़िर भी वह बांध बनाने का निश्चय किया गया । पहले पहल अंग्रेज़ गवर्नर सर लई थारन ने १९४५ में इस परियोजना की आधार शिला रखी तथा फ़िर स्वतंत्रता के बाद इस सदन के नेता ने दुबारा इसकी आधार-शिला रखी । मैंने तथा कई और मित्रों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आवश्यक भूपरिमाप के बिना यह काम हाथ में न लिया जाय । किन्तु हमारे कहने की उपेक्षा की गई । परिणाम क्या हुआ ? यह आंक समिति की रिपोर्ट से साफ ज़ाहिर है । आंक समिति का कहना है कि प्रस्थापनाओं की व्याख्या, उनका आयोज़न, नीति निर्धारण तथा कार्यसम्पादन एक ही संगठन अथवा एक ही प्राधिकार अथवा एक ही व्यक्ति द्वारा जो कि विभिन्न अधिकारियों के रूप में काम करता है, होता है, अर्थात् एक ही व्यक्ति सरकारी सचिव के रूप में सभी परियोज़नाओं को पास करता है । वह सलाहकार भी है और कभी कभी वह ही कार्यकर्त्ता भी है । मेरे विचार में किसी भी सरकार द्वारा ऐसी अनियमिततायें करने की अनुमति नहीं दी जाती है । आंक समिति ने यह आशंका भी प्रकट की है कि इस व्यवस्था में जो त्रुटियां हैं उन से समस्त नदी घाटी परियोजनाओं का विकास कार्यक्रम नष्ट-भ्रष्ट हो जायेगा ।

हीराकुड बांध परियोज़ना में एक अनियमितता यह हुई कि वहां के प्राधिकारियों ने एक फ्रांसीसी शिष्टमंडल को सलाह देने के लिये निमंत्रण दिया । फ्रांसीसी इंजीनियरों ने उन्हें अपने अनुभव के आधार पर एक नहर जो कि वह पानी निकालने के लिये वहां खोदना चाहते थे, न खोदने की सलाह दी थी । किन्तु इसके बावजूद भी उन्हों ने १·५ करोड़ रुपये के खर्च से एक ऐसे स्थान पर एक पुल बनवाया जिधर से कि सात वर्ष तक पानी नहीं बहेगा । इस पुल का उद्घाटन तत्कालीन मंत्री जी ने बड़ी शान से किया था ।

[श्री मेघनाद साहा]

तो मेरा निवेदन यह है कि हमें इन परियोजनाओं के लिये उस समय तक कोई भी धनराशि स्वीकृत नहीं करनी चाहिये जब तक कि इन की प्रशासकीय व्यवस्था पूर्ण रूप से बदल न दी जाये। पंचवर्षीय योजना में इन परियोजनाओं के लिये १०४ करोड़ रुपय की और व्यवस्था की गई है। मुझे आशंका है कि वर्तमान शासकीय व्यवस्था के अन्तर्गत १०४ करोड़ से क्या ५०० करोड़ रुपये से भी काम पूरा नहीं होगा। मैं कभी यह नहीं कहता हूं कि गलतियां होने के कारण इन्हें बन्द कर दिया जाना चाहिये। गलतियां सब जगह हुआ करती हैं। रूस तथा अमेरीका को भी अपनी योजनायें क्रियान्वित करते समय ऐसी ही कठिनाइयां पेश आई थीं, किन्तु उन्हों ने अपनी प्रशासकीय व्यवस्था तुरन्त ठीक कर ली थी। आज हम रूस की वोलगा नदी की प्रशंसा सुनते हैं। हमें भी गंगा नदी के जल को इसी तरह से उपयोग में लाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि उचित भू-परिमाप के बाद और भी परियोजनाओं को निर्माण के लिये हाथ में लिया जाना चाहिये। अभी रामपद सागर परियोजना है, इस से आन्ध्र, हैदराबाद तथा दूसरे इलाकों को काफी फायदा पहुंच सकता है। इसी तरह कोयनार नदी परियोजना से दक्षिण महाराष्ट्र का बहुत बड़ा क्षेत्र एक भारी औद्योगिक केन्द्र बन सकता है। इन में देश की उन्नति का रहस्य निहित है। मुझे आशा है कि प्रशासन अपनी गलतियों से सबक सीख लेगा कि किस तरह योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिये तथा किस तरह देखभाल के लिये उचित व्यवस्था की जानी चाहिये जिस से कि काम ठीक हो जाय तथा धन नष्ट न होने पाये।

१० म० पू०

**श्री अलगेशन** (चिंगलपट) : हमारे देश के आर्थिक पुनरुद्धार की आशा इन्हीं बड़ी बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं पर आधारित है। किन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि अन्य छोटी छोटी परियोजनाओं की उपेक्षा की जानी चाहिये। कांचीपुरम् से आये माननीय सदस्य ने यहां बताया कि वह छोटी छोटी परियोजनाओं को बड़ी परियोजनाओं पर अधिमान दे देते हैं तथा इस से यहां कुछ ऐसी धारणा बन गई कि बड़ी बड़ी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने से छोटी परियोजनाओं को हानि पहुंची है। किन्तु यह बात सही नहीं है। हमें ज्ञात है कि छोटी छोटी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का काम राज्य सरकारों ने अपने ऊपर लिया है। मद्रास को ही लीजिये। वहां कई एक छोटी परियोजनाओं पर काम हो रहा है, उदाहरण के रूप में मालम-पुज्हा परियोजना, मेट्टूर नहर परियोजना, मणिमुठर परियोजना, अर्नियार परियोजना आदि आदि।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष–पद पर आसीन थे]

तो इस से स्पष्ट है कि छोटी छोटी परियोजनाओं की उपेक्षा नहीं की जा रही है। इतना ही नहीं, इस वर्ष के आयव्ययक में भी छोटी परियोजनाओं के लिये १० करोड़ रुपये की राशि निश्चित की गई है। केवल मद्रास राज्य में ३५,००० तालाबों की मरम्मत तथा उन का अभिनवीकरण किया जा रहा है। जैसे कि मेरे मित्र ने इन बड़ी बड़ी परियोजनाओं का इस समय विरोध किया है उसी तरह आज से २५ वर्ष पूर्व मेट्टूर बांध के निर्माण का भी विरोध किया गया था। किन्तु यदि यह बांध न बना होता तो आज तंजोर जिले का हाल क्या होता ? इस की कल्पना करने से मैं सिहर उठता हूं। इस बांध के परिणामस्वरूप आज लगभग १० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो रही है तथा यह जिला कई जिलों की अन्न सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

यह भी शिकायत की गई है कि इन परियोजनाओं पर बहुत ज्यादा धन खर्च किया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना तथा केन्द्र द्वारा अर्थ संधारित अन्य परियोजनाओं में काफी फजूलखर्ची हो रही है। इस में कुछ सच्चाई भी है। स्वयं आंक समिति न अपनी रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में कई सिफारिशें की हैं। उदाहरण के रूप में यह कि सामान, संयन्त्र, उपकरण तथा मशीनरी का क्रय यथासम्भव सम्भरण विभाग के प्रधान संचालक द्वारा तथा लंदन तथा वाशिंगटन स्थित क्रय नियोजनों (सप्लाई मिशन्स) द्वारा होना चाहिये। ठेकों के सम्बन्ध में समिति की राय है कि विभिन्न राशियों वाले ठेके विभिन्न अधिकारियों द्वारा दिये जाने चाहियें तथा इस सम्बन्ध में उन्होंने राशियां भी निश्चित कर दी हैं। मेरे पूर्ववक्ता ने बताया है कि नियमित रूप से योजनायें बनाने से पूर्व ही इन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया गया है। इस सम्बन्ध में आंक समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि "इस समय परियोजनाओं का केवल खाका खींचा जाता है तथा लागत का एक सामान्य सा अनुमान दिया जाता है। यह व्यवस्था संतोषजनक नहीं। किसी परियोजना के सभी पहलुओं पर पूर्ण रूप से विचार किया जाना चाहिये तथा इस के सभी छोटी बड़े मदों के लिये प्राक्कलन तैयार किये जाने चाहियें।" सरकार को चाहिये कि वह शीघ्र ही इन सुझावों पर ध्यान दे कर इन्हें क्रियान्वित करे।

इतना कहने के बाद मैं निवेदन करूंगा कि इन कार्यों में काफी फिजूलखर्ची भी होती है जैसे कि हमारे यहां शादी विवाह के अवसरों पर हुआ करती है। चाहे यहां का इंजीनियर कितना ही योग्य क्यों न हो फिर भी बाहर से इंजीनियर मंगवाने तथा उन्हें मोटी मोटी तनख्वाहें देने में शान समझी जाती है। मैं यह नहीं कहता हूं कि बाहर से बिल्कुल ही कोई इंजीनियर न मंगाया जाय। अपितु यह कि हमें चादर देख कर ही अपने पांव फैलाने चाहियें। परन्तु फजूलखर्ची के भय से हमें इन कार्यों को तो रोकना नहीं है। हो सकता है कि इन में कुछ धन नाश हुआ हो, किन्तु इन परियोजनाओं के अभाव से हमें जितना नुक्सान उठाना पड़ा है अथवा उठा रहे हैं उसे हम दृष्टिगत नहीं कर सकते हैं।

खाद्यान्न के सम्बन्ध में हमने सन् १९४८ से ले कर १९५२ तक जो धन सहायता दी है वह लगभग १३८ करोड़ रुपये है। इस के मुकाबिले में इन परियोजनाओं पर इस समय तक केवल ११६ करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। इस तरह से यदि सूक्ष्मता से देखा जाय तो सरकार की धन सहायता के अलावा जनता ने भी आयात किये गये अन्न के लिये अपनी जेब से बहुत अधिक मूल्य चुकाया है। तो मेरे कहने का आशय है कि खाद्य के सम्बन्ध में हमें जितना नुक्सान उठाना पड़ा है उस का आधा भी हम ने अभी इन परियोजनाओं पर व्यय नहीं किया है। इन परियोजनाओं पर ज्यादा से ज्यादा ३०० करोड़ से ४०० करोड़ रुपये तक खर्च होगा लेकिन हम १९४६ तक ८२० करोड़ विदेशी मुद्रा के रूप में खाद्यान्न पर खर्च कर चुके होते। तो इस दृष्टिकोण से इन परियोजनाओं को शीघ्र ही पूर्ण करना अति श्रेयस्कर होगा।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन योजनाओं के सम्पन्न करने के लिये जनता का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। इस में सन्देह नहीं कि जनता ने इन परियोजनाओं में काफी दिलचस्पी प्रकट की है। मद्रास में मणिमुठार परियोजना के लिये लोगों ने १,३८,००,००० रुपये चन्दे के रूप में जमा किये थे, तो इन कार्यों में हमें जनता का

[श्री अलगेशन]

सहयोग तथा उन की सहायता प्राप्त करनी चाहिये, योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में कुछ अस्पष्ट सुझाव दिये हैं जैसे कि सहकारी समितियों की स्थापना आदि। काश ! उन्हों ने इस सम्बन्ध में कोई ठोस उपाय सुझाया होता। मेरा विशवास है कि अन्ततोगत्वा जनता के सहयोग से हमारा निर्माण परिव्यय घट जायेगा।

कृष्णा-पेन्नार परियोजना, जिस में कि मेरी काफी दिलचस्पी रही है तथा है, के सम्बन्ध में भी मैं दो एक शब्द कहना चाहता हूं। यह परियोजना एक ऐसे क्षेत्र में है जो बहुत ही कमी वाला है। तीन परियोजनाओं में केवल यही एक ऐसी परियोजना है जो कमी वाले क्षेत्र में स्थित है। मैं ने इस सम्बन्ध में कई बार प्रार्थना की है तथा मुझे आशा है कि माननीय योजना मंत्री इसे पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लेंगे तथा इसे क्रियान्वित करेंगे।

**श्री सारंगधर दास** : हमारी जलविद्युत परियोजनायें प्रारम्भतः इस उद्देश्य से बनाई गई थीं कि बाढ़ों की रोकथाम तथा सिंचाई की व्यवस्था हो सके। जहां तक मुझे ज्ञात है दामोदर घाटी परियोजना का उद्देश्य बाढ़ों की रोकथाम था। इसी तरह हीराकुड बांध योजना बाढ़ों को रोकने तथा सिंचाई की व्यवस्था के लिये बनाई गई है। लेकिन अब हम देखते हैं कि दामोदर घाटी परियोजना में बिजली घर बनाने पर ही सारा ध्यान केन्द्रित कर दिया गया है। सिंचाई की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। इसी तरह से हीराकुड बांध परियोजना में तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हीराकुड बांध परियोजना में दो करोड़ रुपये के व्यय से एक बिजली घर तथा इस के लिये एक नहर तैयार की जा रही थी। किन्तु इसे अब वैसे ही चार या पांच वर्ष के लिये छोड़ दिया गया है। स्वभावतः इस नहर तथा बिजली को बनाये रखने के लिये सरकार को ही देख भाल करनी पड़ेगी तथा इस का खर्च भी उसे ही उठाना पड़ेगा। इसी तरह कई और भी घटनायें हुई हैं जिन में धन नष्ट हुआ है। यह धन उड़ीसा सरकार के नाम ऋण के रूप में डाला जाता है तथा इस पर प्रति वर्ष ब्याज भी चढ़ता जाता है।

श्रीमान्, तथ्य तो यह है कि उड़ीसा सरकार ने यह परियोजना केन्द्रीय सरकार को केवल सौंपी थी क्योंकि इस के पास दक्ष इंजीनियर नहीं थे। केन्द्रीय सरकार ने यह काम केन्द्रीय जल मार्ग, सिंचाई तथा नौपरिवहन आयोग को सौंप दिया। दुर्भाग्यवश वहां एक गुट ने यह सारा काम अपने हाथ में ले लिया है। इस में बड़े बड़े इंजीनियरों से ले कर छोटे छोटे ठेकेदार तक सभी शामिल हैं। मुझे क्षमा किया जाये यदि मैं यह कहूं कि यह गुट एक ही राज्य से आया है। चार, पांच व छै लाख रुपये वाले ठेकों के टैंडरों के लिये भी अखिल भारतीय रूप से विज्ञापन नहीं किया जाता। सभी ठेके अपने भाई बन्धों को उन की आवश्यकताओं के अनुसार दिये जाते हैं। परिणामस्वरूप उड़ीसा की जनता इस महान् व्यय से कोई फायदा नहीं उठा सकती है। यद्यपि इस पर व्यय होने वाला १०० करोड़ रुपया उन्हीं को अथवा उन की आने वाली सन्ततियों को आगे पीछे चुकाना होगा। किन्तु इस स्थिति को यथावत् नहीं रहने दिया जा सकता है। इस के अलावा और भी कई अनियमिततायें दृष्टि में आई हैं तथा सरकार ने इन के सम्बन्ध में पूछताछ कराने के लिये एक समिति भी नियुक्त की थी। इस समिति की रिपोर्ट अभी सदन में पेश नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि यह रिपोर्ट सदन में पेश की जाये तथा इसे प्रकाशित किया जाये, जिस से कि सभी लोग विशेष

कर उड़ीसा की जनता यह जान सके कि उन का पैसा किस तरह से बर्बाद किया गया है ।

इसी तरह इस परियोजना के प्रौद्योगिक पहलुओं पर विचार करने के लिये तथा उस की जांच करने के लिये भी एक समिति नियुक्त की गई थी । इस समिति की रिपोर्ट भी अभी सदन के सामने नहीं आई है । यह खेद की बात है कि भारत सरकार जब भी कभी यह देखती है कि किसी रिपोर्ट में प्रशासन के विरुद्ध अथवा उच्च अधिकारियों के विरुद्ध कोई बात लिखी गई है तो वह इस रिपोर्ट को जनता के सामने नहीं आने देती । हमें याद है कि बने बनाये मकानों के कारखाने के सम्बन्ध में जांच करने के लिये भी एक समिति नियुक्त की गई थी उस की रिपोर्ट भी अभी अप्रकाशित ही पड़ी है । मैं उड़ीसा की जनता की ओर से मांग करता हूं कि इन दो समितियों की रिपोर्टें बिना किसी विलम्ब के सदन पटल पर रख दी जायें । अन्यथा यह देखना मेरा काम होगा कि उड़ीसा की सरकार भविष्य में उन धनराशियों के दायित्व से इन्कार कर दे जो बिजली घर तथा उस से सम्बन्धित नहर के निर्माण कार्य पर नष्ट की गई हैं अथवा जो भ्रष्टाचार द्वारा ठेकों पर नष्ट की गई हैं । मैं बड़ी बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं की निन्दा नहीं करता हूं, अपितु इस के विपरीत मैं इन का पूर्ण समर्थक हूं । अभी मेरे विद्वान मित्र डा० मेघनाद साहा ने बताया कि रूस तथा अमेरीका से भी गलतियां हुई हैं जब कि उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं को क्रियान्वित किया था परन्तु मैं उन्हें बतला देना चाहता हूं कि इस का यह मतलब नहीं कि हम से भी गलतियां होनी चाहियें । अपितु हमें उन की गलतियों से बहुत कुछ सीखना चाहिये तथा अपने धन तथा समय को बचाना चाहिये । हमारे देश में प्रतिभा की कुछ कमी नहीं है । यदि हीराकुड बांध के प्रशासन में मेरा हाथ होता तो मैं दक्षिण भारत, मद्रास तथा मैसूर से योग्य इंजीनियरों को ला कर इस काम पर लगा देता । इस के साथ ही स्थानीय लोगों को भी अपनी दक्षता का प्रदर्शन करने का मौका देता तथा यदि उन में प्रशिक्षा का अभाव होता तो भारत सरकार से हीराकुड में एक इंजीनियरिंग कालिज स्थापित करने की मांग करता जैसा कि उड़ीसा सरकार मांग कर रही है । महानदी घाटी परियोजना में हीराकुड बांध के अलावा और भी दो बांध टिकरपाड़ा तथा नारा हैं जिन्हें अगले २५ वर्ष में बनाया जा सकता है । तो इस महान कार्य के लिये हमें प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होगी जो इंजीनियरिंग कालिज की स्थापना से ही पूरी हो सकती है ।

सन् १९४८ में सेवेज समिति ने हीराकुड के विस्थापित लोगों के पुनःसंस्थापन के सम्बन्ध में सिफारिश की थी तथा कहा था कि "यह समस्या स्पष्ट रूप से उड़ीसा प्रान्तीय प्रशासन की जिम्मेदारी है । किन्तु हम इस बात को महसूस करते हैं कि केन्द्रीय जल तथा अन्तर्देशीय नौ-परिवहन आयोग, जो कि संगठित विकास के लिये उत्तरदायी है को भी इस ज़िम्मेदारी का कुछ न कुछ हिस्सा उठाना चाहिये । महानदी जलाशय के मुख्य इंजीनियर को इस समस्या का निवारण करने में निरन्तर दिलचस्पी लेना चाहिये । मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक है, तथा जितनी जल्दी उन लोगों की सहानुभूति प्राप्त की जाये जिन के गांव तथा ज़मीनें जलमग्न हो गई हैं, उतना ही परियोजना की सहज कार्य प्रगति के लिये अच्छा है ।" किन्तु हुआ क्या है ? चारों तरफ़ दुर्भावना फैली हुई है । उड़ीसा सरकार इन पीड़ितों को

[श्री सारंगधर दास]

उस से भी कम धन देना चाहती थी जो कि इन्हें भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत मिलना चाहिये था ; उन्होंने १९४८ अथवा १९४९ में एक आपाती विधान पारित किया जिस के परिणामस्वरूप अर्जन मूल्य गिर कर केवल आधा रह गया। उस समय से साम्बलपुर के लोग बराबर आन्दोलन करते चले आ रहे हैं। हमारा यह कर्त्तव्य बन जाता है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि इन विस्थापित लोगों को यथासम्भव कम से कम कठिनाइयां पेश आयें तथा ये परेशान न होने पायें। परन्तु होता यह है कि परियोजना अधिकारी ज़बर्दस्ती उन की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेते हैं तथा फ़सल वाले खेतों पर से सड़कें बनाते हैं। मैं ने स्वयं ऐसी बातें होती देखी हैं। यद्यपि ये छोटी छोटी बातें हैं फिर भी ये उन के लिये बहुत बड़ी हैं।

सारांश यह कि जब तक हीराकुड परियोजना का नये सिरे से ढांचा नहीं बदला जाता तब तक हम करोड़ों रुपयों का नुकसान उठाते रहेंगे। इस धननाश को रोकना सरकार के लिये ज़रूरी है।

**गाडगिल** (पूना-मध्य) : किसी भी सरकार की स्थिरता के लिये यह आवश्यक है कि जनता को खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा तथा रहने को मकान पर्याप्त रूप से मिलें। किसी भी सरकार को विशेषकर किसी लोकतंत्रात्मक सरकार को सत्तारूढ़ रहने का कोई अधिकार नहीं यदि वह उस दायित्व को पूरा न करे।

हमारे देश में इस समय बड़ा प्रश्न तो खाद्य का ही है। भूमि तो हमारे पास सीमित है। हम धरती को एक इंच से भी नहीं बढ़ा सकते हैं। खाद्योत्पादन बढ़ाने के लिये हमें प्रकृष्ट कृषि कार्य पर ही निर्भर रहना होगा। अर्थात् ज़मीन में अधिक तथा अच्छी खाद डाल कर अथवा रासायनिक खाद डाल कर तथा सिंचाई की सन्तोषजनक व्यवस्था करके देश के उत्पादन को बढ़ाना होगा। जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है, इस समय हम अपने जल सम्बन्धी संसाधनों का केवल छै: प्रतिशत प्रयोग में ला रहे हैं। शेष जल समुद्र में बेकार चला जाता है। यदि हमारे इंजीनियर, पूंजीपति तथा राजनीतिज्ञ पांच अथवा दस वर्षों में हमारे जल सम्बन्धी संसाधनों का एक अथवा दो प्रतिशत भाग और काम में ला सकें तो हमारी खाद्य समस्या हल हो सकती है। भारत सरकार ने इस सिलसिले में कुछ प्रारम्भिक भू-परिमाप का काम किया है तथा इस के निष्कर्ष "भारत में सिंचाई तथा विद्युत की नई परियोजनाएं" नाम की पुस्तिका में दिये गये है। यदि इन सभी परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाये तो बताया जाता है कि हम २ करोड़ ७० लाख एकड़ और अधिक भूमि में कृषि कर सकेंगे तथा विद्युत शक्ति जो इस समय केवल ५ लाख किलोवाट है ९० लाख कलोवाट तक बढ़ा सकेंगे। परन्तु देखना यह है कि हम अपने देश के संसाधनों को कैसे प्रयोग में लाते हैं। हमारा देश तो जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों से परिपूरित है। हमें इस बात की ओर ध्यान देना होगा कि हमारा एक एक जलबिन्दु भी काम में आये।

हम बेकारी को बिल्कुल समाप्त करने की बातें सोच रहे हैं। बेकारी केवल देश के औद्योगीकरण से ही हल हो सकती है। औद्योगीकरण के लिये हमें विद्युत शक्ति की आवश्यकता है जो कि हम इन बड़ी बड़ी परियोजनाओं से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। भू-तत्व विशेषज्ञ हमें बताते हैं कि हमारी कोयला खाने हमें केवल अगले ६५ वर्ष तक ही कोयला दे सकेंगी। इस कारण से यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हम जल सम्बन्धी अपने संसाधनों को उचित रूप से उपयोग में लायें। हमें न केवल

आज की बात सोचनी चाहिये अपितु आगामी सन्ततियों के बारे में भी सोचना चाहिये। हमारे पास साधन भी हैं तथा हमें अपनी कार्यकुशलता दिखाने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। हमें इस से फ़ायदा उठाना चाहिये जिस से कि हम आने वाली सन्ततियों के क्षोभ का पात्र न बनें। मैं अपने माननीय मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वे इसी भावना से हमें अपना सहयोग दें।

तीन ही महीने हुए प्रो० वकील ने एक पुस्तिका में यह स्पष्ट किया था कि विद्युत शक्ति के अपर्याप्त होने के कारण बम्बई के कारखानों को लगभग ५० करोड़ रुपये का नुक्सान उठाना पड़ा। यद्यपि सरकार के अनुमान के अनुसार यह १० करोड़ रुपये का था। कुछ भी हो मेरे कहने का आशय यह है कि हमारे ३४ प्रतिशत उद्योग बम्बई में स्थित हैं तथा यदि वहां एक दिन भी विद्युत शक्ति रुक जाये तो लाखों रुपये का नुकसान हो जाता है। यदि सरकार बम्बई के उद्योगों को सस्ती तथा पर्याप्त मात्रा में विद्युत शक्ति प्रदान करना चाहती है तो वह ऐसा कोयना बांध का निर्माण कार्य पूर्ण करने पर ही कर सकती। इसलिये इस की कार्य प्रगति बढ़ाई जानी चाहिये। इस बांध के बनने से महाराष्ट्र के उद्योगों को भी बढ़ने का अवसर मिलेगा।

विद्युत परियोजनाओं में प्राथमिकता उन परियोजनाओं को दी जानी चाहिये जो उद्योग-क्षेत्रों को सस्ती बिजली प्रदाय करने में सहायक हो सकें। मैं यह नहीं चाहता हूं कि अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा की जाये। किन्तु बुद्धि की मांग है कि उद्योग क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। जितना अधिक औद्योगीकरण होगा उतना अधिक लोगों को काम मिलता रहेगा। संक्षेप में यह कि सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं का कार्यक्रम इस तरह से तैयार होना चाहिये कि पांच अथवा दस वर्षों में ही समस्त देश को पर्याप्त मात्रा में विद्युत शक्ति तथा सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हो सकें।

किन्तु यह सभी कार्य करने के लिये हमें धन की आवश्यकता है। में समझता हूं कि जब माननीय देशमुख जैसे योग्य व्यक्ति हमारा कोष संभाले हुए हैं तो हमें धन प्राप्त होने में अधिक कठिनाई पेश नहीं होनी चाहिये। आज चारों ओर से घाटे का आयव्ययक रख कर इन परियोजनाओं को क्रियावित करने की बात चल रही है। मुझे माननीय वित्त मंत्री को यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उन्हें सावधान रहना चाहिये। वह इस देश में मुद्रास्फीति की कमर तोड़ने में सफल हुए हैं। हमें इस बात की ओर ध्यान रखना होगा कि यह कहीं फिर सिर न उठाये। विश्व में आज भी मुद्रास्फीति के फिर से सिर उठाने की आशंका है।

जहां तक इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का सम्बन्ध है मेरा भी इस में कुछ हाथ रहा है। मुझे मालूम है कि उड़ीसा निवासियों की यह शिकायत रही है कि इन परियोजनाओं को क्रियानिवत करने के लिये अधिकांशतया पंजाबी कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। मैं ने उन्हें समझाने की कोशिश की है कि यद्यपि पंजाबी कर्मचारी यह काम कर रहे हैं किन्तु अन्ततोगत्वा इस से उड़ीसा निवासियों को ही लाभ होगा। मैं समझता हूं कि भारत की स्मृद्धि अविभाज्य है, यह प्रादेशिक नहीं होनी चाहिये। परन्तु इस के साथ ही हमें स्थानीय वस्तुस्थिति तथा वातावरण को ध्यान में रखना चाहिये जिस से कि समय आने पर न केवल औद्योगिक कामकरों का जीवन स्तर बढ़ जायेगा अपितु भूमिहीन मज़दूरों का जीवनस्तर भी समान रूप से तथा समानुपातिक रूप से बढ़ जायेगा।

शिकायत की गई है कि सरकार ने गलतियां की हैं जिन से नुकसान हुआ है यह

[श्री गाडगिल]

ठीक है, किन्तु सरकार ने कभी यह नहीं कहा है कि वह तथा उस के इंजीनियर त्रुटियों से परे हैं। जहां करोड़ों रुपये, लाखों एकड़ भूमि तथा हज़ारों किलोवाट विद्युत शक्ति की बात हो, वहां यदि एक आध जगह कुछ नुकसान भी हो जाये तो वह स्वाभाविक ही है। किन्तु मेरे कहने का यह आशय नहीं कि हमें इन पर ध्यान न देना चाहिये। वास्तवमें दामोदर घाटी निगम के लिये एक अभिकरण बनाया गया था। उसी तरह भाकड़ा बांध के लिये भी एक नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया था। दामोदर घाटी निगम के बारे में बहुत सी गलतफ़हमियां हैं। दामोदर घाटी निगम जिस विधेयक के अन्तर्गत बनाया गया था उस का कर्णधार मैं ही था। उस समय सदन की प्रवृत्ति इसे पूर्ण स्वायत्तशासी रखने के पक्ष में थी। बाद में अनुभव प्राप्त करने पर सदन की धारणा बदल गई। कुछ भी हो इन बातों का वास्तविक मामले पर कोई प्रभाव न पड़ना चाहिये। हमें इन परियोजनाओं को जैसे तैसे क्रियान्वित करना होगा क्योंकि इन्हीं के पूर्ण होने में हमारे जीवन, हमारी समृद्धि तथा हमारी शान्ति का रहस्य है। चाहे हमारा सम्बन्ध किसी भी पक्ष से हो, हमें इन राष्ट्र निर्माणकार्यों के लिये तथा पंचवर्षीय योजना के लिये उत्साह पैदा करना चाहिये। हमारी योजनायें ट्रैक्टरों आदि उपकरणों से सफल न हो कर जनता के सहयोग तथा उत्साह से ही सफल हो सकती हैं।

**११ म० पू०**

**श्री गोपाल राव** : मैं सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में सामान्य रूप से तथा बहुमुखी नदी घाटी योजनाओं के सम्बन्ध में विशेष रूप से कुछ कहना चाहता हूं। हमारी सारी छोटी बड़ी परियोजनाओं का उद्देश्य बाढ़ों को रोकना, सिंचाई की व्यवस्था कर के खाद्योत्पादन में वृद्धि करना तथा विद्युत शक्ति पैदा करना है। पंचवर्षीय योजना में इन परियोजनाओं के लिये लगभग ७०० करोड़ रुपये निश्चित किये गये हैं तथा बताया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद ८८ लाख एकड़ और अधिक भूमि में सिंचाई हो सकेगी तथा ११ लाख किलोवाट विद्युत शक्ति और पैदा की जायेगी।

प्रश्न यह है कि क्या सरकार जनता में इतना उत्साह पैदा कर सकेगी कि वह इस महान् कार्य में भाग ले सके? क्या वह गली सड़ी नौकरशाही का आश्रय न ले कर जनता के सहयोग से इस कार्य को पूरा कर सकेगी? क्या हम अपनी अर्थ व्यवस्था पर निर्भर रह कर इसे पूरा कर सकते हैं अथवा विदेशी सहायता पर निर्भर रह कर?

इन प्रश्नों पर और अधिक चर्चा करने से पूर्व मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अकालग्रस्त क्षेत्रों को जहां कि इन परियोजनाओं की अत्यन्त आवश्यकता है बिल्कुल ही छोड़ दिया गया है। उदाहरणार्थ मलाबार को ही लीजिये। इस क्षेत्र के लिये दुर्भिक्ष एक स्थायी चीज़ बन गई है। पंचवर्षीय योजना में इस की बिल्कुल ही उपेक्षा की गई है। कुछेक मित्रों से मुझे मालूम हुआ है कि मालमपुज्हा परियोजना का निर्माण कार्य भी अब बन्द कर दिया गया है। अनुमान लगाया गया था कि इस का निर्माण कार्य १९५३ में पूरा हो जायेगा तथा इस से हज़ारों टन अन्न पैदा करने में सहायता मिलेगी। इन बातों को देखते हुए मुझे संदेह होता है कि क्या सरकार इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में गम्भीर है अथवा नहीं।

आन्ध्र देश को लीजिये। इस में दो बड़ी बड़ी नदियां गोदावरी तथा कृष्णा बहती हैं। किन्तु इतना होते हुए भी इस के आठ ज़िले प्रायः अकालग्रस्त रहते हैं। रायलासीमा की

बातें तो आजकल आप सुन ही रहे हैं। कई माननीय सदस्यों ने वहां की दुर्दशा का वर्णन किया है। परन्तु खेद की बात है कि इस गुत्थी को सुलझाने के लिये सरकार द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। गत चार या पांच वर्ष से आन्ध्र देश में नन्दगोंडा परियोजना के लिये एक आन्दोलन चल रहा है। यदि यह परियोजना क्रियान्वित की जाये तो आठ ज़िलों को तैलंगाना, रायलसीमा तथा कई अन्य क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो सकती है। इस से पचास लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई हो सकती है तथा एक लाख किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है। यह संसार का एक श्रेष्ठतम बांध बन सकता है। इस पर ६५ करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है तथा जनता के सहयोग से इस का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूरा हो सकता है। परन्तु दुर्भाग्यवश अभ्यावेदनों के किये जाने पर भी सरकार ने यह काम हाथ में लेने से साफ़ इन्कार कर दिया है तथा इस सिलसिले में जांच की भी व्यवस्था नहीं की गई है। दूसरी परियोजनायें जो सिद्धेश्वरम् परियोजना के नाम से प्रसिद्ध है रायलसीमा, कुर्नूल तथा कुड्डपाह के ज़िलों को फ़ायदा पहुंचा सकती है। यद्यपि यह एक छोटी परियोजना है फिर भी इस से ११ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकती है। इस पर ३० करोड़ रुपये खर्च आयेंगे। सरकार ने इस पर भी विचार करने वे इन्कार कर दिया है।

गोदावरी नदी घाटी परियोजनायें जिन में रामपद सागर परियोजना तथा रामगुंडम् परियोजना शामिल है, भी पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं की गई है और न ही इन के सम्बन्ध में अनुसन्धान कराने की कोई व्यवस्था की गई है। इन परियोजनाओं पर बराबर १९४४ से चर्चा हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिये जिन से ऐसे क्षेत्रों को लाभ पहुंच सकता है जो पिछड़े हुए हों और जहां सदा अकाल का भय रहता हो।

जहां तक दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुद परियोजना तथा भाकड़ा और नांगल परियोजनाओं के कार्य संपादन का संबंध है, हमें वहां से अत्यन्त ही असंतोष जनक स्थिति के समाचार मिल रहे हैं। वहां भ्रष्टाचार, नौकरशाही आदि आदि बातों का दौर दौरा है। हीराकुद से प्राप्त समाचारों से पता चलता है कि सारे ठेके अपने अपने लोगों को दिये जा रहे हैं। लोग पूछते हैं कि क्या यह परियोजनायें उच्च अधिकारियों तथा ठेकेदारों के फायदे के लिये बन रही हैं?

आंक समिति की रिपोर्ट से पता चल सकता है कि स्थिति कितनी बिगड़ी हुई है। उसके पृष्ठ २४ पर लिखा है कि बड़ी बड़ी संस्थायें तथा फर्में बिना कुछ काम किये सरकारी धन के एक बड़े भाग को हज़म कर रही हैं। हीराकुद परियोजना में पहिले बिजली घर बनाने के कार्य को प्राथमिकता दी गई थी। इस पर डेढ़ करोड़ रुपया व्यय किया गया किंतु फिर इसे तुरन्त बन्द करके सारी सामग्री तथा सारे श्रम तथा धन को सिंचाई परियोजना पर लगा दिया गया। इस तरह से भी काफ़ी धन नष्ट हुआ। आंक समिति की रिपोर्ट में बताया गया है कि हीराकुद बांध परियोजना में काम के दरों की कोई अनुसूची नहीं रखी गई है। कोई स्टाक रजिस्टर नहीं रखे गये हैं। तथा सार्वजनिक संपत्ति उच्च अधिकारियों द्वारा अपने वैयक्तिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग में लाई जा रही है। सारांश यह कि यह अत्यन्त ही लज्जाजनक स्थिति है।

समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि देशी गुणों तथा कार्य प्रवीणता को उचित रूप से प्रयोग में लाया जाना चाहिये। परन्तु यहां स्थिति तो बिल्कुल उल्टी है। हम हर

[श्री गोपाल राव]

एक बात के लिये विदेशी सहायता पर निर्भर करते हैं चाहे यह धन की बात हो, श्रम की बात हो अथवा प्रौद्योगिक परामर्श की बात हो। इस सदन के कुछ माननीय सदस्य चीन गए थे उन्होंने एक स्वर में वहां के लोगों के उत्साह की प्रशंसा की है। किंतु अपना तो हाल है कि जिन क्षेत्रों में इन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है वहां के लोग हताश तथा हतोत्साह हैं क्योंकि उनके सहयोग को गैर-ज़रूरी समझा गया है। क्या लोगों के सहयोग के बिना यह काम कभी पूर्ण हो सकता है ? चीन में बड़ी बड़ी परियोजनायें बिना किसी विदेशी सहायता के क्रियान्वित की गई हैं। वहां की हवाई बांध परियोजना का निर्माण कार्य लगभग २५ लाख व्यक्तियों ने छै महीने में ही पूर्ण किया था। तथा इसके बनाने में कोई भी विदेशी सहायता प्राप्त नहीं की गई। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं ? हम भी कर सकते हैं। हमारे लोगों में भी देशभक्ति तथा कार्य करने की शक्ति है। किंतु प्रश्न इन्हें केवल उचित रूप से संगठित करने का है। मैं सरकारी पक्ष से प्रार्थना करता हूं कि वह भविष्य में नीति-निर्धारण के समय इन बातों को ध्यान में रखें।

**श्री एन० पी० सिन्हा** (हज़ारीबाग-पूर्व) : इस सदन में बोलने का मेरा यह पहिला अवसर है तथा श्रीमान् मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आप ने मुझे यह अवसर दिया है।

हमारी सब से बड़ी समस्या इस समय खाद्य की है तथा यह समस्या केवल नदी घाटी परियोजनाओं तथा बहुमुखी परियोजनाओं से ही हल हो सकती है। इसके लिये हमें जनता में उत्साह पैदा करना होगा तथा उन्हें जतलाना होगा कि इन परियोजनाओं का फायदा क्या है। यह उत्साह हम केवल इस लक्ष्य को ही सामने रखकर पैदा कर सकते हैं कि हमें खाद्य समस्या को हल करना है।

परन्तु देखा गया है कि कई लोग निहित स्वार्थों के कारण विकास योजनाओं का विरोध करते हैं। उनका उद्देश्य देश में किसी तरह भी अशांति फैलाकर सरकार पर कब्जा कर लेना होता है। ऐसी दशा में कोई भी सरकार चाहे उस के पास कितना ही धन क्यों न हो अथवा कितना ही साहस क्यों न हो किसी परियोजना का निर्माण कार्य सहज ही में पूर्ण नहीं कर सकती है।

दामोदर घाटी परियोजना के संबंध में यहां बहुत कुछ कहा जा चुका है। इस परियोजना का तीन चौथाई भाग जिला हज़ारीबाग में है जहां से कि मैं आया हूं। मैं आंक समिति की रिपोर्ट के आधार पर कुछ न कह कर अपने अनुभव से कुछेक बातें बताना चाहता हूं। वहां के विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने के लिये जो भी कोशिश की जा रही है उसे असफल बनाने के लिये कुछ स्वार्थी पक्ष लोगों को बहकाते हैं। उन्हें सरकार का सहयोग न देने के लिये कहा जाता है। उनके दिलों में यह बात बिठाई जाती है कि इन परियोजनाओं का कोई फायदा नहीं, तथा यह केवल ठेकेदारों और उच्च अधिकारियों की जेबें भरने के लिये हैं। तो उस प्रचार से जनता के मन में आशंकायें पैदा होती हैं, उन में उत्साह पैदा करने का प्रश्न ही दूर रहा। जब तक कि हम इस शरारत भरे तत्व का उन्मूलन न करें सरकार की कोई भी परियोजना सफल नहीं हो सकती।

दामोदर घाटी परियोजना के कार्य में दूसरी त्रुटि यह है कि उस में प्रकाशन तथा प्रचार का अभाव है। जनता को इस महान् कार्य के संबंध में, इसकी प्रगति के संबंध में कोई भी सूचना नहीं दी जाती है। आसान

हिंदी में कोई साहित्य प्रकाशित नहीं किया जाता है । जो मजदूर वहां काम पर लगे हुए हैं उन्हें यह भी मालूम नहीं कि वे किस काम पर लगे हुए हैं । जनता में आज भी भ्रम हैं, तथा जब तक कि उन्हें दूर न किया जाय, कोई फायदा नहीं हो सकता है । हम देखते हैं कि टेनेस्सी घाटी परियोजना के संबंध में बहुत अधिक साहित्य प्रकाशित किया गया है । तथा इसे विश्व की श्रेष्ठतम नदी घाटी परियोजना मानने के बाद भी रुस के संबंध में आज भी साहित्य प्रकाशित होता रहता है । दामोदर घाटी परियोजना के संबंध में भी हमें इस पहलू को ध्यान में रखना हगा ।

तीसरी बात जो मैं सरकार से जानना चाहता हूं यह है कि बिहार की कितनी भूमि पर इस परियोजना के परिणामस्वरूप सिंचाई हो सकेगी । समाचार पत्रों से पता चलता है कि इस परियोजना से बिहार को काफी विद्युत शक्ति उपलब्ध होगी । किंतु उस विद्युत शक्ति से क्या होगा ? बिहार में अभ्रक काफी मात्रा में पाया जाता है, किंतु वहां विद्युत के बड़े बड़े प्रौद्योगिक उद्योगों के न होने के कारण इसे निर्यात किया जाता है मैं चाहता हूं कि बिहार में विद्युत के बड़े २ प्रौद्योगिक उद्योग स्थापित किये जायें जिस से कि वहां के अभ्रक तथा प्राप्त होने वाली विद्युत शक्ति से फायदा उठाया जा सके ।

कोसी नदी के संबंध में क्या होगा ? प्रति वर्ष इस से बिहार में भयानक तबाही होती है । इसके संबंध में अभी केवल जांच पूरी की गई है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं वह कोसी के संबंध में क्या करने जा रही है ?

**श्री आर० एन० एस० देव** : हीराकुड बांध परियोजना में किस तरह भ्रष्टाचार तथा पक्षपात का बोलबाला है तथा किस तरह से उड़ीसा निवासियों को निरुत्साहित किया जा रहा है, इसके सम्बन्ध में श्री सारंगधर दास ने अभी बहुत कुछ कहा है । इसके उत्तर में श्री गाडगिल ने जो यह कहा कि हम में प्रान्तीयता की भावना नहीं होनी चाहिये, यह भी ठीक है । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उस इलाके के लोगों की न्याय मनोकांक्षाओं पर ध्यान न दिया जाना चाहिये अथवा इस बात की जांच न की जानी चाहिये कि क्यों कुछ व्यक्तियों के इशारों पर लाखों रुपये नष्ट किये जा रहे हैं, अथवा पंजाब से क्यों भैंसें आयात की जा रही हैं । हिमालय तथा पंजाब से उड़ीसा के लिये रेलवे की शहतीरें आयात की जाती हैं, हमें ज्ञात है कि उड़ीसा चिरकाल से बंगाल नागपुर रेलवे को शहतीरें उपलब्ध कराता रहा है ! तो अब इन्हें पंजाब से आयात करने की क्या आवश्यकता पड़ी है ?

मैं यह भी नहीं कहता हूं कि नदी घाटी परियोजनाओं के संबंध में जो भी आलोचना की गई है वह उचित तथा न्याय्य है । किंतु जब भ्रष्टाचार, धन नाश तथा पक्षपात के आरोप लगाए गये हैं तो सरकार को इस पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिये । हीराकुद बांध के संबंध में पाधी समिति तथा मजूमदार समिति जो दो समितियां नियुक्त की गई थीं उन की रिपोर्टें अभी सरकार के विचाराधीन हैं । हम चाहते हैं कि सरकार इस सदन को अपने विश्वास में लाये और वे दोनों रिपोर्टें सदन में पेश करे । इन नदी घाटी परियोजनाओं के कुछ पहलुओं पर जो आलोचना की गई है उसे देखकर यही पता चलता है कि कोई न कोई धांधली हुई होगी ।

बहुप्रयोजनीय परियोजनायें धांधलियों का गढ़ बनी हुई हैं । इस संबंध में काफी आलोचना की गई है कि किस तरह से उचित प्राक्कलन बनाये बिना ही इन परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया है, इन में कितना

[श्री आर० एन० एस० देव]

धन नष्ट हुआ है तथा विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने के लिए व्यवस्था का कैसे अभाव है। इन परियोजनाओं के परिव्यय में जो वृद्धि हुई है उसकी भी आलोचना की गई है। दामोदर घाटी परियोजना पर अब ३७.८१ करोड़ के स्थान पर ७४.९८ करोड़ रुपये व्यय होंगे। इस वृद्धि का कारण परियोजना के क्षेत्र में विस्तार, रुपये का अवम्यूलन तथा मूल्यों में वृद्धि बताया जाता है। यदि सरकार इन कारणों से संतुष्ट है तो हमें इस परिव्यय वृद्धि पर कोई आपत्ति नहीं है। निर्माण कार्य में बिलम्ब, यह भी एक शिकायत है जिस पर कि सरकार को ध्यान देना चाहिये। जहां तक इन परियोजनाओं पर सरकारी नियंत्रण का संबंध है गोरवाला समिति ने सिपारिश की थी कि इन के कार्य संपादन के लिए स्वायत्त-शासी निकाय स्थापित किये जाने चाहिय। दामोदर घाटी परियोजना के लिये तो ऐसा निकाय स्थापित किया गया किंतु हीराकुद परियोजना तथा भाखड़ा-नांगल परियोजना के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हीराकुद बांध जो अधिकांश रूप से एक वैभागिक कार्य के रूप में किया जा रहा है। परिणामस्वरूप इसके संबंध में काफी धांधलियां हुई हैं। दामोदर घाटी निगम को अधिक स्वायत्तता देने की भी अब आलोचना की जा रही है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें कोई मध्य मार्ग अपनाना होगा जिस से कि इन के ऊपर नियंत्रण भी रहे तथा इनके भीतरी प्रशासन में कोई अनुचित हस्तक्षेप न हो। हीराकुद परियोजना के संबंध में एक और भी सुझाव देना चाहता हूं। इसके नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष उड़ीसा के मुख्य मंत्री नियुक्त किये गये हैं। संभवतः वह इस कार्य में अधिक समय न लगा सकेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार को एक ऐसा स्वतंत्र बोर्ड स्थापित करने पर विचार करना चाहिये जिसका अध्यक्ष कोई स्वतंत्र सदस्य हो।

अन्त में, श्रीमान्, मैं निवेदन करता हूं कि सरकार को उन सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार करना चाहिये जो विभिन्न माननीय सदस्यों ने इन परियोजनाओं के कार्य संपादन पर नियंत्रण रखने के संबंध में दिये हों।

**श्री बी० आर० भगत** (पटना व शाहाबाद) : भारत की सब से बड़ी समस्या इस समय यही है कि वह अपने जल संसाधनों को किसी न किसी तरह से उपयोग में लाये जिससे कि उसकी बढ़ती जन संख्या का भरण पोषण हो सके। यह खेद की बात है कि इस समय हम अपने जल संसाधनों का केवल ६ प्रतिशत उपयोग में ला रहे हैं। तथा हमारी कृषि की भूमि के कुल १८ अथवा १९ प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है। इस वस्तु-स्थिति को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने भी जल-विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर जोर दिया है। इसके अनुमानों के अनुसार पहले प्रक्रम पर इन परियोजनाओं पर ४५० करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे तथा दूसरे प्रक्रम पर और १४० करोड़ रुपये। योजना आयोग की धारणा है कि देश में खाद्य की समस्या तभी हल हो सकती है यदि अगले पांच वर्षों में ८८ लाख एकड़ भूमि में और सिंचाई होने लगे तथा १९·६ लाख किलोवाट बिजली पैदा करने की व्यवस्था हो सके। इसकी एक दीर्घकालिक योजना यह भी है कि हम १५ से २० वर्ष तक देश की सभी आर्थिक समस्याओं को हल कर लेंगे यदि हम १४०० करोड़ रुपये खर्च करके कुल सिंचित क्षेत्र को दुगना कर सकें तथा ७० लाख किलोवाट बिजली पैदा कर सकें। इस प्रकार हमारा सुख तथा हमारी

समृद्धि इन्हीं परियोजनाओं के सफल होने पर निर्भर है ।

जहां तक दामोदर घाटी परियोजना का संबंध है मैं ने गत दो वर्षों से इस में दिलचस्पी लेने की कोशिश की है । इस सदन में तथा इस से बाहर भी इस के कार्यक्रम पर काफी आलोचना की गई है तथा इस संबंध में आंक समिति ने जांच करके अपनी सिपारिशें पेश की हैं । मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि जब से आंक समिति ने इस परियोजना का निरीक्षण किया है तथा अपनी सिपारिशें पेश की हैं तब से इस की स्थिति में काफी सुधार हुआ है । आलोचना अधिकांश रूप से वित्त सलाहकार की स्थिति, दामोदर घाटी निगम का कार्यकरण, सिंचाई परियोजना की प्रथम अवस्था में उस की अर्थ व्यवस्था तथा संपूर्ण आर्थिक, यान्त्रिक तथा प्रशासकीय ढांचे, प्राक्कलनों तथा परियोजना के प्रतिवेदनों तक ही सीमित रही है । मैं इसकी वित्तीय व्यवस्था में दिलचस्पी लेता रहा हूं तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जब से यह फैसला किया गया है कि किसी मामले में वित्त सलाहकार तथा निगम में मतभेद होने की दशा में वह मामला सरकार के सुपुर्द किया जाये और उसका निर्णय अन्तिम हो, तब से स्थिति सुधर गई है । मुख्य इंजीनियर की नियुक्ति से भी आर्थिक तथा प्रशासकीय ढांचे में काफी सुधार हुआ है; तथा इस समय कार्य प्रगति जोरों पर है । तिलैया बांध का निर्माण कार्य इसी वर्ष पूरा हो जायगा । इसी तरह बोकारो बिजली घर भी निश्चित की गई कालावधि के भीतर ही अगले वर्ष के आरम्भ में तैयार हो जायेगा । बिजली घर के निर्माण के लिये १२ करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया था, तथा यह प्रसन्नता की बात है कि यह इसी लागत में पूरा हो रहा है । चिंता केवल इस बात की है कि कुछेक बांधों के प्राक्कलनों में हाल ही में अत्यधिक वृद्धि हो गई है । दामोदर घाटी निगम ने दुर्भाग्यवश पहले स्थूल प्राक्कलन पेश किये थे, तथा इन में योजनाओं की केवल रूप रेखा दी गई थी । इसीलिये मूल प्राक्कलनों का संशोधन किया गया । इस में वर्तमान सरकार का कोई दोष नहीं । यह काम अंग्रेजी शासन में शुरू किया गया था । इसी तरह पहले पहल सिंचाई तथा बाढ़ रोकने का काम शुरू किया गया था, किंतु बाद में बिजली घर बनाने के काम को प्राथमिकता दे दी गई । तिलैया बांध के लिये लागत का अनुमान पहले पहल १.९६ करोड़ रुपये लगाया गया था किंतु यह हाल ही में बढ़कर लगभग ३ करोड़ रुपये हो गया है । इसके लिये बहुत से कारण दिये जाते हैं । परन्तु कुछ भी हो, मैं समझता हूं कि उन बातों को पहले ही ध्यान में रखा जाना चाहिये था । मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह तिलैया बांध तथा कोनार बांध के प्राक्कलनों के विवरणों की स्वयं जांच करें । कोनार बांध के लिये लागत का अनुमान शुरू में ४ करोड़ रुपये था । अब यह बढ़कर ९ करोड़ रुपये तक पहुंच गया है । उस वृद्धि के लिये भी हमें रुपया का अवमूल्यन आदि कारण बताये गये हैं । मैं इस सदन से अनुरोध करता हूं कि वह नये सिरे से इस परियोजना का प्राक्कलन तथा प्रतिवेदन तैयार करवाये । मैथुन बांध तथा पंचेत पहाड़ी का बांध दो बड़े महत्वपूर्ण बांध हैं जो बाढ़ रोकने तथा सिंचाई की व्यवस्था करने के लिये बनाये जा रहे हैं । इन पर २८ करोड़ रुपये लागत आयेगी तथा अगले दो एक वर्षों में इन की कार्य प्रगति चरम सीमा पर पहुंच जायेगी । तिलैया कोनार बांध इन बांधों के मुकाबले में बहुत छोटे हैं । मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह इन दोनों बांधों के प्राक्कलनों की जांच करें । मेरा विचार है कि इन्हें प्राप्त अनुभव के आधार पर नये सिरे से तैयार किया जाना चाहिये । पंचेत पहाड़ी के बांध के लिये

[श्री बी० आर० भगत]

मैथुन बांध के आधार पर प्राक्कलन तैयार किया गया है। मैं चाहता हूं कि इन के लिये अलग अलग प्राक्कलन तैयार किये जायें तथा संपूर्ण परियोजना को पृष्ठ भूमि मानकर भी एक पूरा अनुमान तैयार किया जाना चाहिये ।

दामोदर घाटी परियोजना के आर्थिक पहलू का जहां तक संबंध है, मेरा विचार है कि हमें अधिक आशावान न होना चाहिये। यह आशा की गई थी कि दामोदर घाटी निगम १९६४-६५ तक अपना समस्त व्याज अदा कर देगी तथा उसके बाद मूल धन का भुगतान शुरू होगा । किंतु स्थिति यह है कि इस परियोजना के प्रथम प्रक्रम पर ७८ करोड़ रुपये का पूंजी विनियोग होगा, तथा इस प्रक्रम के पूर्ण होने पर इसका कार्य-वाहक व्यय १.७१ करोड़ रुपये होगा, जब कि निगम इस से ५.८ करोड़ रुपये कुल राजस्व के रूप में प्राप्त कर सकेगा — कुल राजस्व से कार्यवाहक व्यय काटा जाये तो शेष ४.१ करोड़ रुपये रह जाते हैं ; अर्थात् राजस्व ४.९ प्रतिशत प्रति वर्ष आ जाता है । बाढ़ रोकने के लिये जो व्यवस्था की जायेगी उस से कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होगा यद्यपि अप्रत्यक्ष लाभ बहुत कुछ होगा । यह सरकार का एक दायित्व ही समझ लीजिये । यदि इस व्यवस्था पर लगे धन को एक ओर रखा जाय तो राजस्व ५.८९ प्रतिशत तक आ जाता है जो कि कुछ कम नहीं है । परन्तु अब यह बात महसूस की जा रही है कि दामोदर घाटी निगम १९६४-६५ तक सारे का सारा ब्याज नहीं चुका सकेगा । इसका अर्थ यह होगा कि मूल धन का भुगतान स्थगित करना पड़ेगा । इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह उस प्रश्न की जांच करें। यह परि-योजना न्यूनतम लागत पर तथा समय पर तैयार होनी चाहिये । क्योंकि यह उसके आर्थिक तथा वित्तीय पहलू का एक आवश्यक अंग है ।

१२ मध्यान्ह।

जहां तक नदी घाटी परियोजनाओं के प्रशासन का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कई परियोजनाओं का निर्माण कार्य हाथ में लेते हुए भी हमारे पास इन के समन्वय की कोई व्यवस्था नहीं है । संसाधनों को इकट्ठा करने की कोई व्यवस्था नहीं, तथा प्राप्त अनुभव को उचित ढंग से उपयोग में लाने की भी कोई व्यवस्था नहीं । हमारी कुछ परियोजनायें बन कर तैयार हो रही हैं । वहां के फालतू सामान को तथा वहां के प्रौद्यो-गिक कर्मचारियों को दूसरे स्थान पर काम पर लगाया जा सकता है ।

मेरा दूसरा सुझाव इंजीनियरों के वेतन सम्बन्धी नियमों के बारे में है । इंजीनियरों के वेतन दर में एकरूपता होनी चाहिये जिस से कि नदी घाटी परियोजनाओं के लिये देशी गुणवान् यान्त्रिकों तथा प्रौद्योगिक संभार से अधिकतम लाभ उठाया जा सके । मेरा तीसरा सुझाव यह है कि नदी घाटी परियोजना, के प्रशासन का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये अर्थात् इन के सम्बन्ध में नीति निर्धारण का काम मंत्रिमंडल के हाथ में होना चाहिये, आयोजन का कार्य योजना आयोग के हाथ में रहना चाहिये जो कि यह प्रौद्योगिक कर्म-चारियों की सहायता से करे तथा इनका कार्य सम्पादन अर्ध-स्वायत्तशासी निकायों के हाथ में हो ।

मेरा चौथा सुझाव यह है कि भविष्य की नदी घाटी परियोजनायें एक बड़ी योजना का अंग होनी चाहियें तथा ऐसी परियोजनाओं का ढांचा तैयार करते समय सारे देश की आर्थिक स्थिति को पूर्णरूप से दृष्टि में रखा जाना चाहिये ।

**श्री राधेलाल व्यास** (उज्जैन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप ने मुझे इस समय जो बोलने का अवसर दिया है, उस के लिये मैं आप का अत्यन्त आभारी हूं। रिवर वैली (नदी घाटी) योजनाये हमारे देश के लिये एक ऐसा काम करने जा रही हैं कि जिस से देश का सारा नक्शा ही आर्थिक दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से और औद्योगिक दृष्टि से बदल सकता है और साथ ही में जिस अनाज पर हम अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, उस अनाज की कमी को भी दूर करने जा रही हैं, और यही कारण है कि अनाज की कमी की वजह से प्लानिंग कमीशन (योजना आयोग) ने सब से पहले उन योजनाओं को हाथ में लिया जो देश का खाद्यान्न ज़रा बढ़ा कर के देश को स्वावलम्बी बनाने की ओर अग्रसर हों। इस सम्बन्ध में प्लानिंग कमीशन ने ये चार विशेष सिद्धान्त निर्धारित किये थे। पहला नियम यह है कि जो योजनायें अभी चालू हैं और जिन पर काम हो रहा है सब से पहले ली जायंगी। दूसरा सिद्धान्त यह है कि वह योजनायें जो अन्न का उत्पादन अधिक बढ़ाने वाली हैं, उन को भी प्राथमिकता दी जायगी। तीसरा सिद्धान्त है कि जो ज्यादा सस्ती हों, ज्यादा अच्छा नतीजा देने वाली हों और जो ज्यादा लाभप्रद हों, उन को भी पहले लिया जायेगा। और चौथा सिद्धान्त है कि किसी प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुए और जो पिछड़े हुए प्रदेश हैं उन को समक्ष रखते हुए इन योजनाओं को प्राथमिकता दी जायगी। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो पिछले वर्षों में सारे देश में बड़ी बड़ी योजनायें थीं और जो पंच वर्षीय रिपोर्ट अप्रैल १९४२ से मार्च १९५० तक सेण्ट्रल वाटरवेज़ इरीगेशन एण्ड नेवीगेशन कमीशन (केन्द्रीय जलमार्ग सिंचाई तथा नौपरिवहन आयोग) के द्वारा जारी की गई है उस रिपोर्ट के पृष्ठ ३२ (?) पर एक नक्शा दिया हुआ है और उस नक्शे में बड़ी बड़ी नदियों की योजनाओं का ज़िक्र है। मैं जब उस नक्शे को देखता हूं तो उस में यह देखता हूं कि जितनी भी बड़ी योजनायें हैं, वह सारी की सारी प्लानिंग कमीशन में जिन के ऊपर कि काम शुरु होगा, वह ले ली गयी हैं। केवल एक ही ऐसा स्थान है, मध्य भारत और राजस्थान कि जिस की चम्बल योजना है जिसे पंच वर्षीय योजना में नहीं लिया गया है। इस योजना पर मध्य भारत ने लगभग एक करोड़ ३० लाख रुपया खर्च किया है और राजस्थान ने लगभग ३० लाख रुपया खर्च किया है, उस योजना के लिये पंचवर्षीय रिपोर्ट में जो अंडर कन्स्ट्रक्शन (निर्माणाधीन) है केन्द्रीय सरकार की ओर से एक पैसा भी नहीं दिया गया है और न उस योजना को इस बजट (आय-व्ययक) में शामिल ही किया गया है। श्रीमान्, मुझे यहां यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मध्य भारत और राजस्थान ने इन योजनाओं को बग़ैर केन्द्रीय सरकार की सहायता के या सहायता की याचना किये हुए कार्य प्रारम्भ किया था, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि जिस समय जापान ने ब्रह्मा पर क़ब्ज़ा किया उस समय अंग्रेज़ों ने सब से पहले चम्बल की योजना को अपने हाथ में लिया और उस का कारण यह था कि ब्रह्मा से जो टीन और ज़िंक (जस्त) मिलता था वह अंग्रेज़ों के हाथों से निकल गया था और इस प्रदेश के लिये टीन और ज़िंक की खदानें मेवाड़ स्टेट की झावर खदानों के अलावा, और कहीं नहीं थीं और इन खदानों के लिये बिजली की आवश्यकता थी लेकिन जब ब्रह्मा पर फिर अंग्रेज़ों ने क़ब्ज़ा कर लिया और वह खदानें राजस्थान गवर्नमेंट को लौटा दी गयीं तो चम्बल योजना उस समय स्थगित रही। इस प्रकार १९४२ में जैसा कि इस रिपोर्ट में बतलाया गया है इस योजना पर विचार शुरू हो गया था बाद में सन १९४५ से इस

[श्री राघलाल व्यास]

योजना को वहां की सरकारों ने अपने हाथ में लिया। उदयपुर, कोटा और मध्य भारत और उस के पहले इन्दौर ने इन योजनाओं पर विचार करना और काम करना शुरू किया, इस सिलसिले में उन में आपस में मतभेद था। हमारे गाडगिल साहब जो उस समय मिनिस्टर आफ़ वर्क्स एण्ड पावर (निर्माण तथा विद्युत मंत्री) थे, वहां पर पधारे और उन्हों ने मतभेद को मिटाने के लिये दो मीटिंगें कीं और जून १९४८ में सब को मिला कर एक चम्बल टेकनिकल बोर्ड क़ायम किया जिसका चेयरमैन (सभापति) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। उस बोर्ड में एक प्रतिनिधि राजस्थान सरकार का और एक प्रतिनिधि मध्य भारत सरकार का था और उस बोर्ड ने एक योजना बनाई और माननीय गाडगिल साहब ने मध्य भारत में उस समय जो दौरा किया था और उन के जो भाषण हुए थे उस में उन्हों ने यह कहा था कि जिस प्रकार भागीरथ ने गंगा को उत्तर प्रदेश में बहाया है, उसी तरह से यह चम्बल रूपी गंगा मध्य भारत में बहने जा रही है और यह योजना सारे मध्य भारत का बहुत बड़ा कल्याण करने वाली है। मध्य भारत की जनता यह आशा लगाये हुए बैठी थी कि इस योजना से पिछड़े हुए राजस्थान और मध्य भारत के प्रदेशों की आर्थिक उन्नति होगी, उन का औद्योगिक विकास होगा और साथ ही कृषि उत्पादन भी इस से बढ़ेगा और उन जगहों की जो बेरोजगारी और बेकारी की समस्या है, वह हल होगी, परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज उस योजना को नज़र-अंदाज़ करने से मध्य भारत में एक मायूसी सी छाई हुई है और लोग कहते हैं कि क्या करें केन्द्रीय सरकार इस योजना के लिये अभी कुछ खर्च करने को तैयार नहीं है। इसलिये नहीं कि वह मंहगा है, क्योंकि अगर आप उस योजना के आंकड़ों को देखेंगे तो जितनी भी और योजनायें हैं उन से यह पीछे नहीं है और ख़र्च की दृष्टि से भी अगर आप देखें तो औरों की बनिस्बत ख़र्चा भी इस में कम है। उपयोगिता की दृष्टि से देखें तो भी आप पायेंगे कि यह अत्यन्त लाभप्रद साबित होगी। इस योजना से १२ लाख एकड़ भमि में सिंचाई हो सकती है और उस से दो लाख किलोवाट पावर जनरेट (पैदा) हो कर सारे मध्य भारत और राजस्थान को ही नहीं, बल्कि अजमेर और भोपाल और दोहद और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से को भी मिल सकती है। जिस जिस योजना पर मध्य भारत सरकार ने इतना रुपया ख़र्च किया और जैसा कि प्लैनिंग कमीशन का सिद्धान्त था कि जो स्कीम्ज़ अण्डर कंस्ट्रक्शन हैं वह अवश्य ली जायेंगी, उस के विरुद्ध हम देखते हैं कि पार्ट ए स्टेट्स (भाग क राज्यों) की तरफ़ अधिक ध्यान दिया गया है और उन की योजनायें जो अण्डर कन्स्ट्रक्शन थीं वह सब ले ली गई हैं और उत्तर भारत की जो सब से बड़ी योजनायें हैं तथा मध्य भारत और राजस्थान की बड़ी योनजाओं के होने के आधार पर ही नहीं बल्कि वहां के लोगों का जीवन ही उन पर निर्भर है, उन को खटाई में डाल दिया गया है। मुझे शासन का ध्यान खास कर इन योजनाओं की तरफ़ दिलाना है।

एक और बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि यदि खाद्यान्न की दृष्टि से ही देखा जाय तो भी मोटे तरीक़े से जो १२ लाख एकड़ की सिंचाई की हमारे यहां योजना है उस योजना को अगर हम सन् १९५२ में आरम्भ करें तो सन् १९५५ में सिंचाई चालू हो सकती है, और अगर लाभ की दष्टि से देखा जाय तो पांच वर्ष में जहां २१ करोड़ रुपया खर्च पड़ेगा वहां उस पर

पौने पांच फ़ी सदी ख़र्च के दिनों में ब्याज पूंजी में शामिल करने के बाद पूंजी पर ब्याज मिलेगा। जब योजना पूरी हो जायगी तो उस पर काफ़ी मुनाफ़ा मिलने वाला है। साथ ही आबपाशी पर जहां इतना रुपया ख़र्च होने वाला है वहां बैटरमेंट फ़ीस (सुधार शुल्क) के रूप में छः करोड़ रुपया इस योजना से सरकार को मिलने वाला है। इस प्रकार से पांच वर्ष में जो ख़र्च इस योजना पर होगा वह केवल २१ करोड़ रुपया है, यदि इस की व्यवस्था न हो सके तो इस के लिये मध्य भारत और राजस्थान की प्रजा पिछड़ी हुई रहे, वह दुखी रहे, और जो आशायें उस को केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें देती रहीं उन से ये स्टेट्स वंचित रहें ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्रीमान्, प्लैनिंग कमीशन ने जो सिद्धान्त निर्धारित किया था उस की ओर ख़ास तौर से मैं माननीय अर्थ मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। प्लैनिंग कमीशन की जो ड्राफ्ट (प्रारूप) रिपोर्ट है उसके सफ़ा ४२ में बतलाया गया है :

> "केन्द्र से विभिन्न राज्यों की योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता आवंटित करते समय इस बात को ध्यान में रखा गया है कि यथा-सम्भव पिछड़े हुए क्षेत्रों की आवश्यकतायें पूर्ण हों। भाग ख राज्यों को केन्द्रीय सहायता आवंटित करते समय उनकी प्रशासकीय व्यवस्था तथा सामाजिक सेवाओं को भाग क राज्यों के स्तर पर लाने की विशेष आवश्यकताओं को भी ध्यान में रक्खा गया है।"

मुझे इस सम्बन्ध में यह पूछना है कि इस में जो यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है क्या उस का ध्यान राजस्थान व मध्य भारत के सम्बन्ध में रखा गया है ? क्या मध्य भारत और राजस्थान की रियासतें पार्ट ए स्टेट्स के मुक़ाबले ज्यादा पिछड़ी हुई नहीं हैं ? उन का स्तर पार्ट ए स्टेट्स के बराबर लाने का जो सिद्धान्त आप ने माना है वह समाप्त हो गया ? जिस चम्बल योजना पर डेढ़ करोड़ रुपया ख़र्च हुआ है, जिन लोगों के गांवों की ज़मीन प्राप्त कर ली गई है, जहां काफ़ी स्टाफ़ (कर्मचारी) रक्खा हुआ है, जहां कन्स्ट्रक्शन (निर्माण) के लिये रोड (सड़क) बन चुकी है, कालोनी (बस्ती) बन चुकी है, जहां प्लैंट (संयन्त्र) और मैशीनरी आ गई है और सब मैटीरियल (सामान) इकट्ठा हो गया है, दरवाजें वग़ैरह के लिये जो आर्डर जर्मनी को दिया गया था वह सब सामान वग़ैरह भी आने वाला है, तो क्या यह सब बेकार जाने वाला है ? और क्या इस के लिये मध्य भारत तथा राजस्थान की प्रजा को पांच वर्ष तक और इन्तज़ार करना पड़ेगा ? मुझे निवेदन करना है कि यह जो योजना आप के सामने पेश हुई है उस का दूसरी योजनाओं से मुक़ाबला किया जाय और यदि उस में ख़र्च कम होने की आशा हो और लाभप्रद ज्यादा हो तो कोई कारण नहीं है कि मध्य भारत और राजस्थान के साथ न्याय न किया जाय तथा उन को इस से वंचित रक्खा जाये।

[**श्री पाटस्कर** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे

एक बात और भी है। जितनी आज कल की बड़ी योजनायें हैं उन्हीं में से हाइडल (जल-विद्युत्) योजनायें भी हैं। लेकिन राजस्थान और मध्य भारत में हाइडल विद्युत् का एक किलोवाट भी मौजूद नहीं है। जहां सारे देश में अन्य राज्यों में हाइडल पावर है और जो नई नई योजनायें हैं उन से उन राज्यों को और भी अधिक बिजली मिलने वाली है तो उचित नहीं है कि मध्य भारत और राजस्थान जो सारे देश के मध्य में स्थित है वह बिजली से वंचित रहें। इन प्रदेशों में इस की और भी ज़्यादा आवश्यकता है। और सब से बड़ा कारण इन योजनाओं को कार्यान्वित करने का यह है

[श्री राधेलाल व्यास]

कि मोरैना और भिंड वग़ैरह में ला ऐंड आर्डर (विधि तथा व्यवस्था) एक बड़ा भारी प्रश्न बन गया है और वहां पर बेरोज़गारी और बेकारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। और यह हालत दिन प्रति दिन गिरती जा रही है। इस बेरोज़गारी और बेकारी को रोकने का एक मात्र उपाय यह चम्बल योजना है। इसलिये मैं माननीय अर्थ मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि पांच वर्षों में २१ करोड़ रुपये के ख़र्च की जो बात है उस का ख़याल, जो पिछड़ी हुई पार्ट बी स्टेट्स हैं और जो यह आशा लगाये बैठी हैं कि उन के साथ अन्याय नहीं होगा, उन के सम्बन्ध में अवश्य किया जाय तथा जिस सिद्धान्त का प्लानिंग रिपोर्ट में प्रतिपादन किया गया है उस का इन रियासतों के सम्बन्ध में लिबरल (उदारतापूर्ण) व्यवहार किया जाय जिस में उन के साथ सौतेले बेटे का सा व्यवहार न हो। आशा है कि इन रियासतों को फ़र्स्ट फ़ाइव इअर प्लैन (प्रथम पंच वर्षीय योजना) में शामिल किया जायेगा।

अन्त में मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे समय दिया।

**श्री हेम राज** (कांगड़ा): सभापति महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने इस समय मुझे जो कि नया मेम्बर (सदस्य) हूं, बोलने का मौक़ा दिया।

बहुत दिनों से यहां तक़रीरें हो रही हैं, बहुत से महानुभावों ने, चाहे इस तरफ के हों या मुख़ालिफ़ बेंचों के, ऐसी तक़रीरें की हैं, जिन से हमें जो विश्व कुटुम्ब का नाम लेते हैं, प्रति दिन देखा जाता है कि हम ने उसे संकुचित हृदय से देखना शुरू कर दिया है। मैं तो समझता हूं कि हमारे लिये सारा हिन्दुस्तान बराबर है, और हमारे कम्युनिस्ट भाई तो और आगे जाते हैं कि सारी दुनिया ही उन की है, लेकिन मुझे यह देख कर दुख हो रहा है कि यहां पर किसी किसी समय पंजाबी और उडिया का सवाल भी आगे आ जाता है। मैं समझता हूं कि किसी समय पर भी पंजाबी ने, हालांकि वह उजड़ गये फिर भी, किसी के सामने जा कर हाथ नहीं फैलाया। अगर वह आज ज़िन्दा हैं तो इस वजह से हैं कि उस ने अपनी कमाई कर के, अपने ख़ून और पसीने को एक कर के अपनी रोटी कमाई है। आज इस क़िस्म के सवाल को पैदा कर के मैं समझता हूं वह पंजाब की शान को कम करने की कोशिश करेंगे। सभापति जी, अगर आज पंजाबी उड़ीसा में जाता है तो इस वजह से नहीं जाता कि यह कुछ मांगना चाहता है।

* * * * *

सभापति जी, इतनी बात कह कर मैं अपने मज़मून पर आता हूं। पंजाबी आज उजड़ गया लेकिन उजड़ने के बाद भी उस में इतनी हिम्मत थी कि उस ने पंजाब की स्टेट को जो कि बिल्कुल एक खिसारे की स्टेट थी, उस मे जितनी नहरें थीं वह सब मग़रिबी (पश्चिमी) पंजाब में चली गईं, लेकिन उस के बाद भी, खिसारे की स्टेट होने पर भी वह दो लाख टन गल्ला सारे हिन्दुस्तान को देने को तैयार है और इस बात को कहते भी नहीं कि हमें कमी है। यह पंजाब की फ़राख़दिली (उदारता) है।

इस के साथ ही यह स्कीम थी कि जो भाखरा डैम (बांध) है, पंजाब की आज से नहीं बल्कि २४ साल पहले से यह स्कीम है, लेकिन अंगरेज़ों के जमाने मे जो सारी स्कीमें थीं वह मग़रिबी पंजाब के लिये थीं। वह लोग, इस भाखरा नागल स्कीम को पीछे डालते रहे।

---

*अध्यक्ष महोदय की आज्ञानुसार अवमर्षित।

आज मैं समझता हूं कि हमारी कौमी हकूमत ने हमारे देश का बहुत बड़ा मसला हल करने के लिये जो क़दम उठाया है उस के लिये मैं अपनी क़ौमी हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं। क्यों ? इस लिये कि आज वह अरबों रूपया इसलिये खर्च कर रही है कि आज जो गल्ला बाहर से मंगाया जा रहा है वह बन्द हो जाये। अगर यह भाखरा-नांगल स्कीम पूरी हो जाती है तो जैसा कि आप की रीपोर्ट से ज़ाहिर है यह साठ लाख एकड़ ज़मीन को सैराब करेगी और इससे जो गल्ला पैदा होगा वह इस क़दर होगा कि इससे आप के खिसारे का ५६ फी सदी हिस्सा पूरा हो जायगा। पर हैरानी उस वक्त होती है, जब जो प्रोग्राम बनता है वह आगे को बढ़ता चला जाता है। पहले जो प्रोग्राम दो साल का बनता है वह दो साल के लिये और आगे बढ़ा दिया जाता है। जहां पहले इसके मुतालिक यह कहा जाता था कि यह सन् ५१ या ५२ में पूरा हो जायगा उस के बारे में अब यह कहा जाता है कि शायद सन् ५४ में पूरा हो या सन् ५९ में पूरा हो। आज हालत यह है कि जब अमरीका से मैशीनरी मंगाई जायगी तो यह काम पूरा होगा। यह ऐसी चीज है जिस से देश की भलाई होने वाली है। यह देश गल्ले के मामले में खिसारे में है और इसके लिये आज वित्त मंत्री जी को काफी खर्चा करना पड़ रहा है और चारों तरफ़ से नुक्ताचीनी सुननी पड़ रही है। अगर यह स्कीम पूरी हो जाती है तो उन का यह मसला भी जल्द हल हो जायगा। मेरी उन से प्रार्थना है कि उन को चाहिये कि वह उस स्कीम को बहुत जल्द पूरा कर लें। उन का खिसारे का ५६ फी सदी हिस्सा एक चीज़ से पूरा हो सकता है। अगर वह स्कीम पूरी हो जाती है तो पंजाब जो कि आप को दो लाख टन गल्ला देता है वह जितने गल्ले की कमी है, वह सारा दे सकेगा। और यह जो हमारे कम्युनिस्ट भाई जो कि सबसिडी (साहाय्य) के लिये शोर मचाते हैं और नुक्ताचीनी करते हैं इस से भी आप बच जायेंगे और देश का भी भला होगा।

यही नहीं है कि इस से सिर्फ पंजाब को ही पानी मिलेगा और पंजाब ही को बिजली मिलेगी। पंजाब के साथ ही साथ ये चीजें हमारे राजस्थान के भाइयों और पेप्सू के भाइयों को भी मिल सकती हैं। यह गिला किया जाता है कि पंजाब वाले सिर्फ़ अपने ही लिये चाहते हैं। हम तो उदार हैं, हमारे पास जो चीज है उस को हम अपने पेप्सू और राजस्थान के भाइयों को देने के लिये तैयार हैं और अगर पहुंच सके तो अपने उड़ीसा के भाइयों को देने को तैयार हैं। तो इस स्कीम से सिर्फ एक सूबे को ही फ़ायदा नहीं होगा बल्कि इस से तीन चार रियासतों को फ़ायदा पहुंचेगा। साथ ही दिल्ली रियासत में जो बहुत से शहर हैं जहां आज इंडस्ट्री (उद्योग) कायम की जा रही है उस को भी इस से फ़ायदा पहुंच सकता है। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि जो आप ने इस की तारीख सन् ५४ तक या सन् ५९ तक बढ़ा दी है इस के बजाय और रुपया लगा कर अगर मुमकिन हो सके तो मैशीनरी को फौरन से फौरन मंगवा कर इस को मुकम्मल किया जाय। अगर ऐसा नहीं किया गया तो लाज़िमी तौर पर यह स्कीम बहुत जल्दी पूरी नहीं होगी और जो इस मुल्क का गल्ले का खसारा है वह पूरा नहीं हो सकेगा।

सभापति जी, इस के साथ ही मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि इस से महज़ गल्ले का ही खसारा पूरा नहीं होगा बल्कि इस से साथ ही साथ जो आप ने इंडस्ट्रियल टाउन्स (औद्योगिक नगर) बनाये हैं उन को इस से बिजली मिल जायगी और

[श्री हेम राज]

इंडस्ट्री ज्यादा हो जायगी और इस से मुल्क का बहुत ज्यादा भला होगा और इस से वह जो गरीब जनता है, वह जो उजड़े हुए भाई हैं और जिन की तरफ से भी आप को नुक्ताचीनी सुननी पड़ती है उन का मसला भी बहुत हद तक हल हो जायगा ।

**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां) : योजना तथा नदी घाटी परियोजनाओं पर अलग अलग वाद विवाद करने के लिये जो कहा गया है उस से कठिनाई यह उत्पन्न होती है कि सदस्यगण नदी घाटी परियोजनाओं पर बोलते हुए इस के आयोजन के पहलू पर चर्चा करने से वंचित रह जाते हैं । मुझे आशा है कि आगे इस प्रकार का बटवारा नहीं होगा ।

नदी घाटी परियोजनाओं के सम्बन्ध में हमें जो रिपोर्टें दी गई हैं वह पुरानी हैं । स्वयं आंक समिति की पांचवीं रिपोर्ट को ही लीजिये । इसके प्रकाशन के समय से अब तक बहुत सी बातें हो चुकी हैं, जिन से यह रिपोर्ट अब चर्चा के लिये हमारे काम की नहीं रही है । इसी तरह दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में जो ज्ञापन तैयार किया गया है वह भी आज सात महीने पुराना हो चुका है ।

दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में मुझे याद है कि इसे बदनाम करने के लिये तथा इस पर तरह तरह के आक्षेप लगाने में कोई कसर बाकी नहीं रक्खी गई है । किन्तु आज मैं देखता हूं कि स्थिति बदल गई है । इस समय तो दामोदर घाटी निगम को ही आदर्श परियोजना माना जा रहा है न कि भाकड़ा नांगल अथवा हीराकुद को । मेरे कहने का यह आशय नहीं कि दामोदर घाटी परियोजना में कोई धन नष्ट नहीं हुआ है अथवा कोई गलतियां नहीं हुई हैं अथवा कोई त्रुटियां नहीं रही हैं । मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी परियोजनाएं हैं तथा हमारे लोग वहां भरसक अच्छा कार्य कर रहे हैं । मेरे मित्र श्री बी. दास सम्भवतः कुछ कहना चाहते हैं । जब वह स्थायी समिति के सदस्य थे उन्होंने दामोदर घाटी परियोजना का पूर्ण विरोध किया था, आज वह हीराकुड की दुख भरी कहानी सुना रहे हैं । भाकड़ा नांगल का भी यही हाल है । पहिले मांग की जा रही थी कि भारतीयों को काम पर लगाया जाय, आज स्थिति इस से भिन्न है । बहुमत इसके पक्ष में है कि जब तक हम अपने लोगों को प्रशिक्षित नहीं कर लेते हैं तब तक हमें विदेशी प्रौद्योगिक विशेषज्ञों पर ही निर्भर रहना होगा । ये हमें मड़ंगे पड़ेंगे जब कि हम सस्ते की तलाश कर रहे हैं जो कि हमें न करना चाहिये ।

**श्री वैलायुधन** : सस्ते मिलते हैं यही शिकायत है ।

**श्री जयपाल सिंह** : यदि मुझे श्री वैलायुधन के क्षेत्र से कोई भी ऐसा व्यक्ति मिल सके जो यह काम कर सकता हो तो मैं उसे तिगने पैसे देने के लिये तैयार हूं ।

**श्री वैलायुधन** : दक्षिण में ऐसे इंजीनियर हैं जो अमेरिका गये हैं तथा जिन्होंने वहां बांध निर्माण कार्यों का अध्ययन किया है । वे बांध बनाने का कार्य भी कर रहे हैं तथा उन में से कुछेक १५,००० रुपये प्रति मास वेतन पा रहे हैं ।

**श्री जयपाल सिंह** : मुझे अपने माननीय मित्र के उत्साह को देख कर प्रसन्नता हो रही है ।

हम जनता में उत्साह उत्पन्न करने की बातें कर रहे हैं ; लेकिन क्या मैं जान सकता

हूं कि कितने माननीयी सदस्यों को इन परियोजनाओं को देखने का अवसर मिला है। मैं ने अपने खर्चे पर इन तीनों परियोजनाओं को देखा है। उत्साह की बातें करने के पूर्व हमें अपने में उत्साह पैदा करना चाहिये, इन परियोजनाओं को देखना चाहिये तथा इनके कार्यकरण में जो कठिनाइयां हैं उन्हें समझना चाहिये।

दामोदर घाटी निगम, हीराकुद परियोजना, भाकड़ा-नांगल परियोजना आदि के सम्बन्ध में आंक समिति की रिपोर्ट पेश की गई है जो कि बहुत पुरानी है; किन्तु इसके साथ ही एक छोटा सा ज्ञापन भी संसद् के सदस्यों में वितरित किया जाना चाहिये था जिस में उन्हें बताया जाना चाहिये था कि जांच के समय से अब तक क्या कुछ किया गया है। सदस्यगण उन त्रुटियों अथवा उन बातों की ओर निर्देश कर रहे हैं जिनका पहले ही निवारण हो चुका है। मुझे आश्चर्य होता है जब मेरे विद्वान मित्र डा० मेघनाद साहा जैसे व्यक्ति यह कहते हैं कि दामोदर घाटी परियोजना में जो बांध पूरा हो रहा है वह एक जौहड़ से कुछ बड़ा है ऐसे लोगों के साथ तर्कवितर्क करना बेकार है।

**श्री मेघनाद साहा:** बुर्दइन की रिपोर्ट के अनुसार तिलैया बांध सब से छोटा बांध है।

**श्री जयपाल सिंह:** यही तो गलती है। बुर्दइन रिपोर्ट बहुत पुरानी हो चुकी है। पहले हम ने बाढ़ रोकने का काम हाथ में लिया था। किन्तु अब इस काम को वहीं छोड़ कर बिजली पैदा करने का काम हाथ में लिया गया है।

यह ठीक है कि माननीय सदस्यों में इस काम के सम्बन्ध में उत्साह है, वह व्यय की जांच आदि बातें कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक और बात होनी चाहिये। उन्हें उस बात का ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिये कि वहां क्या हो रहा है तथा पुराने गये गुजरे समाचारों तथा सूचनाओं पर उन्हें निर्भर न रहना चाहिये। यदि माननीय श्री देशमुख उस स्थान का निरीक्षण करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि काम संतोषजनक हो रहा है तो क्या मैं उनकी बात पर विश्वास करूं अथवा किसी और की बात पर जिसने कि केवल सुस्तकें तथा रिपोर्टें पढ़ी हों तथा उस स्थान पर कभी न गया हो? अमेरिकन लोग पक्के कारबारी लोग हैं। वे हमारे ऋणदाता हैं। ऋण देते हुए उन्होंने यह बात देख ली है कि इसकी आवश्यकता है तथा इसे बेकार नष्ट नहीं किया जा रहा है। विश्व बैंक के वित्तीय विशेषज्ञों तथा प्रौद्योगिक विशेषज्ञों ने इस परियोजना का निरीक्षण किया है उनकी राय तथा हमारे देश के नेताओं की राय सब बातों को देखते हुए अनुकूल ही रही है।

**बाबू रामनारायण** सिंह (हजारीबाग् पश्चिम): सभापति महोदय, अभी मेरे मित्र जयपाल सिंह ने बहुत बड़े उत्साह के साथ यह जो दामोदर वैली कारपोरेशन (दामोदर घाटी निगम) और दूसरी जो रिवर वैली स्कीमें (नदी घाटी योजनायें) हैं उन का समर्थन किया है। तो उतना उत्साह तो मैं नहीं दिखला सकता हूं लेकिन यह तो ठीक है कि उन के भाषण में भी कुछ तत्व है इस का तो विचार करना ही होगा। और भाइयों ने बहुत बड़ी बड़ी शिकायतें की हैं कि जहां जहां कार्पोरेशन (निगम) बना है, बोर्ड बना है, वहां तो गुटबन्दी हो गई है, क्लिक हो गया है तो उन लोगों को भी मैं यह कह कर के संतोष देता हूं कि वह तो होगा ही। रामायण में कहीं लिखा है: "जस दूल्हा तस बनी बराता" जैसा दूल्हा होगा वैसी ही बरात

[बाबू रामनारायण सिंह]

बनेगी। तो जब यह सरकार ही गुटबन्दी की है तब इस की बनाई हुई कार्पोरेशन कैसे अच्छी हो सकती है। बात यह है कि काम तो चल रहा है और चलेगा। हमारे एक भाई साहब ने कहा कि इन सब को बन्द कर दो। भाई बन्द तो नहीं करना होगा। अगर बन्द करना होगा तो सरकार को पहले बन्द करो। लेकिन जब तक सरकार चलती है तब तक उस से जो भला काम हो जाय वह तो ले ही लेना चाहिये। जितने काम सरकार के हो रहे हैं वे प्रसन्नता के लायक़ तो नहीं हैं लेकिन यह जो रिवर वैली का काम है वह अगर ठीक से होगा तो जरूर उस से लाभ होगा। दामोदर वैली कार्पोरेशन के बारे में कुछ शिक़ायत तो है लेकिन वह सारी शिक़ायत सरकार की है लेकिन जो काम हो रहा है उस को स्थगित कर दें यह तो ठीक नहीं है। एक काम उन्होंने उठाया है, और अन्य कमर्शियल (वाणिज्यिक) काम शुरू कर दिया है, जिस से कि मैं बहुत प्रसन्न हूं। उन लोगों ने हजारीबाग़ नगर को पानी देने के लिये ठेका ले लिया और इस निमित्त छड़वा नदी का बांध भी उन लोगों ने ठीक कर दिया लेकिन एक बात बिहार सरकार ने अपने हाथ में रख ली है कि पानी पहुंचाने के लिये नली वग़ैरह वही लोग बिछायेंगे। यह लोग विशेषज्ञ हैं, ये लोग ठीक काम कर रहे हैं, काम सीख गये हैं इसलिये इन लोगों के हाथ में ही वह काम रहना कहीं अच्छा था।

सभापति महोदय, एक बात और है जो कि सरकार को याद करना चाहिये और दामोदर वैली कार्पोरेशन को भी याद करना चाहिये। जिस वक्त दामोदर वैली स्कीम की चर्चा चली थी उस वक्त यह तय हुआ था कि जो लोग अपने अपने घर से हटाये जायगे, अपनी जगह जमीन से हटाये जायेंगे उन को घर के बदले घर मिलेगा और जमीन के बदले जमीन मिलेगी। इसी आधार पर काम चला है लेकिन हम को सुनने में आया है कि जो एस्टीमेट कमेटी (प्राक्कलन समिति) है उन लोगों की अक्ल में यह बात घुसी है कि निर्वासित लोगों को कम्पेन्सेशन (प्रतिकर) दे दें, कुछ रुपया दे दें।

श्री ए० सी० गुहा (शान्तिपुर) : एस्टीमेट कमेटी (आंक समिति) ने ऐसा तो नहीं कहा।

बाबू रामनारायण सिंह : लेकिन ऐसी कोई चर्चा है और यह खबर मुझे लगी है। अगर यह नहीं है तो बड़ी खुशी की बात है और इसी वास्ते मैं कहता हूं कि यह तो बिल्कुल पक्की बात होनी चाहिये कि जितने लोगों को अपने घर और जमीन से हटना पड़ेगा उन को घर के बदले घर मिले और जमीन के बदले जमीन। मैं कहता हूं कि दामोदर वैली कार्पोरेशन को और उस की मालिक सरकार को मकान के बदले मकान देना होगा। नहीं देने से शायद दूसरी भी कार्यवाही हो सकती है। दामोदर वैली कार्पोरेशन अपने ढंग से मकान बनाता है यह बात ठीक नहीं है। मकान बनाना चाहिये मकान वालों की मर्जी के मुताबिक़ और जिन को रहना है उन के टेस्ट (रुचि) के मुताबिक़। यह नहीं कि जिस तरह से यह लोग चाहें मकान बना दें और दे दें। यह ठीक नहीं होगा।

इस के साथ साथ सभापति महोदय, एक बात और है। मैं कहता हूं कि ज़मीन के बदले जमीन देनी पड़ेगी और यह नहीं कि लोगों को डिस्प्लेस्ड (विस्थापित) कर दें और दूसरी जगह उन को बसायें नहीं। इस के साथ एक बात यह भी है कि वह इलाक़ा जंगली है और बड़ी कठिनता के साथ जमीन

बनाई जा सकती है । दामोदर वैली कार्पोरेशन के पास ट्रैक्टर हैं और दूसरे बहुत से साधन हैं जिन के जरिये जमीनें बनाई जा सकती हैं ।

तो इस के लिये भी कार्पोरेशन को यह काम करना चाहिये कि वह जमीन तैयार कर के लोगों को जमीन दे दे । इस के बारे में यह कहा जाता है कि इस पर बहुत खर्च होगा । चाहे इस पर ६०० रुपये या ६ हजार रुपये एकड़ खर्च हो, उस की कोई बात नहीं है । जमीन वहां पर बननी है और इस की बहुत सख्त जरूरत है । जो लोग जमीन से हटाये गये हैं उन लोगों को जमीन अवश्य मिलनी चाहिये । यह मानवता का तक़ाजा है । इस में रुपये का ख्याल न किया जाना चाहिये । हमारे देशमुख साहब तो मौजूद हैं वह मिनट में नोट छाप देंगे । लेकिन जमीन बन सकती है, जमीन बननी चाहिये और जमीन को बनाना होगा और जिन लोगों को जमीन से हटाया गया है उन को जमीन देनी होगी । यह धार्मिक तक़ाजा है ।

इस के बाद जो वहां पर दामोदर कार्पोरेशन का काम हो रहा है और जो हो चुका है वह कुछ बधाई के योग्य भी है । मगर मेरा कहना यह है कि वहां पर ठीक तरह से काम होता रहे । लेकिन अभी हमारे मित्र जयपाल सिंह ने कहा है कि हम को अमेरिका से टैकनिशियन्स (प्रौद्योगिक) लेने होंगे । इस पर बहुत खर्च करना होगा । मैं आप से कहता हूं कि क्या हिन्दुस्तान के लोगों में बुद्धि नहीं है । क्या अमेरिका के इन लोगों ने शुरू शुरू में ही सब तरह के रिवर वैली का काम सीख लिया था । वहां के लोगों ने भी अपना काम खुद किया होगा तो क्यों नहीं यहां के ही आदमियों से ये सब काम कराये जाते हैं ?

यहां पर कहा गया है कि भाखरा डैम के लिये अमेरिका से एक एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) को बुलाया गया है और हमारी सरकार उन को १० हजार रुपया महवार वेतन दे रही है । इस के साथ ही साथ उस को और तरह की सहूलियत भी दी जा रही है । उस को किसी प्रकार का इन्कम टैक्स (आयकर) नहीं देना होगा और भारत सरकार उस के आराम की सब तरह की चीजें मुहैय्या करेगी । इस का मतलब यह हुआ कि उस व्यक्ति पर भारत सरकार १० हजार रुपये से भी ज्यादा खर्चा करेगी जब तक वह भारतवर्ष में रहेगा । उस की तनख्वाह इतनी होगी जितनी कि हमारे देश के राष्ट्रपति को भी नहीं मिलती, यहां तक कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन को भी इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, यह बात आप अच्छी तरह से जान लें । इस के साथ ही साथ एक विशेष बात यह है कि इन के साथ हमारी सरकार का जो कंट्रैक्ट (ठेका) हुआ है वह एक साल के लिये नहीं, दो साल के लिये नहीं, बल्कि १० वर्ष के लिये हुआ है । मैं सरकार से कहता हूं कि इस तरह से आप हमारा रुपया पानी की तरह क्यों बहा रहे हैं । आज हमारी सरकार सब जगह इसी तरह से पानी की तरह हमारा रुपया बहा रही है । सभापति जी, इतना तो हो सकता था कि हमारी सरकार ने जो एक्सपर्ट बुलाया है उस को वह अपने यहां ६ महीने या साल भर तक रखती और इस अर्से में वह हमारे यहां के आदमियों को अपनी राय और सलाह दे जाते । मगर हमारी सरकार ने तो उन को १० वर्ष के लिये रख लिया है । हम लोगों में इस तरह की गन्दी जहनियत है कि बग़ैर बाहर की मदद के हम अपना काम नहीं कर सकते । इस तरह के खर्चे जो हमारी सरकार कर रही है और बाहर से आदमी बुला रही है, उस का समर्थन हमारे जयपाल सिंह जी ने किया है ।

एक बात कह कर मैं बैठ जाऊंगा । मैं जानता हूं कि समय कम है । हमारी सरकार

[बाबू रामनारायण सिंह]

के जिस तरह से काम हो रहे हैं वह सब जानते हैं। उस के सब काम गड़बड़ चल रहे हैं। मैं यहां पर एक विशेष बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह है कोसी बांध का बनाया जाना। वहां पर हमारे प्रधान मंत्री जी भी दौरा कर आये हैं। शायद हमारे प्रधान मंत्री जी को इस बारे में पता चला या नहीं चला कि वहां पर जो काम हो रहा है वह बहुत ढिलाई से हो रहा है। यह तो सब को ही मालूम होगा कि इस नदी में जब बाढ़ आती है वह इतनी बरबादी कर जाती है जितनी कि दुनिया की और कोई नदी नहीं करती है। बाढ़ की वजह से सरकार को बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये हर साल काफ़ी रुपया ख़र्च करना पड़ता है तो यह मालूम हुआ है कि वहां पर काम ढिलाई के साथ हो रहा है। लेकिन यह तो एक दिन पूरा होगा ही। मगर मेरा कहना है कि इस काम को बराबर जोरों के साथ चलाना चाहिये। जिस से कि इस में कोई काम का हर्ज न हो। इस काम के लिये रुपये की कमी की परवाह नहीं करनी चाहिये। रुपया तो किसी न किसी तरह से मिल ही जायगा। अब तो अमेरिका हमारा चेला हो गया, गुरू हो गया, दाता हो गया। यह बात ठीक है कि वह हमको रुपया दे ही रहा है तो फिर काम में किसी प्रकार की ढिलाई क्यों आने दी जाय ?

सभापति महोदय, यहां यह भी कहा गया है कि जहां जहां पर काम हो रहा है वहां पर जब बाहर के लोग जाते हैं तो वहां के लोग उन का स्वागत नहीं करते हैं। इस तरह से उन लोगों को अपने काम में उत्साह नहीं मिलता है। सभापति महोदय, इस देश का अब तक यह दुर्भाग्य रहा है कि सरकार एक चीज है और जनता दूसरी चीज है। दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं है। तो इस तरह की सरकार का कौन स्वागत करेगा। यह बात आप जान लीजिये। मैं कहता हूं कि जो लोग बाहर से वहां पर काम करने के लिये गये हैं अगर वह ठीक तरह से काम करें, देश के हित के लिये काम करें, जनता के हित के लिये काम करें और अपने को जनता का सेवक समझें तो उन का अवश्य स्वागत होगा। अगर वे लोग सरकार की तरह मालिक बन कर रहना चाहेंगे तो यह चीज़ बरदाश्त नहीं हो सकती है। यह बात सब को मालूम हो जानी चाहिये। अगर उन लोगों की इसी तरह की भावना रही तो उन का कभी स्वागत नहीं किया जायगा अगर वह सेवक की भावना से और देश के लोभ की भावना से काम करेंगे तो अवश्य उन का एक बार नहीं, बार बार स्वागत किया जायेगा। यदि मालिक बनने की भावना से उन्होंने काम लिया तो कभी भी उन का स्वागत नहीं किया जायेगा।

**श्री एस० एन० दास** (दरभंगा मध्य) : सभापति जी, इस बैठक के अन्त में मुझे कुछ कहने का मौक़ा मिला, इस के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

अभी इस सभा में इरीगेशन (सिंचाई) और पावर मिनिस्टरी (विद्युत-मंत्रालय) के बारे में बहस करते हुये इस मिनिस्टरी की नीति, योजना, शासन प्रबन्ध प्रायः हर दृष्टि से बहुत कड़ी समालोचना की गई है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान जैसे देश में जहां पर प्रकृति ने भूमि, और जल के प्रचुर साधन दिये हैं वहां की जनता अन्न के बिना, ग़रीबी में और बेकारी में पड़ी रहे, तो यह दुनिया के सात आश्चर्य के अलावा एक आठवां आश्चर्य होगा। इस देश में स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय, जो विपत्तियां देश के सामने आई, देश के विभाजन से पैदा

हुई अनेकों समस्यायें आईं और देश ने इन सब विपत्तियों का जिस तरह से सामना किया वह इस देश के इतिहास में हमेशा गौरवमय रहेगा । इन सब कठिनाइयों के होते हुये भी हमारी सरकार ने जिस तरह से कई मल्टीपरपज़ प्रोजेक्टों (बहु प्रयोजनीय परियोजनाओं) को जारी किया और अनेकों मल्टीपरपज प्रोजेक्टों के बारे में जांच पड़ताल शरू कराई, वह दुनिया में एक अभूतपूर्व घटना है ।

सारी कठिनाइयों के रहते हुये, आर्थिक, अभावों के रहते हुये, फिर भी सरकार ने चार बड़ी नदियों के नियंत्रण करने का काम अपने हाथ में ले लिया है और इस के साथ ही साथ बहुत सी स्कीमों (योजनाओं) की जांच पड़ताल शुरू कर दी है जिस से देश को आगे लाभ पहुंचेगा । मैं सरकार को इस तरह के कामों के लिये बधाई और धन्यवाद जनता की ओर से देना चाहता हूं । यह सही बात है कि आरम्भ में किसी भी काम के करने में कठिनाइयां और त्रुटियां होती हैं । इसी तरह से हमारी सरकार के सामने भी कुछ अभावों के कारण जिन में आर्थिक अभाव मुख्य है, विशेषज्ञों का अभाव है, टैकनिशियनों (प्रौद्योगिकों) का अभाव है, तमाम तरह के अनुसन्धान और रिसर्च (गवेषणा) के अभाव हैं, और अन्य अभावों के होते हुये भी सरकार अपने काम में आगे बढ़ती ही चली जा रही है । इन सब बातों को मद्दे नज़र रखते हुये और सरकार के सामने जितनी कठिनाइयां हैं उन को देखते हुये यह सरकार हमारे बधाई और धन्यवाद की पात्र है । जिस तरह से यह विभाग अभी तक काम करते हुये चला आ रहा है उस से देखने में यह आता है कि कभी यह विभाग किसी मिनिस्टरी के अन्तर्गत चला जाता है और कभी किसी मिनिस्टरी के अन्तर्गत चला जाता है । इस का कारण मुझे यह मालूम होता है कि जिस तरह से यह अभी नया काम है और जिस उच्च योग्यता की ज़रूरत है उस को सामने रखते हुये अभी तक इस विभाग को स्थायित्व नहीं दिया जा सका है । मैं समझता हूं कि अगर इस काम को सोच समझ कर और विचारपूर्वक किया गया होता तो इतने विभागों और इतने अधिकारियों के हाथों में इस विभाग को न जाना पड़ता । हमारे माननीय सदस्य जो पिछले माननीय मंत्री रह चुके हैं उन्होंने कहा ये योजनायें उन की सन्तान हैं । मैं नहीं समझता कि यह किस की सन्तान कही जायं । यह सन्तान इस गोदी से उस गोदी में और उस गोदी से इस गोदी में जाती रही है और मेरा खयाल है कि इस कारण से इसके कामों में बहुत कठिनाई पड़ती रही है और जैसा नियंत्रण, जैसा शासन प्रबन्ध, जैसी देखभाल और जैसा सुप्रबन्ध होना चाहिये वैसा सुप्रबन्ध नहीं हो सका ।

अब मैं एक विषय पर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं जस पर कि हमारी एस्टिमेट्स कमेटी (आंक समिति) ने विचार किया है और जिस पर उस ने कटौती करने की अपनी सिफारिशें की हैं । मैं इस से सहमत नहीं हूं और वह है रिसर्च (गवेषणा) के सम्बन्ध में । पूना में रिसर्च स्टेशन जो कार्य नदियों के नियंत्रण के सम्बन्ध में, जल के नियंत्रण के सम्बन्ध में, कर रहा है मैं समझता हूं कि भविष्य के लिये वह बहुत ज़बरदस्त चीज़ है । अगर हम अनुसन्धान करने में, विशेषज्ञ पैदा करने में, लोगों को ट्रेनिंग देने में कमी करेंगे तो देश में विस्तृत जल-प्रणाली को भविष्य में नियन्त्रित कर के खेती के विकास और औद्योगीकरण का जो महान् कार्य हम करना चाहते हैं वह कार्य नहीं हो सकेगा । मैं समझता हूं कि केवल विदेशी विशेषज्ञों और उन के रिसर्च पर भरोसा रख हम इस कार्य को अच्छी तरह

[श्री एस० एन० दास]

नहीं कर सकते । इसलिये मैं इस सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह अनुसन्धान के कार्य में बहुत दिलचस्पी ले और जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा रुपया उस के लिये रखे ।

मैं एक और सुझाव पेश करना चाहता हूं । जब कभी आर्थिक कठिनाई पेश होती है तो हमारे अर्थ मंत्री इस बात की कोशिश करते हैं कि अर्थ की कमी की वजह से कहां कमी की जाय तो सब से पहले उन की नज़र ऐसे कामों की ओर जाती हैं जिस के रुक जाने से तात्कालिक नुक़सान देखने में नहीं आता । उन पर उन का तुरत हाथ चला जाता है । मैं अपने अर्थ मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे अनुसन्धान के कामों के लिये, ऐसे रिसर्च के कामों के लिये, ऐसे ट्रेनिंग के कामों के लिये वह एक खास फण्ड (निधि) बना दे और खास समय में जब कि देश की हालत अच्छी रहती है और कोई आर्थिक कठिनाई नहीं रहती है वैसे समय में एक अच्छी रक़म उस के लिये रख दें जिस से कि रिसर्च का काम बिना किसी बाधा के और बिना किसी रुकावट के चलाया जा सके । यदि इस प्रकार की नीति से हम काम करेंगे तो जो अनुसन्धान का काम है और जिस की हम को इतनी ज़रूरत है और आगे ज़रूरत होगी—वह अच्छी तरह आगे बढ़ सकेगा ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे अंग्रेज़ी राज्य के काल से बराबर यह चला आता है कि जो शासन प्रबन्ध में सेक्रेटरी (सचिव) हैं या मिनिस्टर (मंत्री) हैं या दूसरी जगह जो लोग शासन के काम में रहते हैं उन की सुविधा के लिये हमारा पहला प्रबन्ध होता है । लेकिन जो लोग नीचे बैठ कर हमारी नज़रों के सामने आये बिना विज्ञानशाला में, अनुसन्धान-शाला में, काम करते हैं उन को सुविधा के लिये, उन के सुख के लिये हमारा प्रबन्ध कम होता है । जब हम अपने देश में बड़ी बड़ी योजनाओं को लेने जा रहे हैं तो ऐसे समय में रिसर्च स्कालर (गवेषक छात्र) ज्यादा से ज्यादा समय अपने काम में दे सकें इस के लिये हमें प्रबन्ध करना चाहिये । अच्छे से अच्छे दिमाग़ वाले, अच्छी से अच्छी बुद्धि वाले इन कामों की ओर झुकें हमें इस का प्रबन्ध करना चाहिये । यह काम तभी हो सकता है जब कि रिसर्च का काम करते समय उन के सामने आर्थिक कठिनाइयां न आवें । इसलिये इस के लिये ज़रूरी है कि उन को वेतन की और पद आदि की दूसरी सुविधायें देने की कोशिश की जाय ।

तीसरी बात मैं आप के सामने यह रखना चाहता हूं । बहुत सी बातों के लिये कहा जाता है कि ये प्रान्त की बातें हैं । यद्यपि अभी इस समय इस सभा में बहुत कम सदस्य उपस्थित है तब भी मैं यह कहना चाहूंगा कि कोसी नदी की समस्या एक प्रान्त की समस्या ही नहीं है केवल बिहार की ही समस्या नहीं है । कोसी नदी की समस्या को यदि बिहार की समस्या समझ कर इसमें देरी की जायेगी तो मैं निवेदन करूंगा कि संसद् सदस्यों के नाते जितने सदस्य यहां उपस्थित है उन को इस के सम्बन्ध में शीघ्र जानकारी हासिल करनी चाहिये । यह कोसी की समस्या सिर्फ बिहार की समस्या ही नहीं है, कोसी की समस्या सिर्फ बाढ़ रोकने की समस्या नहीं है, कोसी की समस्या सिर्फ फसल को बरबाद करने की समस्या ही नहीं है, यह कोसी की समस्या केवल नैवी-गेशन (नौपरिवहन) के प्रबन्ध की समस्या ही नहीं है बल्कि यह कोसी की समस्या एक मानव समस्या है जिस को हिन्दुस्तान की

सरकार को, हिन्दुस्तान की जनता को और इस संसद् के सदस्यों को जल्द से जल्द हल करना चाहिये । आप वहां की दशा का अनुमान हमारे व्याख्यान से नहीं कर सकते हैं । अगर हमारे माननीय सदस्यों को कष्ट न हो तो ऐसे मौक़ों पर उन को वहां जाने का प्रयत्न करना चाहिये कि जिस समय बीस मील के अन्दर एक बहता हुआ सागर वहां नज़र आता है और गांवों गांवों के लोग ज़मीन पर न रह कर जल के ऊपर लकड़ी के मचान बना कर वहां रहते हैं और लगातार महीनों तक उसी दशा में पड़े रहते हैं। मैं माननीय अर्थ मंत्री से कहना चाहूंगा कि कोसी नदी की योजना की जांच की जो रिपोर्ट सामने आई थी और जिस को कई भागों में बांट दिया गया था और जो सब से पहला भाग था वह यह था कि विद्युत शक्ति पैदा की जाये, यह बेकार चीज़ है । जैसा कि एडवाइज़री कमेटी (परामर्श-दात्री समिति) ने कहा है कि सब से पहले कोसी नदी में बाढ़ का नियंत्रण और उस के द्वारा सिचाई का प्रबन्ध होना चाहिये । मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस कमेटी ने बल्का बांध के लिये सिफारिश की है उस को जल्द से जल्द हाथ में लिया जाये । मेरे ख़याल में योजना के अन्दर इसे प्रथम स्थान मिलना चाहिये । और यह इसलिये नहीं कि वहां सिचाई से अन्न की उपज बढ़ेगी, इसलिये भी नहीं कि वहां विद्युत शक्ति पैदा होगी तो गृह उद्योग चलाये जायेंगे, बल्कि इसलिये कि वहां जो हज़ारों आदमी अकाल ही में मृत्यु के गाल में चले जाते हैं उन्हे बचाया जाय । लाखों जो बीमारी के शिकार होते हैं उन्हें राहत पहुंचायी जाये । इसलिये मैं अन्त में फिर अनुरोध करूंगा कि कोसी योजना केवल बिहार की योजना नहीं है यह सारे भारत की योजना है । यह केवल सिंचाई की योजना नहीं है बल्कि यह मनुष्य जाति के एक बड़े हिस्से को मृत्यु के मुख में जाने से बचाने का सवाल है । इसलिये इस को सब से प्रथम स्थान मिलना चाहिये ।

**श्री पोकर साहेब** : मेरे कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य मद्रास राज्य की मालमपुज्हा परियोजना के निर्माण कार्य में ढील पर चर्चा करना है । यह परियोजना मलाबार में स्थित है तथा इसे कई दशाब्दियों के आन्दोलन के बाद स्वीकृत किया गया था । इसकी लागत का अनुमान ४.१६ करोड़ रुपये लगाया गया है जिस में से २ करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं ।

परन्तु हुआ क्या ? इस वर्ष के आरम्भ में इस काम को एक दम बन्द कर दिया गया तथा इसका कारण यह बताया गया कि केन्द्रीय सरकार ने इसके लिये अर्थ-सहायता बन्द कर दी है । इस कार्य पर लगभग ५००० मज़दूर लगे हुए थे जिन्हें कि बर्ख़ास्त कर दिया गया। बाद में समाचार पत्रों में सरकार की इस कार्यवाही की आलोचना किये जाने के परिणामस्वरूप यह काम फिर से शुरू किया गया तथा १५०० कामकरों को काम पर लगाया गया जिन में से ७०० फिर हटा दिये गये । अब केवल ८०० मज़दूर काम कर रहे हैं ।

मैं निवेदन करता हूं कि मालमपुज्हा परियोजना सरकार की एक स्वीकृत परियोजना है तथा केन्द्रीय सरकार इसे धन उपलब्ध कराने के लिये नैतिक तथा वैधिक रूप से पाबन्द है । यदि यह सहायता फिर से न दी गई तो इसका परिणाम यह होगा कि वहां के किये कराये काम पर पानी फिर जायेगा । वहां कुछ मकान बनाये गये हैं, कुछ नहरें खोदी गई हैं तथा होने वाली वर्षा से इन सारी चीज़ों का सत्यानाश हो जायेगा ।

लोग समझते हैं कि मलाबार में वर्ष में दो मौनसून होते हैं, इसलिये वहां

[श्री पोंकर साहेब]

सचाई व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। यह ठीक है कि वहां काफी वर्षा होती है। परन्तु वह बे मौके की वर्षा होती है जो फसलों को लाभ पहुंचाने के स्थान पर हानि ही पहुंचाती है। मैं यह अपने अनुभव से कह रहा हूं। यही कारण है कि जनता के आग्रह पर मालमपुज्हा परियोजना को स्वीकृत किया गया था। इस परियोजना के तैयार होने पर ४०,००० एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी तथा २०,००० टन धान पैदा किया जा सकेगा। इस के प्रति असहानुभूति रखना एक भारी गलती होगी।

**श्री रामशेषय्या** : दामोदर घाटी परियोजना के सम्बन्ध में मैं ने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसी पर बोलना चाहता हूं। मेरी धारणा है कि इस परियोजना का आयोजन ठीक ढंग से नहीं हुआ है और न ही यह कार्य ठीक ढंग से शुरू किया गया है। प्रारम्भ में इस का उद्देश्य बाढ़ों की रोकथाम था। बाढ़ों की रोकथाम के साथ ही इस में स्वभावतः सिंचाई का मामला भी आ गया। किन्तु यह बात यहां पर ही समाप्त नहीं हुई। इसे जल-विद्युत परियोजना का रूप देने का निश्चय किया गया। अनुसन्धान करते करते इस बात का पता चला कि दामोदर नदी तथा इसकी शाखाओं में साल भर पानी न बहने के परिणामस्वरूप इस परियोजना से केवल तीन महीने अर्थात् जुलाई से सितम्बर तक विद्युत शक्ति पैदा की जा सकती है। वर्ष के शेष नौ महीनों में विद्युत शक्ति की व्यवस्था करने के लिये एक बिजली घर बनाने का निश्चय किया गया जो लगभग ८ करोड़ रुपये के खर्च से लगभग तैयार हो चुका है। बिजली घर तो अपनी जगह पर ठीक है तथा आंक समिति ने इस की सराहना की है। किन्तु इस से बाढ़ों की रोक थाम तथा सिंचाई व्यवस्था का काम पीछे पड़ गया है। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि अब जो यह बिजली घर तैयार हो रहा है तथा जो २००,००० किलोवाट विद्युत शक्ति पैदा कर सकता है, इसको दृष्टि में रखते हुए दामोदर घाटी निगम की जल-विद्युत परियोजना को क्रियान्वित न किया जाना चाहिये। इस परियोजना के केवल उन्हीं पहलुओं को क्रियान्वित किया जाना चाहिये जिनका सम्बन्ध सिंचाई तथा बाढ़ों की रोक थाम से है। यदि ऐसा किया जाय तो यह परियोजना एक डेढ़ वर्ष में ही पूर्ण हो जायेगी, तथा धन और समय का नाश नहीं होगा।

जहां तक कृष्णापेन्नार परियोजना का सम्बन्ध है मैं निवेदन करता हूं कि कृष्णा नदी पर नन्दाकोंडी परियोजना जैसी और कोई बढ़िया परियोजना नहीं है। माननीय सदस्य जानते होंगे कि कृष्णा नदी भारत की तीसरी बड़ी नदी है तथा यह दामोदर नदी से आठ गुनी है। मेरा सुझाव यह है कि इस नदी पर नन्दीकोंडा के स्थान पर आसानी से तथा कम खर्च से बांध बांधा जा सकता है, क्योंकि इस स्थान पर नदी दो बड़ी चटानों में से होकर चटान पर से ही बहती है। यहां किसी भी ऊंचाई का बांध बनाया जा सकता है; तथा मुझे मालूम हुआ है कि यह परियोजना मुकम्मल होने पर एक करोड़ एकड़ भूमि को सिंचाई सम्बन्धी सुविधायें दे सकती है। इसकी दक्षिणी नहर ३०० मील लम्बी हो कर मद्रास तक पहुंच सकती है, जिससे कि उस क्षेत्र को सिंचाई तथा नौपरिवहन की सुविधायें उपलब्ध होंगी। इतना ही नहीं इस नहर से मद्रास नगर को पीने का जल भी मिल सकता है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह अन्य नदी घाटी परियोजनाओं के साथ साथ इस

परियोजना पर भी, जिस से इतनी सुविधायें प्राप्त होने की सम्भावना है, विचार करे।

**श्री गणपति राम** (जिला जौनपुर—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां): सभापति जी अगर आप की इजाजत हो तो मैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में जो रिहंद डाम (बांध) बनाने की स्कीम (योजना) थी जो कि फ़ाइव ईयर प्लान (पंचवर्षीय योजना) में रखी गई थी, उसकी तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिससे पूर्वी जिलों में .....

**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य को यदि अवसर मिले तो वह इस पर उस दिन चर्चा कर सकते हैं जब कि योजना के विषय पर वाद विवाद हो। जहां तक इस विषय पर चर्चा करने का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि अब केवल प्रभारी माननीय मंत्री को उत्तर देना बाकी है, जो वह २ जुलाई को देंगे।

**इसके पश्चात् सदन की बैठक सोमवार २३ जून १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।**

---

GIPD—HS—376 PSD—15 7-53—285